आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-2021

बौद्धिक सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2020-2021

बौद्धिक
सम्पदा भारत

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	3
अध्याय I	बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति – एक झलक	5
अध्याय II	जन सेवा प्रदान – दक्षता और पारदर्शिता	12
अध्याय III	पेटेंट	18
अध्याय IV	पेटेंट सहयोग संधि	42
अध्याय V	डिजाइन	47
अध्याय VI	व्यापार चिह्न	55
अध्याय VII	चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मेड्रिड प्रणाली	67
अध्याय VIII	भौगोलिक उपदर्शन	71
अध्याय IX	कॉपीराइट	78
अध्याय X	अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	82
अध्याय XI	राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) एवं पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)	84
अध्याय XII	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	98
अध्याय XIII	(बौद्धिक सम्पदा अधिकार) आईपीआर में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बर्हि–क्रियाकलाप	101
अध्याय XIV	मानव संसाधन	104

प्राक्कथन

वर्ष 2020—21 के दौरान, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने ज्ञान—आधारित आईपी परिसंपत्ति निर्माण के पोषण के लिए सरकार के मिशन को उत्प्रेरित करने और देश में आईपीआर ढांचे को मजबूत करने के लिए नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। भारत ने वैश्विक मानकों के अनुसार एक संतुलित और पारदर्शी आईपी पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया। सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आईपीआर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ—साथ आईपी सूचना तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग का उपयोग करके आईपी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। बैकलॉग को कम करने और आईपी आवेदनों के प्रसंस्करण की समयसीमा में सुधार करने के लिए पेटेंट और व्यापार चिह्न में तकनीकी जनशक्ति को पहले ही संवर्धित किया जा चुका है, जिससे आवेदनों के तेजी से निपटान में योगदान हुआ है।

वर्ष 2020—21 के दौरान, दुनिया को कोविड—19 महामारी की शुरुआत के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर भी, सीजीपीडीटीएम कार्यालय ने इस का सामना किया व महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने के उपाय किए। कार्यालय ने आंशिक रूप से 25% क्षमता पर कार्य किया है, जो आईपी आवेदनों के परीक्षण की दक्षता को गंभीर रूप से बाधित कर सकता था। हालांकि, त्वरित कार्रवाई करते हुए, प्रक्रियात्मक समयसीमा विस्तारित करने के अलावा कुशल ऑनलाइन गतिविधियों के लिए आईपीओ कार्यों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए गए और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वीपीएन सुविधा के माध्यम से "घर से कार्य" लागू किया गया। इसने उन्हें महामारी के कारण बिना किसी व्यवधान के ऑनलाइन परीक्षण, सुनवाई, अनुदान और आईपी आवेदनों का पंजीकरण करने में सक्षम बनाया। कार्यालय के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करने वाला एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया।

महामारी की अवधि के दौरान पेटेंट नियमों में दो बार संशोधन किया गया है। पेटेंट नियम संशोधन 2020, जो 19 अक्टूबर 2020 से प्रभाव में आए, ने भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर पेटेंट किए गए आविष्कार के कार्यकरण (फॉर्म— 27) के संबंध में कथन प्रस्तुत करने और पूर्विक्ता दस्तावेज जो अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं, उनके सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद को प्रस्तुत करने को सुव्यवस्थित किया है।

पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 को 4 नवंबर 2020 को अधिसूचित किया गया। सभी कार्यवाही में आधिकारिक शुल्क का भुगतान करने के लिए इस संशोधन के परिणामस्वरूप, आवेदकों को अब व्यापक रूप से प्रकृत व्यक्तियों, स्टार्टअप, लघु अस्तित्वों व अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण के तहत, वे विधिक संस्थाओं के लिए नियमित शुल्क की तुलना में सभी कार्यवाही से संबंधित अपने आधिकारिक शुल्क में 80% की कमी का लाभ उठा रहे हैं। इस संशोधन से लघु अस्तित्वों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा है जिससे वे अपने आविष्कारों के संरक्षण के लिए अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल करेंगे।

आईपी कार्यालय के समक्ष डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने के लिए प्रेरित करने के महत्व और आवश्यकता को आईपी कार्यालय ने स्वीकार किया। 25 जनवरी 2021 को अधिसूचित डिजाइन नियमों में संशोधन का उद्देश्य तेजी से प्रसंस्करण को सक्षम करना है और आवेदक की नई श्रेणी, "स्टार्टअप" को भी प्रस्तुत किया गया है। संशोधन स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों के पक्ष में हैं, इस प्रकार उद्यमिता को बढ़ावा देने और भारत में व्यापार करने में आसानी में योगदान देने (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस) के सरकार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व के डिजाइन अधिनियम, 2000 में लोकार्नो वर्गीकरण के दसवें संस्करण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण था, परंतु अब 2021 के संशोधन नियमों से, डिजाइनों को लोकार्नो वर्गीकरण (नियम 10 (1)) के नवीनतम संस्करण अर्थात 13वां संस्कारण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। इन संशोधनों का उद्देश्य भारत में डिजाइन पंजीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना और आवेदकों को डिजाइन पंजीकरण के लिए फाइल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पहले ही अपने परीक्षण मॉड्यूल में वाइपो डिजिटल एक्सेस सर्विसेज (डीएएस) और वाइपो सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन (सीएएसई) को एकीकृत कर दिया है, जिसमें अधिकारी राष्ट्रीय चरण के आवेदनों की परीक्षण के दौरान वाइपो सीएएसई में उपलब्ध जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के तंत्र से ऐसे दस्तावेज दाखिल करने के

लिए आवेदकों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी और व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नस) के लिए समर्थन भी मिलेगा। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने वाइपो डीएएस सेवाएं प्रारम्भ की हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो भारत और अन्य प्रतिभागी देशों के बीच पूर्विक्ता दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखने की अनुमति देती है।

कार्यालय ने 2020–21 के दौरान आईपी सेवाओं और आईटी–सक्षम कामकाज का उपयोग करके प्रदर्शन को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में पेटेंट और डिजाइन के 74 परीक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है, और उन्हें संबंधित परीक्षण समूहों में शामिल किया गया है।

हितधारकों की शिकायतों के तत्काल निवारण करने के लिए कार्यालय ने शिकायत प्रक्रिया लागू की है। प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों पर प्रतिक्रिया/सुझाव मांगने के लिए आईपीओ ने नियमित रूप से हितधारकों की बैठकें आयोजित कीं, मुख्य रूप से ऑनलाइन बैठकें, और किसी भी मुद्दे को तुरंत हल किया। आईपीओ को सुझाव देने और किसी भी कठिनाई के मामले में राहत पाने के लिए हितधारक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रतिक्रिया तंत्र (फीडबैक मैकेनिज्म) की सुविधा का बढ़ चढ़ कर उपयोग कर रहे हैं।

आईपी प्रशासन में सुधार, डिजिटल सुधार और आईपी प्रक्रियाओं की पुनर्रचना के परिणामस्वरूप प्रदर्शन बेहतर, लंबितता में कमी तथा आईपी आवेदनों के निपटान की उच्च दर प्राप्त हुई है।

वर्ष के दौरान, पेटेंट आवेदन फाइलिंग में 3.97% की वृद्धि हुई, 2019–20 से घरेलू फाइलिंग बढ़कर 16.71% हो गई, अनुदान में 14% की वृद्धि हुई और पेटेंट के निपटान में 5.70% की कमी आई।

व्यापार चिह्न में, परीक्षण में लंबितता, आवेदन दाखिल करने में वृद्धि के बावजूद 1 माह से भी कम समय तक जारी रही। नियमों और प्रक्रिया पुनर्रचना में संशोधन द्वारा लाए गए प्रक्रियात्मक सुधारों ने प्रारंभिक चरण में व्यापार चिह्न आवेदनों की स्वीकृति में लगभग 50% तक वृद्धि की है।

डिजाइन में, नए आवेदनों के लिए आवश्यक परीक्षण अवधि एक माह से भी कम रही। 2020–21 के दौरान, डिजाइन आवेदन दाखिल करने में पिछले वर्ष की तुलना में 0.34% की कमी देखी गई है, लेकिन परीक्षण में 1.50% की वृद्धि हुई है, जबकि डिजाइन आवेदनों के पंजीकरण और निपटान में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 25.36% और 36.86% की कमी आई है।

कंप्यूटरीकरण और प्रक्रिया की पुनर्रचना के कारण कॉपीराइट कार्यालय ने बेहतर प्रदर्शन दर्शाना जारी रखा। वर्ष के दौरान, नए आवेदनों का परीक्षण एक माह के तुरंत बाद जारी रहा, जो कि नए आवेदनों के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है। कॉपीराइट आवेदन दाखिल करने में 11.62% और कॉपीराइट के पंजीकरण में 2.3% की वृद्धि हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय और मैड्रिड प्रोटोकॉल प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रदर्शन में वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई है जहां आईएसआर/आईपीईआर के लिए संदर्भित लगभग सभी आवेदनों में पीसीटी समयसीमा का पालन किया गया है।

भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दिसंबर 2019 में पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) को एक पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था। भारत ने पीसीटी विनियमों के तहत न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण के भाग के रूप में भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) को शामिल करने के लिए डब्ल्यूआईपीओ के पीसीटी कार्यकारी समूह (पीसीटी वर्किंग ग्रुप) में भी प्रस्ताव रखा है।

वर्ष 2020–21 के दौरान की गई गतिविधियों का विवरण इस प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में दिया गया है। अद्यतन बौद्धिक सम्पदा विधान, विभिन्न समारोहों के मुख्यान्श व अन्य उपयोगी सूचना हमारी आधिकारिक वेबसाइट (http//www.ipindia.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न आईपी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, डिजिटल वातावरण बनाने और सार्वजनिक शिकायतों को प्रभावी ढंग से हल करने के साथ–साथ पारदर्शी और आवेदक के अनुकूल तरीके से आईपी सेवाओं का समय पर प्रदान सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

(प्रो. डॉ. उन्नत पी. पण्डित)
महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न

अध्याय – I

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्ति–एक झलक

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प तथा व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवेदन दाखिल करने में विगत वर्षों के दौरान उतरोत्तर विकास देखा गया है। विभिन्न बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (आईपीआर) हेतु दाखिल कुल आवेदनों में गत वर्ष के **(427309)** की तुलना में इस वर्ष **(528471)** की वृद्धि हुई है, जो समग्र 5.42% की वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, कॉपीराइट व भौगोलिक उपदर्शन में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी है।

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत है:

आवेदन	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
पेटेंट	45444	47854	50659	56267	**58503**
डिजाइन	10213	11837	12585	14290	**14241**
व्यापार चिह्न	278170	272974	323798	334805	**431213**
भौगोलिक उपदर्शन	32	38	32	42	**58**
कॉपीराइट	16617	17841	18250	21905	**24451**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एससीआईएलडी)	शून्य	02	शून्य	शून्य	**05**
कुल	**350467**	**350546**	**405324**	**427309**	**528471**

बौद्धिक सम्पदा आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति

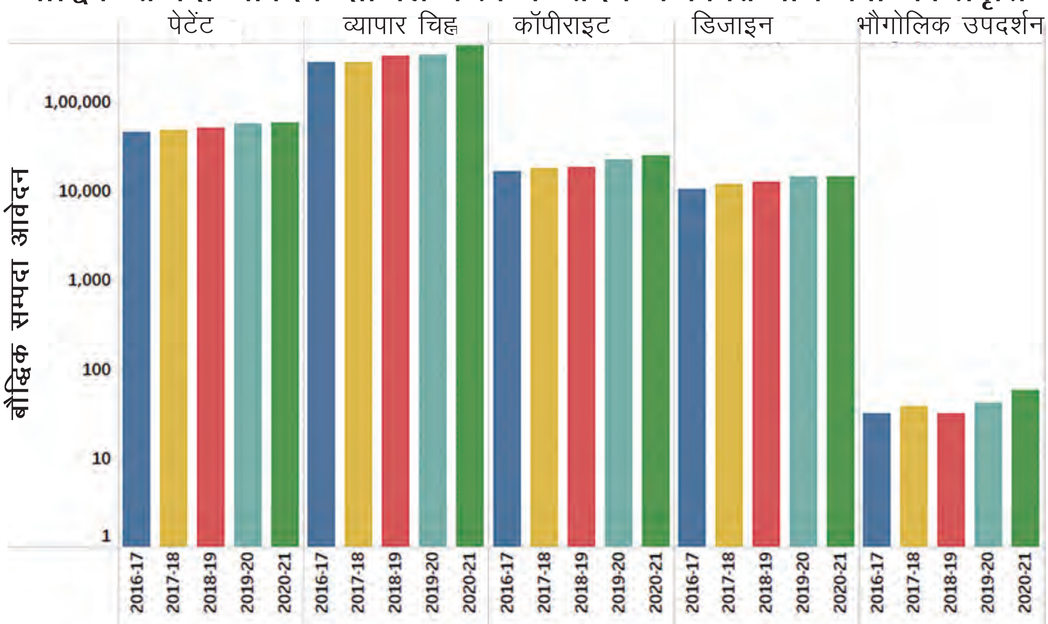

बौद्धिक सम्पदा गतिविधियों के संबंध में प्रवृत्ति :

क. पेटेंट: इस वर्ष के दौरान, कुल **58503** पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए जो विगत वर्ष दाखिल आवेदनों की तुलना में लगभग **3.97%** की वृद्धि दर्शाता है। पेटेंट आवेदनों की घरेलू फाइलिंग भी बढ़ कर **24326** हो गई है, जो कुल दाखिल का, 2019–20 में 37.05% की तुलना में 41.58% है।

दाखिल, परीक्षित, अनुदानित तथा निपटान किए गए पेटेंट आवेदनों के संदर्भ में विगत पाँच वर्षों की प्रवृत्ति निम्नवत् है। आवेदनों के निपटान में पेटेंट कार्यालय द्वारा अनुदानित व अस्वीकृत तथा आवेदकों द्वारा आहरित व परित्यक्त आवेदन शामिल हैं।

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
दाखिल	45444	47854	50659	56267	**58503**
परीक्षित	28967	60330	85426	80080	**73165**
अनुदानित	9847	13045	15283	24936	**28385**
निपटान	30271	47695	50884	55945	**52755**

पेटेंट आवेदनों की प्रवृत्ति

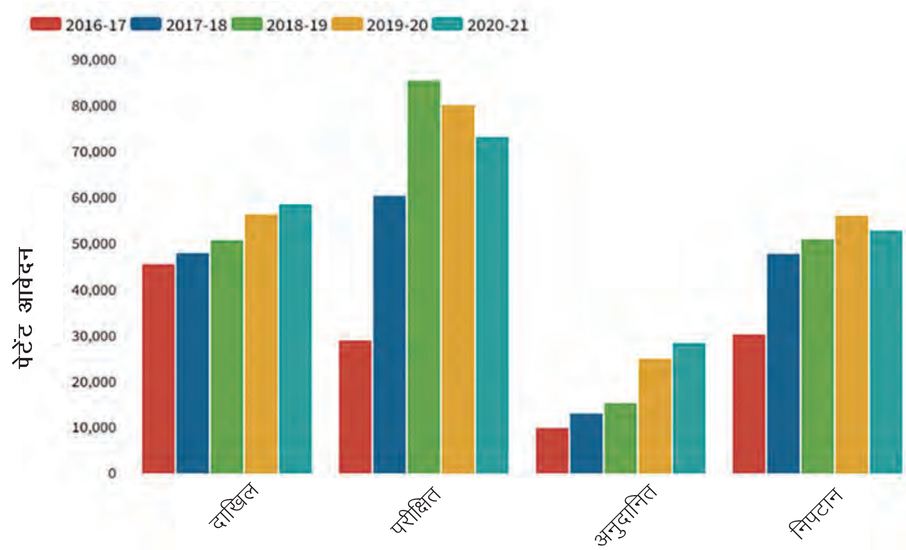

ख. डिजाइन: वर्ष के दौरान, कुल **14241** डिज़ाइन आवेदन दाखिल किए गए जो गत वर्ष की तुलना में 0.34% की कमी दर्शाता है। परीक्षित आवेदनों की संख्या **13847** रही जो 1.48% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि गत वर्ष की तुलना में, 2020–21 के दौरान, **डिजाइन आवेदनों के पंजीकरण** व निपटान में क्रमशः 25.36% व 36.8% की वृद्धि हुई।

डिजाइन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–2019	2019–20	2020–21
दाखिल	10213	11837	12585	14290	**14241**
परीक्षित	11940	11850	12661	13642	**13847**
पंजीकृत	8276	10020	9483	12256	**9147**
आवेदनों का निपटान	8332	10788	11414	14701	**9281**

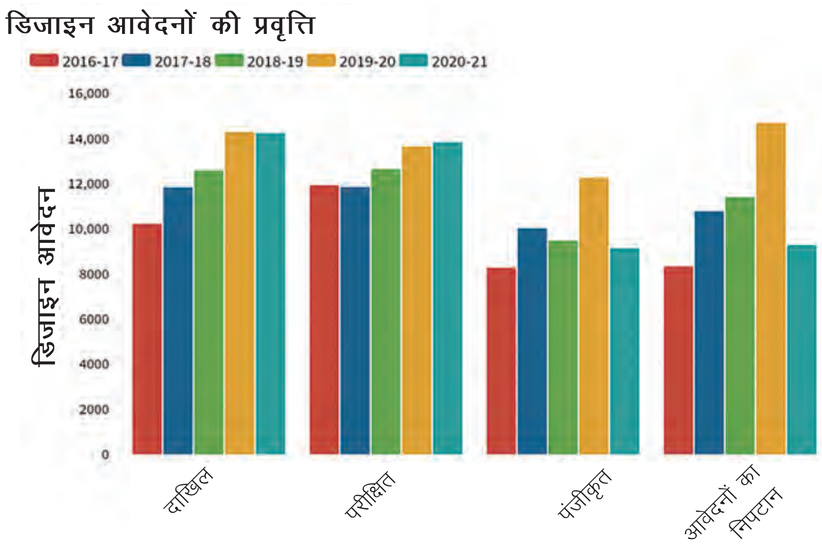

ग. व्यापार चिह्नः इस वर्ष के दौरान, व्यापार चिह्न के पंजीकरण हेतु **431213** आवेदन दाखिल किए गए। इस अवधि के दौरान, परीक्षित आवेदनों की संख्या दाखिल आवेदनों से अधिक थी तथा इस क्षेत्र में लंबितता एक माह से भी कम हो गई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार चिह्न पंजीकरण व निपटान की संख्या कम है क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान पुरानी लंबितता को खत्म कर दिया गया है।

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
दाखिल	278170	272974	323798	334805	**431213**
परीक्षित	532230	306259	337541	338551	**463912**
पंजीकृत	250070	300913	316798	294172	**255976**
निपटान	290444	555777	519185	419566	**294944**

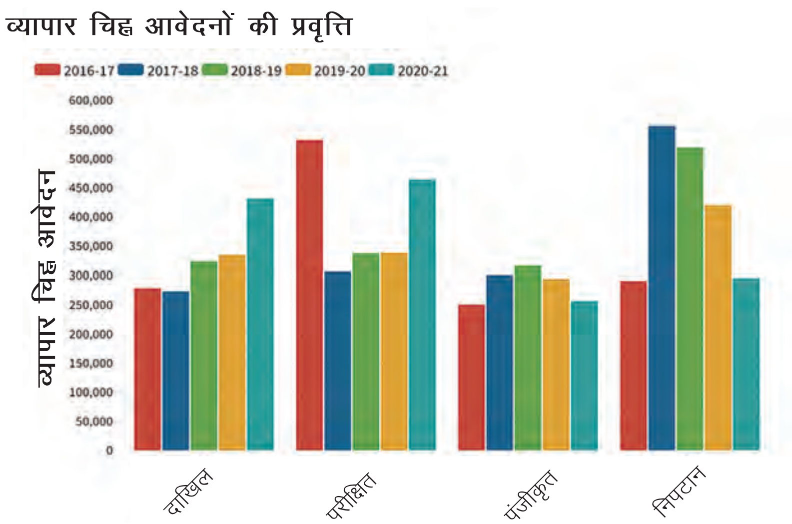

घ. भौगोलिक उपदर्शनः प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, 58 आवेदन दाखिल किए गए, कोई आवेदन परीक्षित नहीं किया गया क्योंकि कोविड–19 महामारी के कारण सलाहकार समूह की बैठकें आयोजित नहीं हुईं और **05** भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए। विगत पाँच वर्षों के दौरान दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति निम्नवत है।

भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
दाखिल	32	38	32	42	**58**
परीक्षित	28	18	43	51	**0**
पंजीकृत	34	25	23	22	**05**

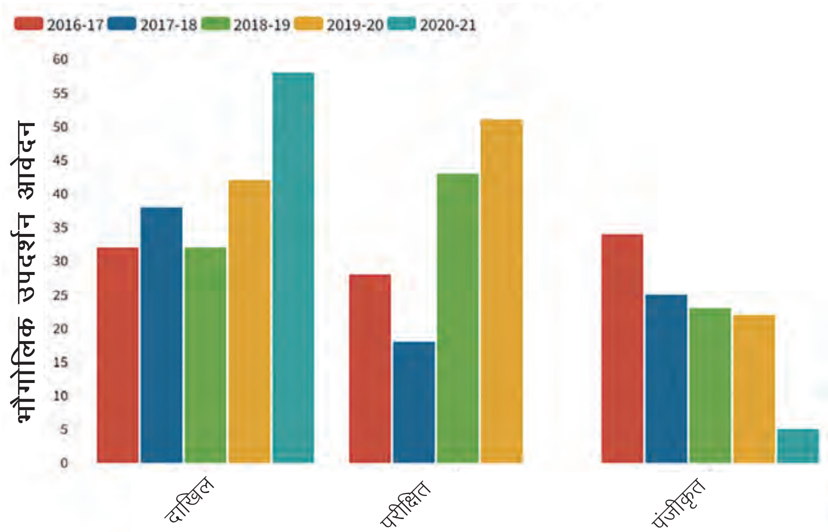

ङ. कॉपीराइटः वर्ष के दौरान, कॉपीराइट के पंजीकरण हेतु कुल **24451** आवेदन प्राप्त हुए। कुल **21523** आवेदनों का परीक्षण किया गया व **16399** कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) किए गए, जबकि निपटान किए गए कुल आवेदनों की संख्या **19477** रही।

कॉपीराइट आवेदनों की प्रवृत्ति

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्न किए गए कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी)	कुल निपटान
2016–17	16617	16584	3596	5444
2017–18	17841	34388	19997	39799
2018–19	18250	22658	14625	25943
2019–20	21905	29670	16029	22516
2020–21	**24451**	**21523**	**16399**	**19477**

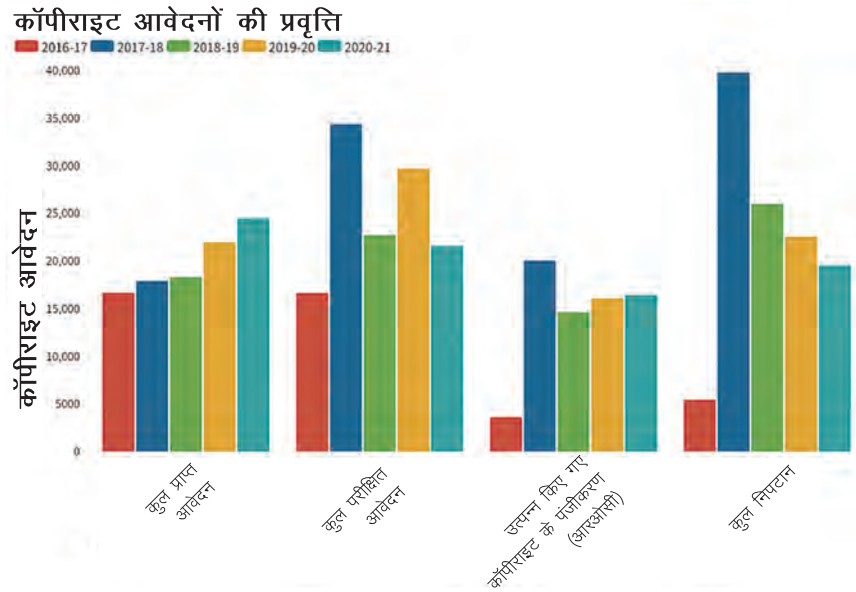

च. अनुदानित/पंजीकृत बौद्धिक सम्पदा अधिकार की प्रवृत्तिः

विगत 5 वर्षों के दौरान बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के अनुदान/पंजीकरण की तुलनात्मक प्रवृत्ति निम्नवत् है। कोष्ठक में प्रदत्त संख्या कुल निपटान प्रदर्शित करती है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार की तुलनात्मक प्रवृत्ति – अनुदानित/पंजीकृत (और निपटान किए गए)

आईपीआर/वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
पेटेंट	9847 (30271)	13045 (47695)	15283 (50884)	24936 (55945)	**28385 (52755)**
डिज़ाइन	8276 (8332)	10020 (10788)	9483 (11332)	12256 (14701)	**9147 (9281)**
व्यापार चिह्न	250070 (290444)	300913 (555777)	316798 (519185)	294172 (419566)	**255976 (294944)**
भौगोलिक उपदर्शन	34	25	23	22	**05**
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	**शून्य**
कॉपीराइट	3596	19807 (39799)	14625 (25943)	16029 (22516)	**16399 (19477)**

छ. प्रकाशन एवं अनुदान–पूर्व विरोधः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 11क के तहत **52764** पेटेंट आवेदन प्रकाशित किए गए तथा धारा 25(1) के तहत **583** अनुदान–पूर्व विरोध दाखिल हुए जो कुल प्रकाशित आवेदनों का लगभग 1.1% है। प्रकाशित तथा अनुदान–पूर्व विरोध के लिए दाखिल आवेदनों का ब्यौरा निम्नवत् हैः

प्रकाशन एवं अनुदान–पूर्व विरोध

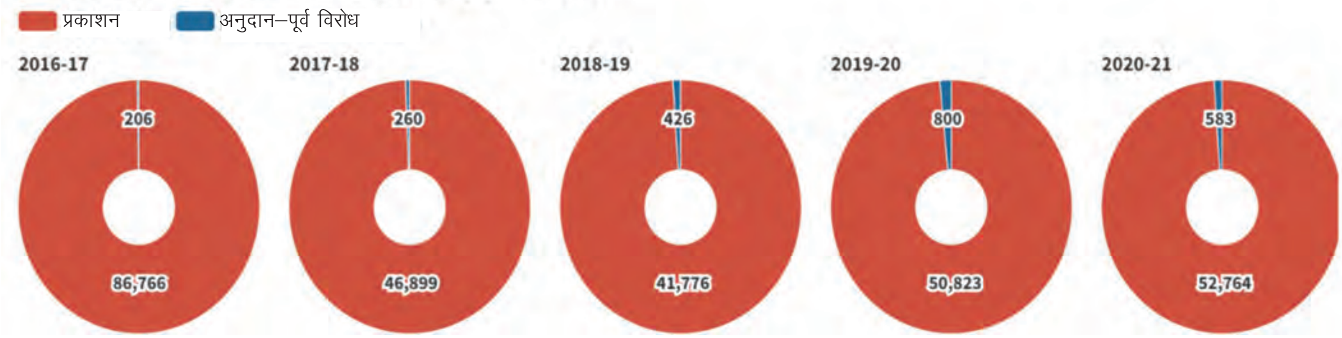

ज. राजस्व और व्ययः वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित कुल राजस्व रु. 1027.27 करोड़ था, जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 4.67% अधिक है, जबकि कुल व्यय रु. 201.57 करोड़ रहा।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अर्जित कुल राजस्व रु. 623.84 करोड़ था (इसमें आईबी द्वारा आईएसए फीस के रूप में रु. 0.487 करोड़ शामिल हैं), जबकि डिजाइन कार्यालय से रु. 6.55 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 396.71 करोड़ का राजस्व अर्जित किया (इसमें आईबी से मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु फीस के रूप में रु. 35.57 करोड़ शामिल हैं), जबकि भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने रु. 0.05 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) और राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) ने रु. 0.1235 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

(i) विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान बौद्धिक सम्पदा (आईपी) प्रशासन से संबंधित राजस्व और व्यय का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित है: राजस्व का तुलनात्मक विवरण (2018–19, 2019–20 तथा 2020–21)

वर्ष	2018–19 (लाख में रु.)	2019–20 (लाख में रु.)	2020–21 (लाख में रु.)
पेटेंट	51518.03	62177.00	**62384.00**
डिज़ाइन	605.77	690.00	**655.00**
व्यापार चिह्न	34119.17	35230.95	**39671.00**
जीआईआर	7.31	13.73	**5.00**
पीआईएस/ आरजीएनआईआईपीएम	42.70	24.15	**12.35**
कुल	**86292.98**	**98135.83**	**102727.00**

धन वापसी के प्रावधान के प्रारम्भ होने के उपरांत पिछले चार वर्षों के दौरान पेटेंट नियम के नियम 7 (4क) के तहत परीक्षण हेतु अनुरोध की फीस वापसी का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
वापस की गई राशि (लाख में रु.)	456.50	472.94	434.41	145.61

(ii) **2018–19, 2019–20 व 2020–21 के व्यय की तुलनाः**

वर्ष	2018–19 (लाख में रु.)			2019–20 (लाख में रु.)			2020–21 (लाख में रु.)
कार्यालय	**योजना**	**गैर–योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर–योजना**	**कुल**	**कुल**
सीजीपीडीटीएम	10867.45	7526.48	18393.9	12254.29	8484.94	20739.23	20157.68
पीआईएस / आरजीएन आईआईपीएम	178.78	189.89	368.67	253.68	202.82	456.5	
जीआई रजिस्ट्री	–	68.74	68.74	–	63.95	63.95	
कुल	**11046.2**	**7785.12**	**18831.4**	**12507.97**	**8751.71**	**21259.68**	**20157.68**

अध्याय –II

जन सेवा प्रदान–दक्षता और पारदर्शिता

वर्ष 2020–21 के दौरान, आईपी प्रणाली को सुदृढ़ करने और बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर वैश्विक विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) द्वारा कम्प्यूटरीकृत कार्य–प्रवाह, आईपी सूचना का प्रसार, उत्पादकता और आईपी से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं में और सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जन सेवा प्रदान को व्यवस्थित बनाने, बौद्धिक संपदा कार्यालयों की कार्यप्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों का सारांश निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है:

1. पेटेंट:

1.1 पेटेंट नियमों में संशोधन:

(i) 2016 में लागू किए गए पेटेंट (संशोधन) नियमों के क्रम में, जिसके परिणामस्वरूप पेटेंट कार्यालय के कामकाज में कई सकारात्मक बदलाव हुए जिनके फलस्वरूप पेटेंट प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ व आईटी सक्षमता में सुधार हुआ, 1 दिसंबर, 2017 को स्टार्टअप की संशोधित परिभाषा प्रदान करने के लिए पेटेंट नियमों में और संशोधन किया गया है।

(ii) वर्ष के दौरान, शीघ्र परीक्षण की सुविधा को मौजूदा दो श्रेणी के अलावा अन्य आवेदकों की श्रेणियों में विस्तारित करने के लिए पेटेंट नियमों में पेटेंट (संशोधन) नियम, 2019 द्वारा और संशोधन किए गए:

- o यह कि आवेदक एक स्टार्ट–अप है; अथवा
- o यह कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा
- o यह कि यदि आवेदक प्रकृत व्यक्ति है अथवा संयुक्त आवेदकों के संबंध में, सभी आवेदक प्रकृत व्यक्ति हैं, तो आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा
- o यह कि आवेदक सरकारी विभाग है; अथवा
- o यह कि आवेदक केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है; अथवा
- o यह कि आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा (2) के खंड (45) में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है; अथवा
- o यह कि आवेदक सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान है; अथवा
- o यह कि आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेक्टर से संबंधित है, जो केंद्रीय सरकार के विभागाध्यक्ष के अनुरोध पर आधारित है, परंतु ऐसी किसी भी अधिसूचना से पहले सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की जाएंगी; अथवा
- o यह कि आवेदक अन्य विदेशी पेटेंट कार्यालय और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच करार के अनुरूप पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही की व्यवस्था हेतु पात्र है।

(iii) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2020, जो 19 अक्टूबर 2020 को लागू हुए, ने फॉर्म 27 को दाखिल करने और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों, जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है, के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद को प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को और सुव्यवस्थित किया है।

फॉर्म–27 और नियम 131(2) के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- o पेटेंटधारक को एकल या एकाधिक संबंधित पेटेंट हेतु एकल फॉर्म–27 दाखिल करने की छूट होगी।
- o जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को पेटेंट प्रदान किया जाता है, ऐसे व्यक्ति संयुक्त प्रपत्र–27 दाखिल कर सकते हैं।

- o पेटेंटधारक को 'अनुमानित राजस्व / उपचित मूल्य' प्रदान करना आवश्यक होगा।
- o अधिकृत एजेंट पेटेंट कराने वालों की ओर से फॉर्म–27 जमा कर सकेंगे।
- o फॉर्म–27 दाखिल करने के लिए, पेटेंटधारकों को वित्त वर्ष की समाप्ति से वर्तमान तीन माह की अवधि के स्थान पर छह माह का समय मिलेगा।
- o वित्त वर्ष के किसी भाग या अंश के संबंध में पेटेंटधारक को फॉर्म–27 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- o जहां एक ओर पेटेंटधारकों द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में फॉर्म–27 में आवश्यकताओं को सुगम कर दिया गया है, यह ध्यान दिया जाए कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 146(1) नियंत्रक को, जैसा वह उचित समझे, पेटेंटधारक से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देती है।

नियम 21 के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- o यदि पूर्विक्ता दस्तावेज डब्ल्यूआईपीओ(वाइपो) की डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध है, तो आवेदक को इसे भारतीय पेटेंट कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- o आवेदक को पूर्विक्ता दस्तावेज का सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करना होगा, जहां पूर्विक्ता के दावे की वैधता यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक है कि संबंधित आविष्कार पेटेंट योग्य है अथवा नहीं।

(iv) पेटेंट (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020, 4 नवंबर 2020 को अधिसूचित किए गए और तत्काल प्रभाव से अस्तित्व में आए।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(क) भारतीय पेटेंट आवेदन दाखिल करने और अभियोग हेतु लघु अस्तित्वों पर लागू शुल्क को कम कर दिया गया है और प्रकृत व्यक्तियों / स्टार्ट–अप के समान कर दिया गया है।

(ख) जो प्रावधान स्टार्टअप पर लागू थे, वे अब लघु अस्तित्वों पर भी लागू होते हैं।

प्रावधान, अन्य बातों के साथ, ये होंगे:

- यदि पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद लघु अस्तित्व लघु अस्तित्व नहीं रह जाता है तो शुल्क में कोई अंतर देय नहीं होगा।
- लघु अस्तित्व द्वारा दाखिल त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर केवल इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित वित्त सीमा पार करने के कारण वह लघु अस्तित्व नहीं रह गया है।

1.2 प्रक्रियात्मक सुधार:

वर्ष के दौरान, कार्यालय ने और डिजिटल पहलों, पारदर्शिता में सुधार व प्रयोक्ता– अनुकूलता को शामिल करके पेटेंट कार्यालय के कामकाज को प्रक्रियाओं की पुनर्रचना द्वारा सुव्यवस्थित करने के अपने मिशन को जारी रखा।

वर्ष के दौरान किए गए **प्रक्रियात्मक सुधारों** में शामिल हैं:

- भारत में पेटेंट आविष्कार के कार्यकरण का कथन प्रस्तुत करने से संबंधित आवश्यकताओं को अधिक लचीला और सरल बनाकर सुव्यवस्थित किया गया है;
- पूर्विक्ता दस्तावेज, जो अंग्रेजी भाषा में नहीं है, उनका सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकताओं को सरल और कम कर दिया गया है;
- घर से कार्य (वर्क फ्रोम होम): कोविड–19 और लॉकडाउन की अवधि के दौरान, सभी अधिकारियों को सुरक्षित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) कनेक्शन प्रदान किया गया है ताकि वे दूर से ही परीक्षण मॉड्यूल और संबंधित संसाधनों तक पहुँच सकें;
- कोविड–19 महामारी के कारण और बाह्य पहुँच का विस्तार करने के लिए, वर्चुअल मोड के माध्यम से

आईपीआर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान राष्ट्रीय आईपी अकादमी, आरजीएनआईपीएम (राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान) में प्रारम्भ किया गया है।

1.3 प्रक्रियात्मक सुधारों और नियमों में संशोधन का भारत के पेटेंट ढांचे में प्रभावः

- लॉकडाउन और कोविड प्रतिबंधों के बावजूद 2020–21 के दौरान, 2019–20 की तुलना में भारत में पेटेंट गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सुधार देखा गया। पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 3.9% की वृद्धि हुई और आवेदनों की घरेलू फाइलिंग के भाग में 2019–20 के 37% की तुलना में 2020–21 में 43% की वृद्धि हुई। गत वर्ष की तुलना में, वर्ष के दौरान पेटेंट आवेदनों के अनुदान में 13% की वृद्धि हुई है।
- कोविड–19 महामारी के दौरान परीक्षण स्तर पर लंबितता को समाप्त करने के लिए सभी अधिकारियों को अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह, कार्यभार का पुनर्वितरण और घर से कार्य करने की सुविधा सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं और परिणामस्वरूप, परीक्षण स्तर पर पेटेंट आवेदनों की लंबितता गत वर्ष के दौरान 24–32 माह की तुलना में 2020–21 के दौरान प्रौद्योगिकी के अधिकांश क्षेत्रों में दाखिल करने के अनुरोध की तारीख से 12 माह से कम हो गई है;
- वर्चुअल मोड प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत के कारण, वर्ष के दौरान आरजीएनआईपीएम (राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान) ने वर्ष 2019–20 और 2018–19 में क्रमशः 5655 और 5763 प्रतिभागियों की तुलना में 21077 प्रतिभागियों को आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) प्रशिक्षण प्रदान किया।
- कोविड –19 महामारी से संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद, पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में चयन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईएसआर और आईपीईआर) जारी करने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया गया।

2. व्यापार चिह्नः

2.1. प्रक्रियात्मक सुधारः

- व्यापार चिह्न हेतु माल और सेवाओं के वर्गीकरण की ऑनलाइन खोज सुविधा को वर्ष के दौरान अद्यतन किया गया है ताकि खोज प्रणाली को और कारगर बनाया जा सके।
- परीक्षण के लिए आवेदनों का आवंटन उनकी दाखिल करने की तिथि के क्रम में स्वचालित रूप से किया जाता है।

2.2. पंजीकरण हेतु प्रक्रिया का स्वचालनः

- पूर्व मानवीय प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रेषण में लंबितता से बचने के लिए, व्यापार चिह्न की पंजीकरण प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्रकाशन के बाद निर्धारित समय पूरा होने के उपरांत, पंजीकरण प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से संसाधित होते हैं और आवेदक के निर्दिष्ट ईमेल–आईडी पर भेज दिए जाते हैं और यह व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में भी अपलोड हो जाता है। इस परिवर्तन ने इस स्तर पर लंबितता को एक माह से कम करने में मदद की है और इससे आवेदकों को भी पर्याप्त सहायता मिली है।
- **नवीनीकरण की प्रक्रिया** को भी स्वचालित कर दिया गया है, जहां नवीकरण अनुरोध (निर्धारित समय में दाखिल), संसाधित हो जाता है और वैधता तिथि अद्यतन हो जाती है।
- आधिकारिक वेबसाइट www.ipindia.nic.in में प्रत्येक सोमवार को व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) जर्नल में पंजीकृत व्यापार चिह्न आवेदनों के विवरण का ऑनलाइन प्रकाशन इस वर्ष के दौरान और सुव्यवस्थित किया गया।

3. **डिजाइन :**

- बेहतर कामकाज की सुविधा के लिए नए डिजाइन आवेदनों की ई–फाइलिंग सुविधा को और अद्यतन किया गया।
- डिजाइन नियम में अंतिम संशोधन 25 जनवरी 2021 से लागू किया गया है, जिसमें 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी सम्मिलित की गई है, जो भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, आवेदक को स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नोवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने के साथ–साथ इस आशय की घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।
- इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को 'विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।'
- नए आवेदनों के परीक्षण मे लंबितता दाखिल करने की तिथि से एक माह के भीतर कर दी गयी है।
- वर्ष के दौरान, संशोधित आवेदनों की लंबितता को काफी हद तक कम करने के उपाय किए गए हैं।
- कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, डब्ल्यूआईपीओ–डीएएस (WIPO - DAS) कोड का उपयोग करते हुए पूर्विक्ता वाले दस्तावेजों को जमा करने को प्रोत्साहित किया गया। सुनवाई टेलीफोन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से की गई।
- इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न पंजीकरण के बाद की कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

4. **भौगोलिक उपदर्शन:**

- परीक्षण और पंजीकरण में लंबितता हटाने के लिए वर्ष के दौरान आवश्यक कदम उठाए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 32 भौगोलिक उपदर्शन आवेदन विज्ञापित किए गए और 5 भौगोलिक उपदर्शन पंजीकृत किए गए हैं।

5. **कॉपीराइट:**

- वर्ष के दौरान, नए आवेदनों के परीक्षण की लंबितता एक माह तक जारी रही, जो नए आवेदनों के लिए आपत्तियों को आमंत्रित करने के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि है।

  डिजिटलीकरण, पंजीकरण प्रक्रियाओं की पुनर्रचना और जनशक्ति के उन्नयन और वेबसाइट को अद्यतन करने के माध्यम से कॉपीराइट कार्यालय की कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- **सार्वजनिक इंटरफ़ेस में सुधार करना और वेबसाइट को अद्यतन करना** – पारदर्शिता और हितधारकों की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए तथा आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति देखने में सक्षम बनाने के लिए, कॉपीराइट कार्यालय ने माह के दौरान प्राप्त आवेदन और निपटान और लंबितता को कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना प्रारम्भ कर दिया है। दाखिल किए गए आवेदनों की स्थिति, अनुदानित पंजीकरण और पंजीकृत कार्य की खोज प्रदान करने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है।
- कॉपीराइट कार्यालय ने कार्यों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल पर साहित्यिक / नाटकीय और कलात्मक कार्यों की सॉफ्ट कॉपी अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ अपलोड करने का प्रावधान समाविष्ट किया है।
- कॉपीराइट कार्यालय ने वर्चुअल मोड द्वारा कॉपीराइट कार्यालय को जनता के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की। आम जनता को कार्यालय आने से बचने के लिए कॉपीराइट मामलों में वर्चुअल सुनवाई आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसने महामारी के समय में आम जनता का कार्यालय में आने को कम कर दिया है।

- कॉपीराइट कार्यालय जनता को उनके मसलों को कम समय में हल करने के लिए अपने पत्राचार ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी कदम उठा रहा है।

6. आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और बौद्धिक सम्पदा कार्यालय में महत्वपूर्ण सुधारः

6.1. आईटी सेवाओं का उन्नयनः –

- वर्ष के दौरान, सभी आईपीओ स्थलों पर भौतिक व आईटी अवसंरचना और संबंधित सेवाओं को उन्नत किया गया ताकि वह बढ़ी हुई जनशक्ति और कम्प्यूटरीकरण, बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आईटी–सक्षमता की मांगो का सामना कर सके जिससे आईपी आवेदनों के प्रसंस्करण में तेज़ी लायी जा सके।
- आईटी अवसंरचना की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप रखने के लिए, आईपीओ ने अपने डेटा सेंटर के वातावरण को क्लाउड अनुकूल बनाने के लिए अद्यतन किया और अपनी कुछ आईटी सेवाओं को नेशनल क्लाउड डेटा सेंटर पर होस्ट करना प्रारम्भ किया।

6.2. सुरक्षित रिमोट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का परिचयः–

- कोविड महामारी की अवधि के दौरान, कार्यालय ने आईपीओ अधिकारियों को निर्बाध रूप से काम करने में सक्षम बनाने के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, जिससे ई–मेल और अन्य माध्यमों के माध्यम से हितधारकों के साथ निर्बाध ऑनलाइन लेनदेन और ई–संचार सुनिश्चित किया जा सके। सुरक्षित वीपीएन सेवाओं के माध्यम से पेटेंट कार्यालय नेटवर्क तक पहुँच के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास ने पेटेंट कार्यालय के अधिकारियों को दूर से काम करने और लॉकडाउन और कोविड –19 प्रतिबंधों के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आउटपुट के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया।

6.3. बेहतर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टमः–

- कोविड –2019 देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कठिनाइयाँ लेकर आया। महामारी के प्रभाव ने एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी ला दी। हालाँकि, आईटी में प्रगति और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में नई तकनीकों की शुरूआत ने लोगों को आभासी अर्थों में करीब ला दिया। बैठकें बातचीत, चर्चा और संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल गया और लगभग सभी आधिकारिक कार्य आश्चर्यजनक गति से इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ई–क्रांति के साथ गति बनाए रखते हुए, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न कार्यालय ने आईपी समुदाय से कई सुझाव, प्रतिक्रिया और इनपुट लेते हुए ऑनलाइन बैठक और सुनवाई के अपने बुनियादी ढांचे को भी उन्नत किया। आईपीओ एकीकृत वर्चुअल प्लेटफॉर्म के इन–हाउस समाधान के साथ आया है। प्रणाली को उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया है। स्क्रीन शेयरिंग, व्हाइट बोर्ड इंटरेक्शन, फाइल शेयरिंग, रियल टाइम चैट, डेट और टाइम शेड्यूलिंग जैसी सुविधाओं वाले एप्लिकेशन के लिए एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर काम करने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के स्टैंडअलोन टूल से प्लेटफॉर्म को उन्नत किया गया। नई विकसित प्रणाली को हितधारकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

7. हितधारक परामर्श बैठकें:

हितधारकों के साथ नियमित बैठकें विभिन्न आईपीओ स्थानों पर आयोजित की जाती हैं ताकि आईपी नियमों में संशोधनों से संबंधित प्रक्रियात्मक और तकनीकी मुद्दों को समझने और हल करने, प्रक्रियाओं की पुनर्रचना, मॉड्यूल–आधारित कार्य–प्रवाह, प्रणालीगत उन्नयन, हितधारकों के साथ संचार और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान हो सके।

8. प्रतिक्रिया तंत्रः

आईपी कार्यालयों के कामकाज से संबंधित मसलों के संबंध में हितधारकों के साथ उनकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए और हितधारकों की शिकायतों को सबसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आईपी कार्यालय में प्रतिक्रिया तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया है।

9. बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकताः

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालय नियमित रूप से आईपी प्रक्रियाओं के संबंध में वास्तविक और संभावित आईपी हितधारकों के लिए देश में सीआईपीएम (डीपीआईआईटी) और औद्योगिक संगठनों जैसे सीआईआई, फिक्की (एफ़आईसीसीआई), असोचम, पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, सीडबल्यूईआई आदि के सहयोग से बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जागरूकता और सार्वजनिक बहिर्क्रियाकलाप गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से सूचना और ज्ञान के प्रसार में व्यस्त है।
- आईपीओ अधिकारी नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेते हैं और विश्वविद्यालयों और अन्य हितधारकों के साथ आयोजित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भी भाग लेते हैं।
- आरजीएनआईपीएम (राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान) नियमित रूप से आईपीओ अधिकारियों, आईपी व्यवसायिकों, आईपी प्रबंधकों आदि के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और छात्रों, शिक्षकों, एमएसएमई, स्टार्टअप आदि सहित आम जनता के लिए अलग से या विधि विश्वविद्यालयों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वाइपो) के सहयोग से बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

10. अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर)/अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर रिपोर्ट):

आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट स्थापित करने में समयबद्धता बनाए रखता है और डब्ल्यूआईपीओ (वाइपो) के पेटेंटस्कोप पोर्टल पर परीक्षकों की खोज रणनीतियां प्रकाशित करता है।

11. अंतर्राष्ट्रीय समझौतेः

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, कार्यालय ने अन्य आईपी कार्यालयों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और जापान पेटेंट कार्यालय एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईएसए/आईपीईए) को मान्यता देने के लिए सहमत हुए।
- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और डेनिश पेटेंट और ट्रेड मार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न कार्यालय (सीजीपीडीटीएम) और डेनिश पेटेंट और ट्रेड मार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ) के बीच एक कार्य योजना हस्ताक्षरित हुई।
- उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और कनाडा के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रावधानों के अनुरूप, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) और कनाडा बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच एक कार्य योजना हस्ताक्षरित हुई।

12. सूचना का अधिकारः

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति बौद्धिक सम्पदा कार्यालय पूर्णतया प्रतिबद्ध है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों के क्रियाकलापों में सम्पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों से सम्बंधित जानकारी आम जनता और हितधारकों के सूचनार्थ आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गयी है। साथ ही, सूचना अधिकार अधिनियम के विधायी अभिप्राय तथा अधिदेश का पूर्ण अनुसरण करते हुए अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई की गयी।

अध्याय –III

पेटेंट

परिचय:

यह अध्याय पेटेंट अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 155 के तहत पेटेंट कार्यालयों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान निष्पादित गतिविधियों के संबंध में 49वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। पेटेंट कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई में स्थित है, जिनका पेटेंट प्रशासन के लिए देश में विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। हालांकि, सभी चार पेटेंट कार्यालय आभासी एकल कार्यालय के रूप में कार्य करते हैं। पेटेंट कार्यालय, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के अधीक्षण व प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन देश में हुए आविष्कारों के संरक्षण से संबन्धित पेटेंट अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) के प्रावधानों को लागू करता है। निम्न प्रदत्त पैराग्राफ पेटेंट विधान के तहत यथाप्रशासित पेटेंट कार्यालय की प्रमुख गतिविधियों की रूप–रेखा प्रस्तुत करते हैं।

1. पेटेंट आवेदन:

2020–21 में दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या **58503** थी जो 2019–20 की फाइलिंग की संख्या 56267 में 4% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, आविष्कार के लगभग सभी क्षेत्रों में मध्यम से उच्च विकास देखा गया है विशेष रूप से जैव–प्रोद्योगिकी, जैव–रसायन, जैव–चिकित्सा अभियंत्रणा, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु कर्म व पॉलीमर प्रौद्योगिकी। विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित, विगत पाँच वर्षों के आवेदनों की प्रवृत्ति के विस्तृत आँकड़े परिशिष्ट–ङ और ङ1 में दिखाए गए हैं।

(क) भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

कुल दाखिल **58503** आवेदनों में से, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या **24326** रही जो गत वर्ष से लगभग 16.71% की वृद्धि दर्शाता है, जब ऐसे आवेदनों की संख्या **20843** थी। कुल दाखिल आवेदनों में से दाखिल घरेलू आवेदन गत वर्ष के 37.05% की तुलना में 41.58% है। इस प्रकार, पिछले वर्षों की वृद्धि के अनुरूप, इस वर्ष भी, भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2019–20 के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या (35424) की तुलना में वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या (34177) रही जो 3.52% की आंशिक कमी दर्शाता है।

(ख) भारतीय आवेदकों द्वारा राज्यवार दाखिल पेटेंट आवेदन:

2020–21 के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों में से, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा हालांकि उसने पिछले वर्ष के दौरान दाखिल अपने आवेदनों की संख्या में गिरावट दर्ज की। जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक सूची में क्रमशः द्वितीय व तृतीय स्थान पर बने रहे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने गत वर्ष की तुलना में अपनी फाइलिंग को लगभग दोगुना करके और सूची में चौथा स्थान प्राप्त करके उल्लेखनीय छलांग लगाई है। इसी प्रकार, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरांचल जैसे राज्यों के साथ–साथ जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी गत वर्ष की फाइलिंग को दोगुना कर भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल किए गए समग्र पेटेंट आवेदनों में अत्यधिक योगदान दिया।

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं (आवेदनों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है) महाराष्ट्र (4214), तमिल नाडु (3945), कर्नाटक (2784), उत्तर प्रदेश (2317), तेलंगाना (1662), पंजाब (1650), दिल्ली (1608), गुजरात (921), हरियाणा (765), आंध्र प्रदेश (709), पश्चिम बंगाल (505), राजस्थान (449), केरल (426), मध्य प्रदेश (398), उड़ीसा (377), उत्तराखंड (356), चंडीगढ़ (311), झारखंड (199), हिमाचल प्रदेश (144) व पुडुचेरी (139)। राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के अनुसार विवरण परिशिष्ट ख में प्रदर्शित किया गया है।

भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन (राज्यानुसार)

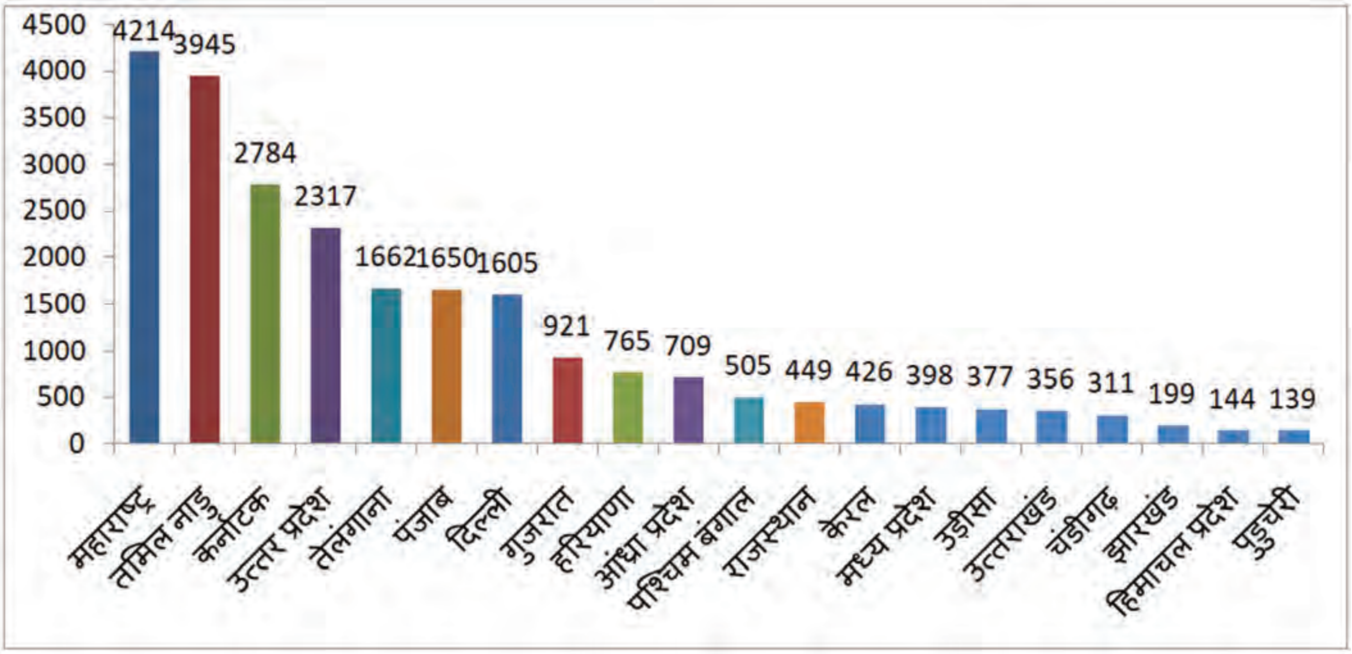

(ग) आवेदनों का श्रेणीवार वितरण:

विगत पाँच वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकृत व्यक्ति (एनपी), स्टार्टअप (एसयू), लघु अस्तित्व (एसई) तथा प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य (ओएनपी) आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों का विवरण निम्नवत है। यह ध्यान दिया जाए सभी श्रेणियों में दाखिल आवेदनों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

वर्ष	प्रकृत व्यक्ति (एनपी)		स्टार्टअप (एसयू)		लघु अस्तित्व (एसई)		प्रकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य		कुल		कुल योग
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी	
2016–17	5918	1622	160	3	412	120	6729	30480	13219	32225	**45444**
2017–18	6811	1444	511	4	491	131	7737	30725	15550	32304	**47854**
2018–19	7250	1193	801	10	607	75	8347	32376	17005	33654	**50659**
2019–20	8792	1182	1650	2	576	272	9825	33968	20843	35424	**56267**
2020–21	**10844**	**1053**	**1598**	**13**	**744**	**53**	**11150**	**33048**	**24336**	**34167**	**58503**

आवेदनों का श्रेणीवार वितरण

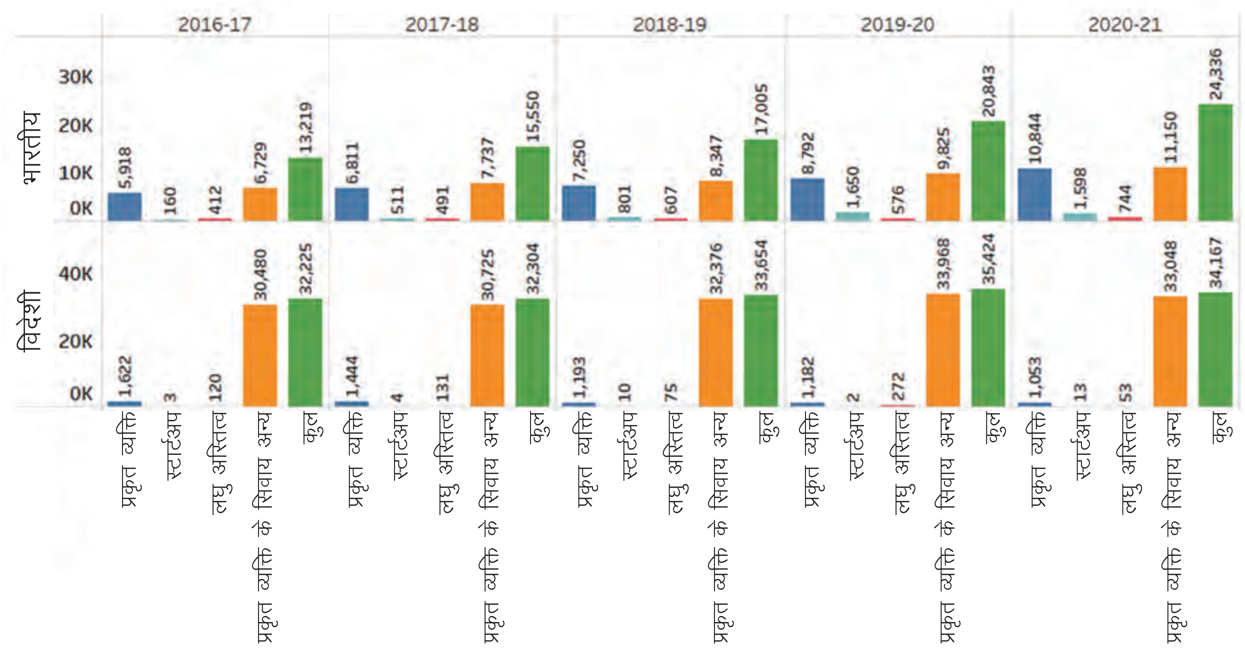

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक:

क्र. सं..	कंपनी का नाम	दाखिल आवेदन
1	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड	191
2	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	135
3	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजिस	106
4	चंडीगढ़ विश्वविघालय	101
5	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (समेकित)	88

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक:

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 5 भारतीय आवेदक

टिप्पण: आंकड़े दाखिल आवेदनों की संख्या दर्शाते हैं

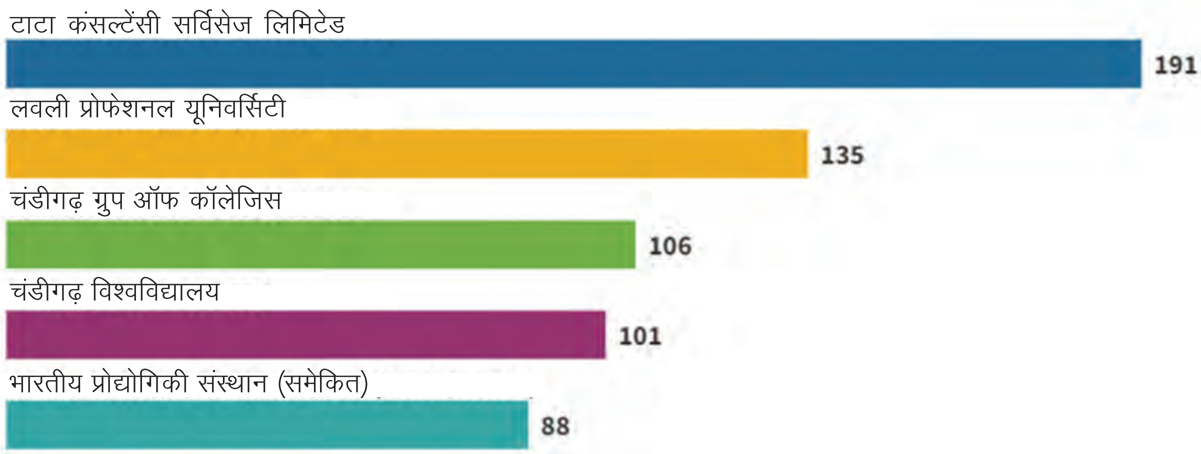

(ङ) **वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः**

क्र. सं.	वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थान का नाम	दाखिल आवेदन
1	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	200
2	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हाइयर एजुकेशन एंड रिसर्च	93
3	अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ)	80
4	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	77
5	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली	31
6	जेएसएस अकादमी ऑफ हाइयर एजुकेशन एंड रिसर्च	24
7	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायन	23
8	भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद	15
9	इन्टरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसीआई)	14
9	सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हाइयर एजुकेशन एंड रिसर्च	14
10	सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिवीजन एसडीडी सिकंदराबाद	12

वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास संस्थानों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः

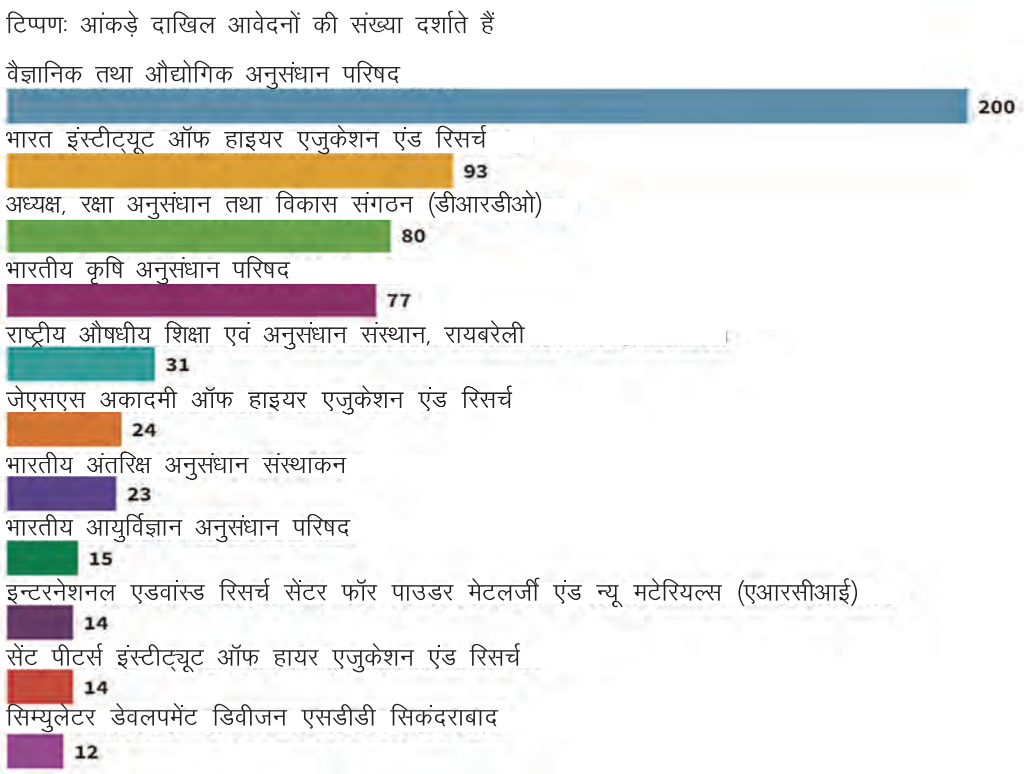

इस वर्ष वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शीर्ष पर रहा जिसके बाद भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हाइयर एजुकेशन एंड रिसर्च का स्थान रहा। अध्यक्ष, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे।

(च) शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदकः

क्र.सं.	संस्थानों / विश्वविद्यालयों के नाम	दाखिल आवेदन
1	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित)	640
2	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	545
3	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय	416
4	चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजिस	352
5	संस्कृति विश्वविद्यालय	301
6	अमिटी विश्वविद्यालय	208
7	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय	182
8	गलगोटियास विश्वविद्यालय	180
9	एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स एंड टेक्नॉलॉजी	161
10	जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा	118

शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले शीर्ष 10 भारतीय आवेदक

टिप्पणः आंकड़े दाखिल आवेदनों की संख्या दर्शाते हैं

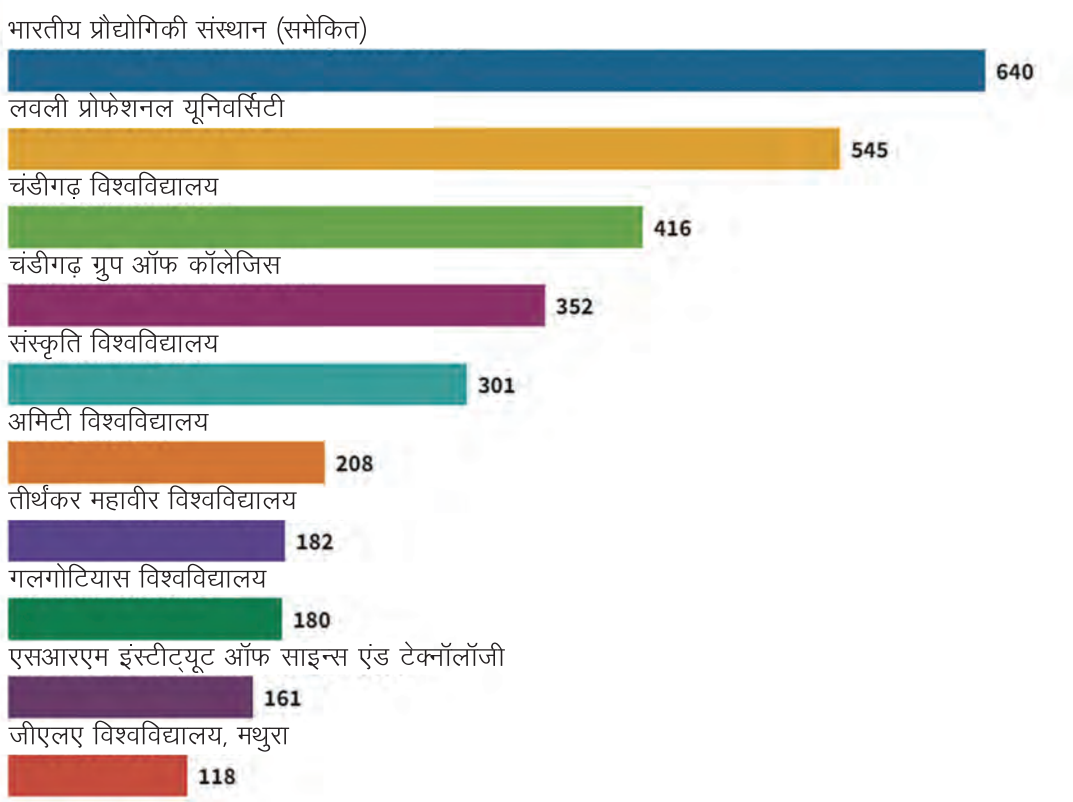

इस श्रेणी में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (समेकित) शीर्ष स्थान पर रहे। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी व चंडीगढ़ विश्वविद्यालय क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर बने रहे, जबकि संस्कृति विश्वविद्यालय ने गत वर्ष की तुलना में फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शा कर पांचवा स्थान प्राप्त किया।

2. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

(क) कन्वेंशन आवेदन :

गत वर्ष के 3637 की तुलना में वर्ष के दौरान पेरिस कन्वेंशन के तहत पूर्विक्ता दावा करते हुए दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **3382** रही। यह वर्ष के दौरान दाखिल किए गए कन्वेन्शन आवेदनों की संख्या में लगभग 7.0% की कमी दर्शाता है।

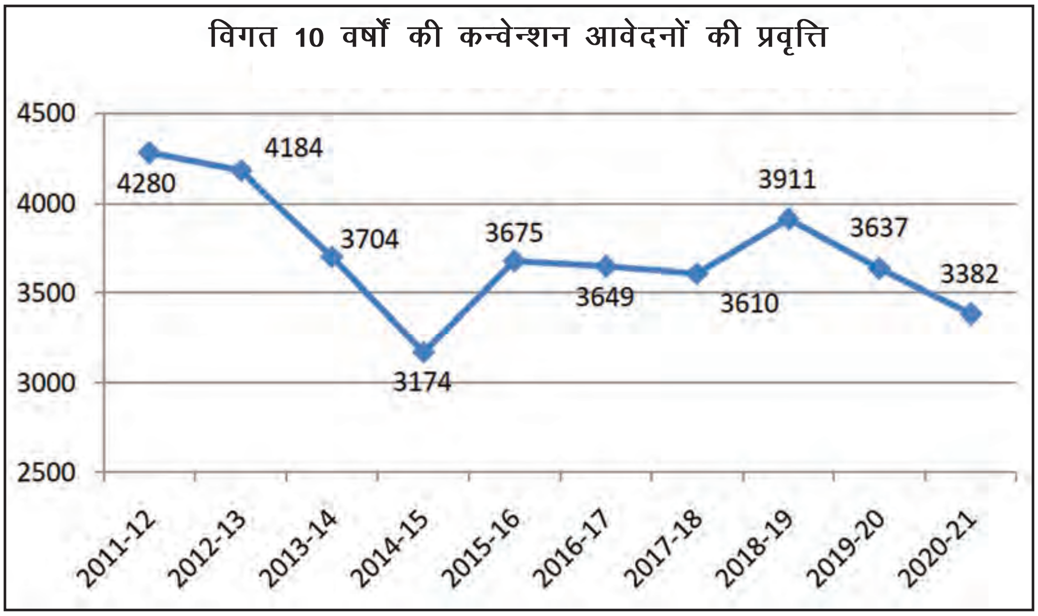

(ख) पी.सी.टी. राष्ट्रीय फेज आवेदनः

विदेश से प्राप्त आवेदनों में से अधिकांश पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) राष्ट्रीय फेज माध्यम से दाखिल किए गए। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान दाखिल ऐसे आवेदनों की संख्या **27230** रही जो विगत वर्ष की संख्या 28832 की तुलना में लगभग 5% की कमी दर्शाता है। आवेदन दाखिल करने वाला शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमरीका (8231) रहा। देशानुसार विवरण **परिशिष्ट ख1** में प्रदर्शित किया गया है।

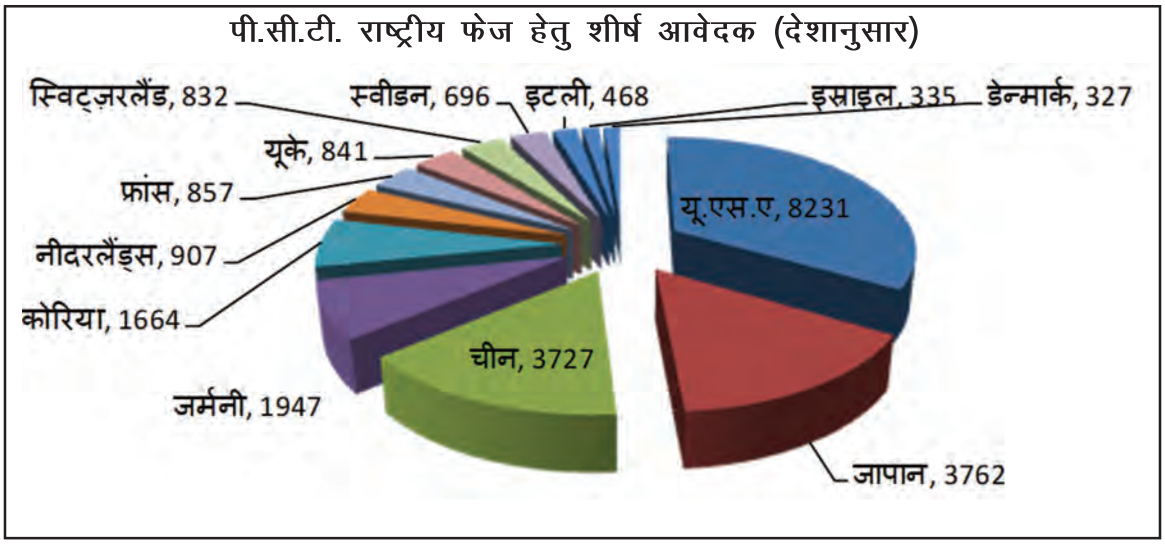

पीसीटी राष्ट्रीय फेज दाखिल करने की विगत 5 वर्षों की प्रवृत्ति

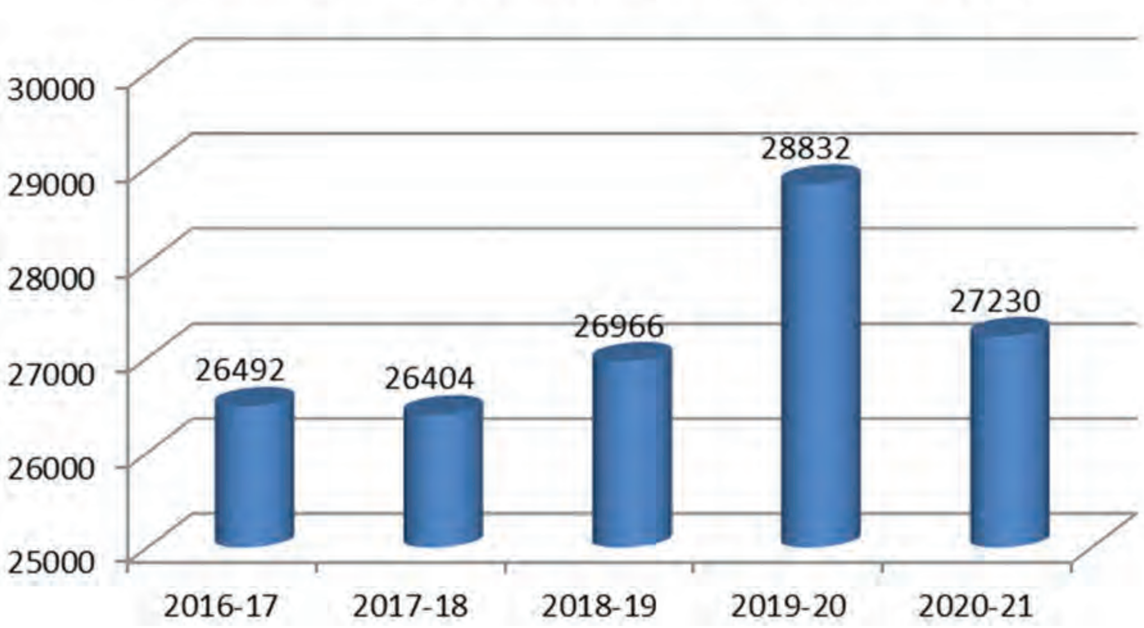

ग) शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकः

निम्नलिखित तालिका उन **शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदकों** की सूची प्रदान करती है जिन्होंने 2020–21 के दौरान भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। यह देखा गया है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड इस वर्ष एक हजार दो सौ से अधिक आवेदनों के साथ इस सूची में अग्रणी रहा।

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

क्र.सं.	संगठन का नाम	आवेदनों की संख्या
1	सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड	1255
2	क्वालकम इंकॉरपोरेटेड	1079
3	हुआवि टेक्नोलॉजी क. लि	1048
4	गुयांगोंग ओप्पो मोबाइल टेलिकम्यूनिकेशंस कॉर्प. लिमिटेड	661
5	टेलेफोनाक्टिबोलागेट एलएम एरिक्सन (पीयूबीएल)	431
6	माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग, एलएलसी	418
7	कोनिनक्लीके फिलिप्स एन.वी.	313
8	एथिकॉन एलएलसी	277
9	नोकिया टेक्नोलॉजीज ओए	263
10	बीजिंग श्याओमी मोबाइल सॉफ़्टवेयर कं, लि.	258

शीर्ष 10 विदेशी प्रवासी आवेदक

टिप्पण: आंकड़े दाखिल आवेदनों की संख्या दर्शाते हैं

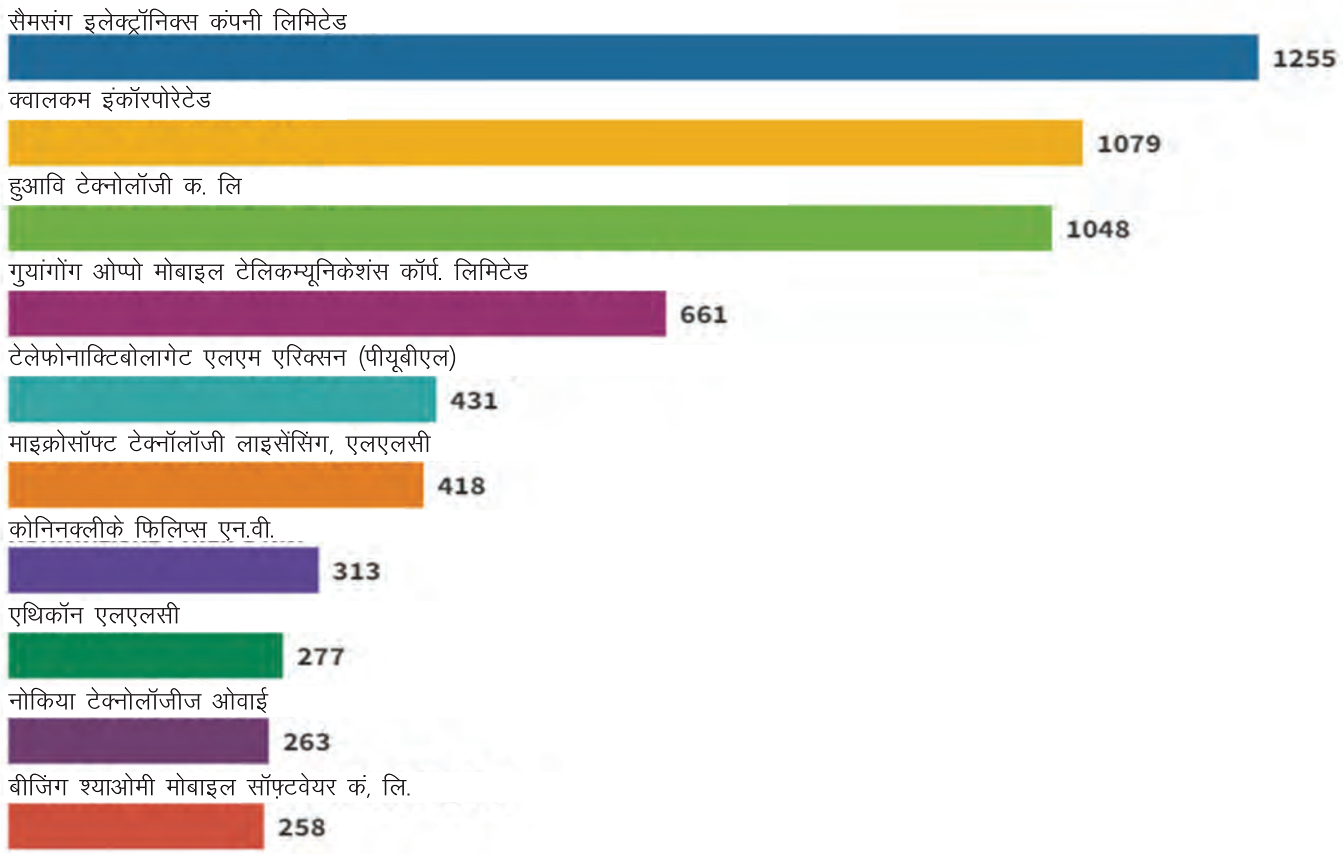

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों का विवरण परिशिष्ट–ख (भारत में उद्गम राज्य के अनुसार वर्गीकृत) व **परिशिष्ट–ख1** (उद्गम देश के अनुसार वर्गीकृत) में दर्शाया गया है।

2011–12 से 2020–21 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों से भारतीय प्रवासियों एवं अप्रवासियों से प्राप्त पेटेंट आवेदनों की संख्या **परिशिष्ट–ग** में दर्शायी गई है।

विगत पाँच के दौरान रसायन, विद्युत, यांत्रिक, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि पर विषयवार दाखिल आवेदनों का विवरण **परिशिष्ट–ङ** तथा **ङ1** में प्रदत्त सारणी द्वारा दिखाया गया है।

3. परीक्षित आवेदनों की कुल संख्या:

कार्यालय ने गत वर्ष के 80080 परीक्षित आवेदनों की तुलना में, वर्ष के दौरान 73165 आवेदनों का परीक्षण किया। यह लगभग 8% की कमी है जो मुख्य रूप से कोविड –19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति और उसके लिए अपनाए गए प्रोटोकॉल के कारण थी।

4. परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का कुल निपटान:

गत वर्ष के 55945 की तुलना में वर्ष के दौरान **52755** परीक्षण हेतु अनुरोध (आरक्यू) का निपटान किया गया, जो निपटान में **5.70%** की गिरावट को दर्शाता है जिसमें अनुदानित, अस्वीकृत, धारा 21(1) के तहत परित्यक्त व आहरित आवेदन शामिल हैं।

5. अनुदानित तथा प्रवृत्त पेटेंट:

वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट की कुल संख्या **28385** रही, जिनमें से **5629** भारतीय आवेदकों को अनुदानित किए गए। वर्ष के दौरान अनुदानित पेटेंट 2019–20 के दौरान अनुदानित पेटेंट (24936) से 14% अधिक रहे।

31 मार्च 2021 तक प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **98898** रही जिनमें से **15687** पेटेंट भारतीयों के नाम थे।

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान दाखिल आवेदनों की संख्या, परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोधों की संख्या, परित्यक्त हुआ सा मान लिए गए आवेदन तथा पेटेंट अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदन एवं प्रवृत्त पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–घ** में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष 2016–17 से 2020–2021 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान आविष्कार के विभिन्न क्षेत्रों के तहत अनुदानित पेटेंट की संख्या **परिशिष्ट–च** व **च1** में प्रदर्शित की गई है।

6. शीघ्र परीक्षण स्थिति:

शीघ्र परीक्षण की सुविधा प्रारम्भ में स्टार्टअप और पेटेंट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी, जहां आवेदकों ने अपने संबंधित पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईएसए / आईपीईए के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन किया है। पेटेंट नियमों में संशोधन करके आवेदकों की 8 और श्रेणियों को 17 सितंबर, 2019 से इसमें शामिल कर लिया गया है। आवेदकों की नई श्रेणियों में लघु, मध्यम उद्यम, महिला आवेदक, सरकारी विभाग, केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थान है, जो सरकार के स्वामित्व में है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित है, सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा सारवान रूप से वित्तपोषित संस्थान तथा पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाइवे (पीपीएच) के अधीन दाखिल आवेदन शामिल हैं।

शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोधों की फाइलिंग में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जिसका कारण है कि इस श्रेणी के तहत आवेदनों का परीक्षण और संसाधन अतिशीघ्र किया जाता है जिससे अधिकांश मामलों में अनुदान/अंतिम निपटान सामान्य परीक्षण मार्ग में अपेक्षित कुछ वर्षों की अवधि की तुलना में शीघ्र परीक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के औसत समय के भीतर हो जाता है।

शीघ्र परीक्षण हेतु प्राप्त अनुरोध, परीक्षित व निपटान का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है जिसमें नई श्रेणियों को "अन्य" के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष	शीघ्र परीक्षण हेतु दाखिल अनुरोध				अनुदानित पेटेंट				अस्वीकृत			
	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल	स्टार्ट अप	आईएसआर हेतु आवेदक	अन्य	कुल
2016–17	45	90	लागू नहीं	135	1	8	लागू नहीं	9	0	0	लागू नहीं	0
2017–18	136	162	लागू नहीं	298	17	39	लागू नहीं	56	8	1	लागू नहीं	9
2018–19	294	318	लागू नहीं	612	102	187	लागू नहीं	289	34	23	लागू नहीं	57
2019–20	408	311	304	1023	189	235	5	429	53	57	0	110
2020–21	**433**	**331**	**802**	**1566**	**252**	**212**	**283**	**747**	**57**	**48**	**24**	**129**
कुल	**1316**	**1212**	**1106**	**3634**	**561**	**681**	**288**	**1530**	**152**	**129**	**24**	**305**

7. भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनः

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईएन) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय में भारतीय आवेदकों द्वारा पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) के तहत दाखिल अन्तर्राष्ट्रीय आवेदनों की कुल संख्या निम्नवत है (इस संख्या में वे अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन शामिल नहीं है जो भारतीय आवेदकों द्वारा सीधे वाइपो के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में दाखिल किए गए हैं):

वर्ष	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी	कुल
2016–17	272	472	**744**
2017–18	274	490	**764**
2018–19	336	630	**966**
2019–20	351	668	**1019**
2020–21	**332**	**722**	**1054**

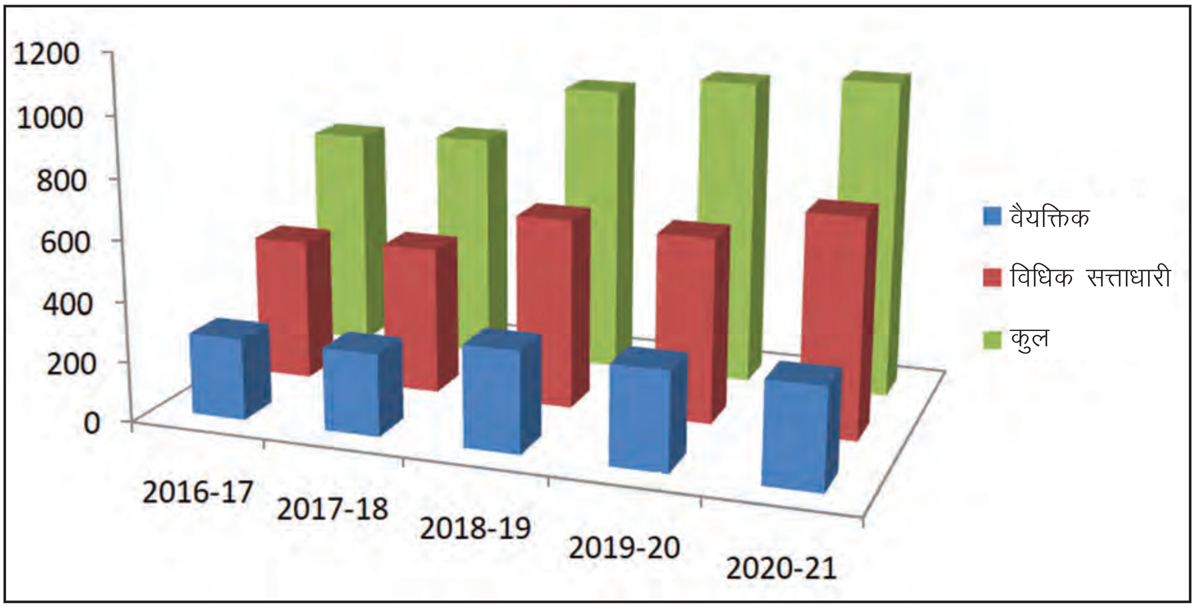

8. पेटेंट अधिनियम व नियमों के तहत विविध कार्यवाहियाँः

(क) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आविष्कारः वर्ष के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 4 के तहत **245** आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रेषित किए गए जिनमें से **2** आवेदन परमाणु ऊर्जा से संबद्ध पाए गए, जबकि **24** आवेदन सामान्य शासकीय कार्यवाही के तहत प्रक्रियागत करने के लिए अनुमत्त हुए तथा वर्ष के अंत तक शेष आवेदन परमाणु ऊर्जा विभाग के समक्ष विचारार्थ लंबित रहे।

(ख) धारा 11(क) के तहत पेटेंट आवेदनों का प्रकाशनः वर्ष 2020–21 के दौरान, पेटेंट अधिनियम की धारा 11(क) के तहत **52764** आवेदन प्रकाशित किए गए, जिनमें **10302** वैसे आवेदन शामिल हैं जिनके लिए शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध प्राप्त किए गए थे। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित पेटेंट आवेदनों की संख्या संबंधी वर्षानुसार विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
धारा 11 क के तहत प्रकाशन	84300	43402	42281	44297	42462
शीघ्र प्रकाशन	2466	3497	4064	6526	10302
कुल	**86766**	**46899**	**46345**	**50823**	**52764**

(ग) अनुदानपूर्व आपत्ति (धारा 25(1) के तहत): वर्ष के दौरान अनुदानपूर्व आपत्ति के रूप में **583** आवेदन प्राप्त हुए व **313** अनुदानपूर्व आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया।

(घ) अनुदानोत्तर आपत्ति (धारा 25(2) के तहत): वर्ष के दौरान, **41** अनुदानोत्तर आपत्तियाँ दाखिल की गईं। **13** अनुदानोत्तर आपत्तियों का निष्पादन वर्ष के दौरान कर दिया गया

(ङ) गोपनीयता निदेश (धारा 35 के तहत): वर्ष के दौरान, **113** पेटेंट आवेदन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को उन आविष्कारों के रक्षा उद्देश्य से संबद्ध होने विषयक विचार देने हेतु प्रेषित किए गए। वर्ष के दौरान, **54** आवेदनों को सामान्य कार्यवाही हेतु अनुमत्त किया गया। जहां **1** आवेदन को डीआरडीओ द्वारा आगे बढ़ने के लिए अस्वीकृत कर दिया गया, वहीं शेष आवेदन वर्ष के अंत तक डीआरडीओ के विचारार्थ प्रक्रियाधीन थे।

(च) देश से बाहर आवेदन करने की अनुमति (धारा 39 के तहत): वर्ष के दौरान, **6475** ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जिनमें फॉर्म 25 पर भारत के बाहर पेंटेट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई थी, जबकि **6397** आवेदनों के संबंध में अनुमति प्रदान की गई।

(छ) व्यपगत पेटेंट का प्रत्यावर्तन (धारा 60 के तहत): 2020–21 के दौरान पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए **132** आवेदन प्राप्त हुए व **102** पेटेंट प्रत्यावर्तित किए गए।

(ज) समनुदेशन, मोर्गेज, लाइसेंस आदि (धारा 68 तथा 69 के तहत): इस धारा के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए **1795** मामले प्राप्त हुए व वर्ष के दौरान **1232** आवेदनों का निपटान किया गया।

(झ) जारी पेटेंट (धारा 146 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान फॉर्म–27 पर जारी पेटेंट के **58633** कथन प्राप्त किए गए जिनमें से **13924** पेटेंट को जारी रहने के रूप में दर्शाया गया था। विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सूचना का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
प्रवृत्त पेटेंट	48765	56764	64686	81279	**98839**
प्राप्त फॉर्म–27	42870	46618	51104	57192	**58633**
जारी रहने के रूप में दर्शाया हुआ	11318	12246	14277	16181	**13924**

(ञ) अनिवार्य लाइसेंस (धारा 84, 92 तथा 92–क के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान **एक** अनिवार्य लाइसेंस के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुआ।

(ट) सूचना (धारा 153 के तहत): वर्ष के दौरान, पेटेंट नियम, 2003 (यथा संशोधित) के नियम 134 में यथा प्रदत्त इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पेटेंट संबंधी सूचना की आपूर्ति के लिए पेटेंट कार्यालय को **52** अनुरोध प्राप्त हुए।

ठ) पेटेंट अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण: वर्ष के दौरान **20** नए पेटेंट अभिकर्त्ताओं का पंजीकरण किया गया। 31 मार्च 2021 तक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या **4141** रही।

9. राजस्व –

पेटेंट कार्यालय ने अधिनियम और नियमों के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए शुल्क के माध्यम से लगभग रु. **623.34** करोड़ का राजस्व अर्जित किया। पेटेंट पर एकत्रित शुल्क का विवरण **परिशिष्ट – छ** में दिया गया है।

10. सामान्य सूचना :–

पेटेंट कार्यालय, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई के वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकालय जनता को परामर्श तथा संदर्भ कार्य के लिए सुविधा प्रदान करते रहे। इन सुविधाओं का विभिन्न अनुसंधान व औद्योगिक संस्थानों के आविष्कारक तथा अन्य जनता के साथ–साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत विद्वानों ने उपयोग किया।

वर्तमान में पेटेंट कार्यालय, सीडी–रोम्स, पुस्तकों और जर्नल के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी ई–जर्नल प्राप्त करता है। भारत और विदेश के पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट विनिर्देश और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से खोज संचालित करने हेतु हजारों लोग पेटेंट कार्यालय के पुस्तकालयों का दौरा करते हैं।

पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट www-ipindia-nic-in पर प्रदत्त निःशुल्क ऑनलाइन इंटरनेट खोज सुविधा का हितधारकों और सर्वसाधारण ने भी व्यापक लाभ उठाया।

11. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनाः

वर्ष के दौरान, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए **132** अनुरोध प्राप्त किए गए और अधिनियम के तहत प्रदत्त समय–सीमा के अनुसार सभी अनुरोधों पर उपयुक्त कार्यवाही की गई।

<u>परिशिष्ट–क</u>

परीक्षक एकस्व का विषयवार वितरण

क्र.सं.	विषय	परीक्षकों की संख्या
1	जैव रसायन	09
2	जैव प्रौद्योगिकी	23
3	जैव चिकित्सा अभियंत्रणा	19
4	रसायन	112
5	सिविल अभियंत्रणा	09
6	कम्प्यूटर एवं आई टी अभियंत्रणा	62
7	वैद्युतिक व इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रणा	168
8	खाद्य प्रौद्योगिकी	05
9	यांत्रिकी अभियंत्रणा	124
10	धातुकर्म अभियंत्रणा	12
11	भौतिकी	45
12	पॉलीमर	19
13	वस्त्र	06
	कुल	**613**

परिशिष्ट ख

उद्गम राज्य के अनुसार वर्ष 2019–20 की तुलना में 2020–21 में दाखिल किए गए पेटेंट आवेदन

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
अंडमान – निकोबार	3	4	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	708	482	0	1	1	1
अरुणाचल प्रदेश	18	9	0	0	0	0
असम	96	102	0	0	0	0
बिहार	62	50	0	0	0	0
चंडीगढ़	311	170	0	0	0	1
छत्तीसगढ़	80	77	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	2	0	0	0	0	0
दादरा और नागर हवेली और दमन–दीव	3	1	0	0	0	0
दमन – दीव	1	5	0	0	0	0
दिल्ली	1585	1428	11	3	12	9
गोवा	37	36	0	1	0	0
गुजरात	906	867	3	1	12	17
हरियाणा	744	663	14	3	7	6
हिमाचल प्रदेश	144	141	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	87	45	0	0	0	0
झारखंड	196	185	3	0	0	0
कर्नाटक	2744	2192	2	9	38	29
केरल	426	359	0	0	0	2
लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	395	284	1	1	2	0
महाराष्ट्र	4136	4689	9	10	69	42
मणिपुर	6	12	0	0	0	0
मेघालय	9	16	0	0	0	0
मिजोरम	12	11	0	0	0	0
नागालैंड	4	3	0	0	0	0
लागू नहीं	1	0	0	0	1	0
उड़ीसा	377	301	0	0	0	0
पुडुचेरी	139	59	0	0	0	0
पंजाब	1649	1433	0	1	1	1
राजस्थान	434	269	1	3	14	1

सिक्किम	11	6	0	0	0	1
तमिलनाडु	3926	3523	9	9	10	14
तेलगांना	1643	1210	4	6	15	23
त्रिपुरा	13	20	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2310	1172	2	0	5	4
उत्तराखंड	355	209	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	505	610	0	1	0	1
कुल	**24079**	**20642**	**59**	**49**	**188**	**152**

<u>परिशिष्ट–ख 1</u>

वर्ष 2019–20 की तुलना में 2020–21 में दाखिल उद्‌गम देश के अनुसार वर्गीकृत पेटेंट आवेदन

राष्ट्रमंडल देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
यू.के.	69	56	55	37	841	866
ऑस्ट्रेलिया	8	3	9	4	256	309
कनाडा	28	10	22	16	300	291
श्रीलंका	2	0	0	0	3	0
आयरलैंड	120	91	48	68	80	98
न्यूजीलैंड	4	3	2	0	37	39
समोआ	1	0	0	1	0	2
कुल	**232**	**163**	**136**	**126**	**1517**	**1605**

उत्तर व दक्षिण अमेरिका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
यू.एस.ए.	1708	1337	548	509	8231	8718
मैक्सिको	0	0	0	1	36	27
ब्राजील	0	1	2	9	47	48
बरमूडा	0	0	0	0	4	8
केमन आइलैंड	5	1	1	2	81	361
वर्जिन आइलैंड्स	0	0	0	0	2	8
क्यूबा	0	0	0	0	4	1
कोलंबिया	0	0	0	0	3	4
अर्जेन्टीना	0	2	0	0	1	1

चिली	8	0	2	1	11	13
बहामास	0	0	0	1	1	0
बारबाडोस	1	0	1	0	5	9
पेरु	0	0	0	0	2	3
उरुग्वे	0	0	0	0	2	1
कोस्टा रीका	0	0	0	0	1	1
पनामा	0	0	0	0	1	1
सेंट किट्स एंड नेविस	0	0	0	0	5	3
उत्तर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देश	0	1	0	0	37	49
कुल	**1722**	**1342**	**554**	**523**	**8474**	**9256**

परिशिष्ट–ख1 (जारी)

यूरोप

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
इटली	8	11	80	73	468	485
जर्मनी	316	326	326	309	1947	2065
बेल्जियम	1	7	4	9	254	247
फ्रांस	69	80	119	145	857	951
स्पेन	3	1	33	20	123	142
स्विट्जरलैंड	138	138	114	138	832	796
फिनलैंड	103	63	56	24	297	191
आस्ट्रिया	0	0	8	20	230	237
नीदरलैंड्स	73	53	14	22	907	1177
स्वीडन	20	58	21	13	696	842
डेनमार्क	21	18	23	14	327	309
पुर्तगाल	0	0	1	0	22	13
हंगरी	0	0	2	1	18	24
लग्जमबर्ग	2	0	11	4	98	99
रूस	1	0	4	1	51	79
रोमानिया	0	0	0	0	2	3
तुर्की	0	1	3	3	30	43
स्लोवेनिया	0	0	0	0	5	12
नार्वे	2	0	2	6	92	77
साइप्रस	0	0	0	1	8	4

पोलैंड	0	1	2	6	39	30
बुल्गारिया	2	1	1	1	6	7
आइस लैंड	0	0	0	0	2	1
चेक गणराज्य	3	3	3	4	15	15
लिक्टन्स्टाइन	0	0	3	2	10	13
यूक्रेन	0	2	0	0	6	7
स्लोवाकिया	0	0	1	0	3	22
ग्रीस	0	1	1	0	14	21
माल्टा	0	21	0	0	4	14
इस्टोनिया	0	0	0	1	2	1
मोनाको	0	0	0	0	5	0
बेलारूस	0	0	0	0	1	5
ब्रिटिश आइल्स	0	0	0	0	1	3
गिबरालतार	0	0	0	0	1	1
चैनल द्वीप	3	0	0	0	1	0
हॉलैंड	6	0	0	0	0	0
अन्य यूरोपीय देश और यूरोपीय संघ	3	0	1	9	18	17
कुल	**774**	**785**	**833**	**826**	**7392**	**7953**

<u>परिशिष्ट–ख1 जारी</u>

अफ्रीका

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
दक्षिण अफ्रीका	2	3	1	4	30	27
मॉरिशस	9	12	2	0	0	4
सेशल्स	0	0	0	0	0	1
स्वाजीलैंड	0	0	0	0	0	1
कीनिया	0	1	0	0	2	0
इजिप्ट	0	0	0	0	8	8
ज़ाम्बिया	0	0	0	0	0	1
मोरक्को	1	0	0	0	3	2
नामीबिया	0	0	0	0	0	1
अन्य अफ्रीकी देश	10	0	0	0	5	8
कुल	**22**	**16**	**3**	**4**	**48**	**53**

एशिया

देश	साधारण आवेदन		कन्वेंशन आवेदन		राष्ट्रीय फेज आवेदन	
	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20	2020–21	2019–20
जापान	72	88	948	966	3762	3854
अफ़ग़ानिस्तान	0	3	0	0	0	1
कजाखिस्तान	0	0	0	0	3	4
नेपाल	1	0	0	1	0	0
ओमान	6	1	0	0	2	2
बाहरीन	1	0	0	0	0	4
कोरिया गणराज्य	608	582	304	500	1664	1727
चीन	36	35	345	320	3727	3433
इजराइल	8	21	13	20	335	313
ताइवान	23	42	216	263	28	28
जॉर्डन	0	0	0	0	1	1
वियतनाम	0	0	0	0	2	1
सिंगापुर	35	46	14	10	156	144
मलेशिया	4	5	9	6	19	17
यू.ए.ई	5	10	0	1	23	17
थाइलैंड	5	5	2	6	18	32
हाँग–काँग(चीन)	4	2	3	3	21	14
सउदी अरब	6	6	1	0	28	21
ईरान	0	0	0	0	3	5
ब्रूने दारुस्सलम	0	0	0	0	0	1
पाकिस्तान	0	0	0	5	0	0
फिलीपींस	1	0	0	0	2	4
उज्बेकिस्तान	0	0	0	0	0	1
अन्य एशियाई देश	0	2	0	8	5	188
कुल	**815**	**848**	**1855**	**2109**	**9799**	**9812**
कुल योग	**27644**	**23798**	**3441**	**3637**	**27418**	**28831**

पिछले 10 वर्षों में प्रवासी और भारत में रहने वाले द्वारा विभिन्न माध्यमों से दाखिल आवेदन

आवेदक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
भारत में रहने वाले	8921	9911	10941	12071	13066	13219	15550	17005	20843	**24326**
प्रवासी										
साधारण	1031	1144	1228	1461	1915	2084	2290	2777	3156	**3565**
कन्वेंशन	4280	4184	3704	3174	3675	3649	3610	3911	3637	**3382**
पीसीटी के तहत राष्ट्रीय फेज आवेदन	28965	28435	27078	26057	28248	26492	26404	26966	28832	**27230**
कुल योग	**43197**	**43674**	**42951**	**42763**	**46904**	**45444**	**47854**	**50659**	**56468**	**58503**

वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक की अवधि के दौरान पेटेंट संबंधी विविध सूचना

वर्ष	दाखिल आवेदनों की संख्या	परीक्षण हेतु अनुरोधों की नहीं संख्या	पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के कारण परित्यक्त मान लिए गए आवेदनों की संख्या धारा 9 (1	धारा 21 (1) के तहत अननुपालन के कारण परित्यक्त समझे गए आवेदनों की कुल संख्या	अनुदत्त पेटेंट की संख्या		प्रवृत्त पेटेंट की संख्या	
					भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	43197	33811	698	3800	699	3682	7545	32444
2012–13	43674	36247	361	4559	716	3410	8308	35612
2013–14	42951	37474	224	6418	634	3592	7464	35168
2014–15	42763	34958	12	6970	684	5294	7561	35695
2015–16	46904	35960	1226	12782	918	5408	7306	37218
2016–17	45444	38578	4357	10408	1315	8532	7660	41105
2017–18	47854	37208	184	24992	1937	11108	8830	47934
2018–19	50659	38665	3779	30458	2511	12772	9787	54899
2019–20	56267	42007	3761	23291	4003	20933	12181	69098
2020–21	**58503**	**42196**	**295**	**17944**	**5629**	**22756**	**15687**	**83211**

परिशिष्ट– ङ

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत 2016–17 से 2020–21 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–ङ1 देखें)	कुल
2016–17	5911	2122	1158	6443	5315	4141	2693	1048	10715	5898	**45444**
2017–18	6343	2741	1116	6089	5486	4278	2996	1095	11573	6137	**47854**
2018–19	6560	2683	1100	5540	6308	4703	3659	812	12414	6880	**50659**
2019–20	5198	5622	1309	11126	6862	4587	2646	3508	10359	5050	**56267**
2020–21	**8809**	**80**	**1508**	**11930**	**6660**	**3743**	**2842**	**4911**	**10540**	**7480**	**58503**

परिशिष्ट– ङ 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2016–17 से 2020–21 तक दाखिल पेटेंट आवेदनों की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव–प्रौद्योगिकी	जैव–रसायन	खाद्य	माइक्रो–बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो–केमिकल्स	कृषि विज्ञान अभियंत्रणा	पारंपरिक ज्ञान
2016–17	876	258	283	253	777	837	741	1225	319	245	84
2017–18	992	331	344	297	713	795	779	1032	429	338	87
2018–19	882	282	430	301	734	881	956	1537	392	411	74
2019–20	1065	442	1111	17	836	693	816	27	19	13	11
2020–21	**3368**	**820**	**617**	**0**	**870**	**900**	**827**	**31**	**3**	**11**	**6**

परिशिष्ट –च

आविष्कार के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	रसायन	औषध	पॉलीमर व विज्ञान प्रौद्योगिकी	कंप्यूटर विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स	संचार	वैद्युतिक	भौतिकी	जैव चिकित्सा	यांत्रिकी अभियंत्रणा	अन्य क्षेत्र (परिशिष्ट–च1 देखें)	कुल
2016–17	2673	551	562	1049	805	579	260	167	1939	1262	**9847**
2017–18	3376	733	747	1028	1031	818	568	150	2514	2080	**13045**
2018–19	4242	761	701	1074	1414	1253	703	290	2857	1988	**15283**
2019–20	4848	1930	923	2141	2692	2451	1349	565	5301	2736	**24936**
2020–21	**6074**	**1264**	**1745**	**2049**	**2857**	**2637**	**1396**	**703**	**6348**	**3312**	**28385**

परिशिष्ट–च 1

आविष्कार के अन्य विविध क्षेत्रों के अंतर्गत 2016–17 से 2020–21 तक अनुदानित पेटेंट की संख्या

आविष्कार का क्षेत्र / वर्ष	जैव–प्रौद्योगिकी	जैव–रसायन	खाद्य	माइक्रो–बायोलॉजी	धातुकर्म व सामग्री	वस्त्र	सिविल	सामान्य अभियंत्रणा	एग्रो–केमिकल्स	कृषि विज्ञान अभियंत्रणा
2016–17	333	73	71	81	182	93	100	228	97	4
2017–18	546	142	106	108	429	179	124	297	125	24
2018–19	457	161	76	104	272	212	155	303	215	33
2019–20	357	188	114	152	363	493	280	446	289	54
2020–21	**574**	**236**	**169**	**151**	**634**	**443**	**412**	**378**	**236**	**79**

परिशिष्ट – छ

अधिनियम व नियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के संदर्भ में वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त शुल्क

क्र. सं.	एकत्रित शुल्क का संदर्भ	प्राप्त कुल राशि (रु.)
1	1–अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश के साथ पेटेंट के लिए नया आवेदन पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	1,96,35,40,740.00
2	2–अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण–फॉर्म 2 पृष्ठों व दावों की संख्या का निरीक्षण	2,91,90,280.00
3	4(i)–धारा 53(2) व 142(4), नियम 13(6), 80(1क) व 130 के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर – फॉर्म 4	81,43,630.00
4	4(ii)–नियम 24 ख के उपनियम (5) के अंतर्गत समय विस्तार हेतु अनुरोध पर–फॉर्म 4	6,00,29,500.00
5	6–उत्तर दिनांकन के लिए आवेदन	13,51,440.00
6	8(i)–आवेदक का प्रतिस्थापन/परिवर्तन–फॉर्म 6	2,14,20,400.00
7	8(ii)–उत्तरजीवी/अन्य पक्ष के नाम पर कार्यवाही करने का अनुरोध	48,800.00
8	9–विरोध की सूचना–फॉर्म 7 (अनुदानोत्तर)	4,11,000.00
9	10–सुनवाई में उपस्थिति हेतु सूचना–कोई फॉर्म नहीं	80,300.00
10	11–किसी पेटेंट में आविष्कारक के रूप में उल्लेख–फॉर्म 8	38,53,760.00
11	12–शीघ्र प्रकाशन हेतु अनुरोध–फॉर्म 9	5,48,77,700.00
12	पेटेंट का नवीकरण	2,93,12,87,490.00
13	18(i)–अनुदान पूर्व आवेदन का संशोधन–फॉर्म 13	3,71,74,080.00
14	18(ii)–अनुदानोत्तर आवेदन का संशोधन–फॉर्म 13	4,54,550.00
15	18(iii)–नाम/पता/राष्ट्रीयता/सेवार्थ पते में संशोधन–फॉर्म 13	1,99,50,910.00
16	19–संशोधन/प्रत्यावर्तन/परित्याग का विरोध–फॉर्म 14	24,000.00
17	20–पेटेंट का प्रत्यावर्तन–फॉर्म 15	13,05,000.00
18	21–प्रत्यावर्तन हेतु अतिरिक्त शुल्क	20,89,600.00
19	22–पेटेंट परित्याग का प्रस्ताव	5,000.00
20	24–पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए–फॉर्म 16	1,41,51,350.00
21	25–पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के बदलाव के लिए	39,19,310.00
22	26–अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि हेतु	5,600.00
23	27–अनिवार्य लाइसेन्स हेतु आवेदन–फॉर्म 17	12,000.00
24	28(i)–18 महीने के प्रकाशन के उपरांत परीक्षण हेतु अनुरोध–फॉर्म 18	70,59,10,200.00
25	28(ii)–त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध–फॉर्म 18	3,00,10,400.00

26	32–पेटेंट अभिकर्ता के रूप में पंजीकरण–फॉर्म 22	46,600.00
27	33–अभिकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुरोध	20,41,600.00
28	34(i)–रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना–प्रथम वर्ष	11,680.00
29	34(ii)–रजिस्टर में अभिकर्ता नाम जारी रखना–द्वितीय वर्ष से	31,47,840.00
30	35–पेटेंट अभिकर्ता के लिए अनुलिपि प्रमाण पत्र	3,350.00
31	36–रजिस्टर में अभिकर्ता के नाम का प्रत्यावर्तन–फॉर्म 23	1,19,250.00
32	37–लिपिकीय त्रुटियों का सुधार	21,67,040.00
33	38–नियंत्रक के निर्णय की समीक्षा हेतु आवेदन–फॉर्म 24	8,57,700.00
34	39–भारत के बाहर पेटेंट आवेदन करने हेतु अनुमति–फॉर्म 25	2,26,61,650.00
35	40–प्रतिलिपि पेटेंट हेतु आवेदन (एलपी)	32,000.00
36	41–धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रति अथवा धारा 147 व नियम 133(1) के अधीन प्रमाण पत्र	1,84,70,480.00
37	42–कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन हेतु, प्रत्येक मुद्रण	1,27,200.00
38	43–रजिस्टर की जांच हेतु अनुरोध	9,920.00
39	44–सूचना हेतु अनुरोध	1,34,880.00
40	46–पूर्विक्ता दस्तावेज़ दाखिल करने में देरी/अनियमितता ठीक करने/देरी ठीक करने हेतु याचिका	20,20,30,550.00
41	47–दस्तावेज़ की छायाप्रति की आपूर्ती	20,460.00
42	48–अंतर्राष्ट्रीय आवेदन हेतु पारेषण शुल्क	18,47,400.00
43	49–पूर्विक्ता दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति तैयार करना	6,67,115.00
44	विविध–फॉर्म 30	11,61,421.00
45	गैर राजस्व	3,53,694.00
46	सूचना का अधिकार	270.00
47	फॉर्म 28	800.00
48	4(iii) नियम 24(ग) के उप नियम 11 के अंतर्गत समय के विस्तार हेतु अनुरोध–फॉर्म 4	2,75,000.00
49	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण हेतु अनुरोध का शीघ्र परीक्षण में परिवर्तन–फॉर्म 18 क	2,26,83,000.00
50	नियम 129 क के अंतर्गत सुनवाई के स्थगन हेतु अनुरोध	1,60,99,900.00
51	धारा 72 के अधीन सत्यापित प्रतियाँ अथवा धारा 147 व नियम 133 (2) के अंतर्गत प्रमाण पत्र	63,38,700.00
52	आवेदक के प्रकार में परिवर्तन से संबन्धित बकाया शुल्क	95,70,554.00
53	दावे, पृष्ठ, संशोधन के उपरांत सीक्वेंस लिस्टिंग में वृद्धि से संबन्धित शुल्क	3,14,20,419.00

54	1. विरोधी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	22,000.00
55	1. पेटेंटी का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	4,000.00
56	1. आवेदक का लिखित कथन एवं साक्ष्य (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)/2. हलफ़नामा (चौथी अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 6 में देय शुल्क)	5,000.00
57	कार्यालय कार्रवाई का उत्तर (अनिवार्य)	16,75,038.00
58	गैर राजस्व (वेतन गैर–योजना)	1,56,211.00
59	गैर राजस्व (चिकित्सा)	9,069.00
60	गैर राजस्व (कार्यालय व्यय गैर–योजना)	4,000.00
61	अन्य प्राप्ति	36,596.00
62	विविध–फॉर्म 30 (नियम 6(6) के अधीन याचिका)	8,870.00
	कुल	**6,23,34,68,297.00**

पेटेंट सहयोग संधि

परिचय

7 सितंबर 1998 को भारत ने पेंटेट सहयोग संधि (पीसीटी) का अधिमिलन प्रपत्र जमा किया जो 7 दिसबंर, 1998 से भारत में कार्यात्मक हुआ है। इस संधि को डब्ल्यूआईपीओ (वाइपो) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सदस्य देशों के आवेदकों को 153 देशों में पेटेंट अनुदान हेतु एकल अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका एक और लाभ यह है कि यह प्रत्येक देश में राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खोज रिपोर्ट (आईएसआर) और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट (आईपीईआर) प्रदान करता है। आईएसआर और आईपीईआर को विश्व के पेटेंट कार्यालयों में से एक द्वारा उच्चगुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित मानकों के अनुसार स्थापित किया जाता है, जो पेटेंट आवेदनों की जांच करने में अत्यधिक अनुभवी है और जिसे विशेष रूप से वाइपो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।

1. पीसीटी के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय :

भारत पीसीटी का सदस्य बना व भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने 1998 से प्राप्तकर्ता कार्यालय के रूप में कार्य प्रारम्भ किया है। पीसीटी के तहत, प्रवासी या भारत का नागरिक पीसीटी के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (रिसीविंग ऑफिस) (आरओ/आईएन) अथवा वाइपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के माध्यम से प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ/आईबी) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल कर सकता है।

(क) आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों/प्रवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

वर्ष	आरओ/आईएन आवेदक का प्रकार		कुल	आरओ/आईबी आवेदक का प्रकार		कुल	कुल योग (आरओ/आईएन व आरओ/आईबी)
	वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		वैयक्तिक	विधिक सत्ताधारी		
2016–17	472	272	744	276	523	799	1543
2017–18	274	490	765	360	577	937	1701
2018–19	336	630	966	503	558	1061	2027
2019–20	351	668	1019	325	540	865	1884
2020–21	**312**	**652**	**964**	**339**	**512**	**851**	**1815**

आरओ/आईएन और आरओ/आईबी के माध्यम से भारत के नागरिकों/प्रवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति

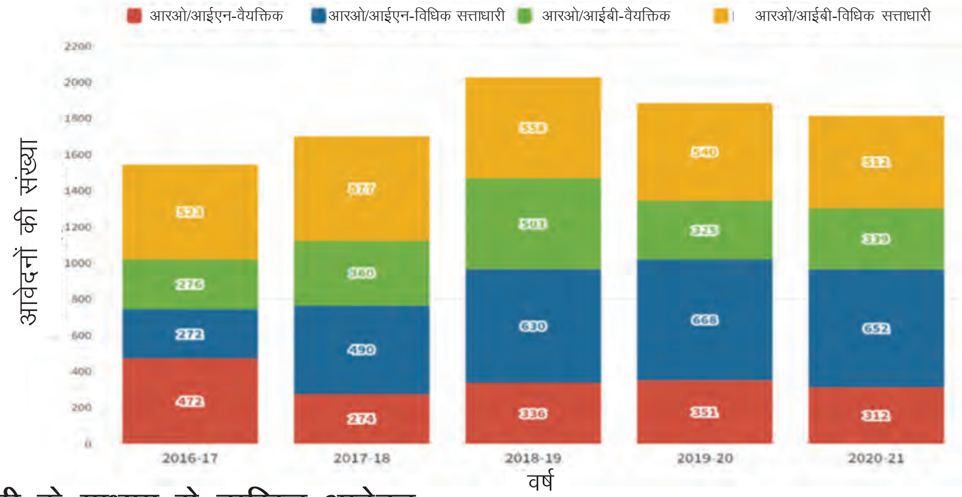

ख) ईपीसीटी के माध्यम से दाखिल आवेदनः

आरओ/आईएन, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के पेटेंट कार्यालयों के काउंटर पर अथवा वाइपो द्वारा प्रस्तुत ईपीसीटी फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आरओ/आईबी के माध्यम से भी कागज पर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी का उपयोग करके आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनः

वर्ष	संख्या	आरओ/आईएन में कुल दाखिल का प्रतिशत
2016–17	473	64%
2017–18	669	88%
2018–19	916	95%
2019–20	976	98%
2020–2021	**951**	**98.6%**

इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईपीसीटी के माध्यम से आरओ/आईएन में दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदन

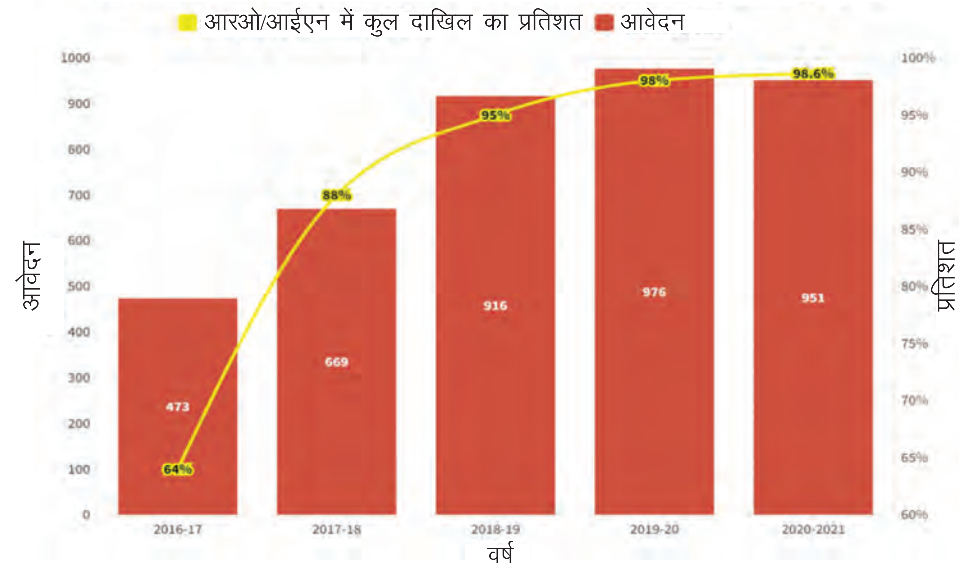

ग) इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही व समयबद्धता:

आरओ/आईएन अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों पर आगे की कार्यवाही के लिए ईपीसीटी का उपयोग करता है और ईपीसीटी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड प्रतियां और खोज प्रतियां प्रेषित करता है। अप्रैल 2017 से इन कार्यों को आईपीओ दिल्ली में केंद्रीकृत किया गया है। ईसर्च प्रतियां आरओ/आईएन द्वारा 7 में से 6 आईएसए को प्रेषित की जाती हैं जिन्हें भारतीय आवेदकों के लिए सक्षम घोषित किया गया है। कोविड 19 महामारी के कारण हुई बाधा के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय फाइलिंग तिथि से 4 सप्ताह की निर्धारित समय सीमा के भीतर वाइपो के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रिकॉर्ड प्रतियां भेजने में समयबद्धता को 2018–19, 2019–20 और 2020–21 में 100% कायम रखा गया।

शीर्ष 10 आवेदकों द्वारा कुल दाखिल

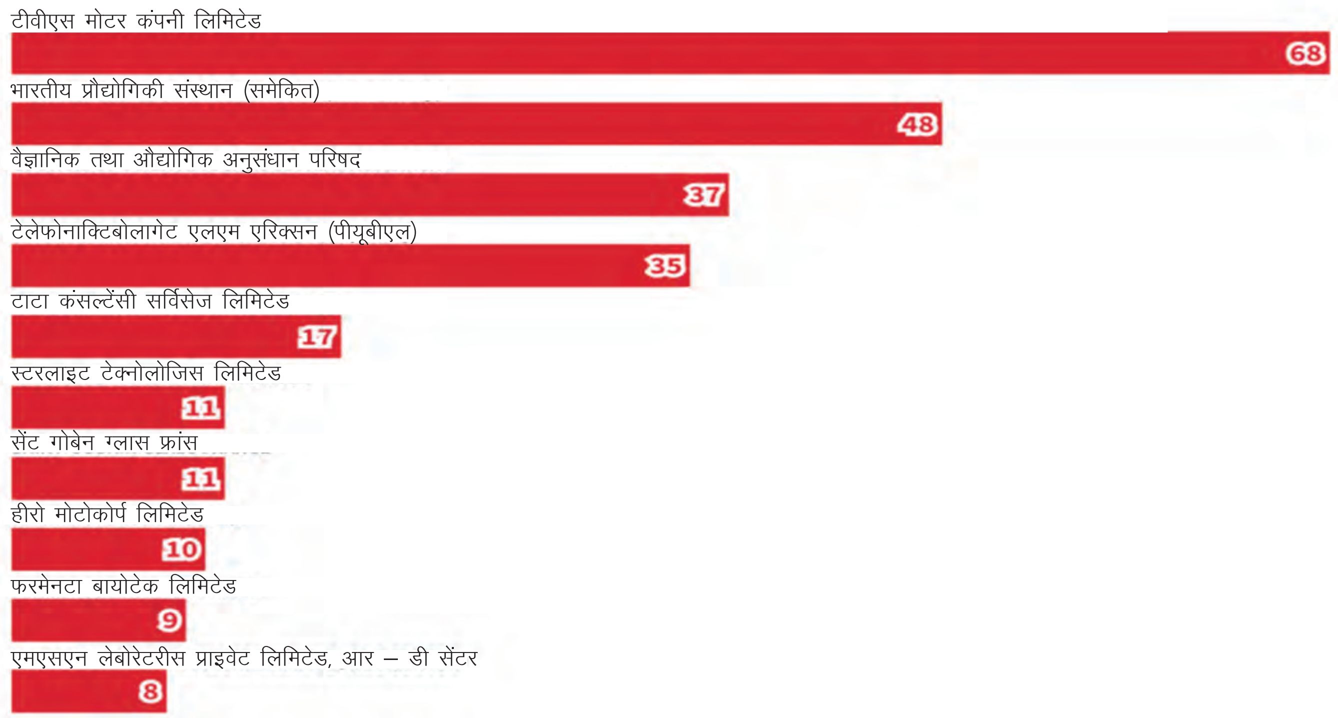

1. पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण (आईएसए) व अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षण प्राधिकरण (आईपीईए) के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय:

भारतीय पेटेंट कार्यालय को वाइपो द्वारा पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है और इसने 15 अक्टूबर 2013 से कार्य करना प्रारम्भ किया है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, भारत और ईरान के नागरिकों /निवासियों के द्वारा दाखिल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए आईपीओ सक्षम आईएसए/आईपीईए था।

क) आईएसए /आईएन में दाखिल, निपटान, आहरित व वर्ष के दौरान के दौरान लंबित खोज प्रतियों संबंधी वर्ष–वार विवरण:

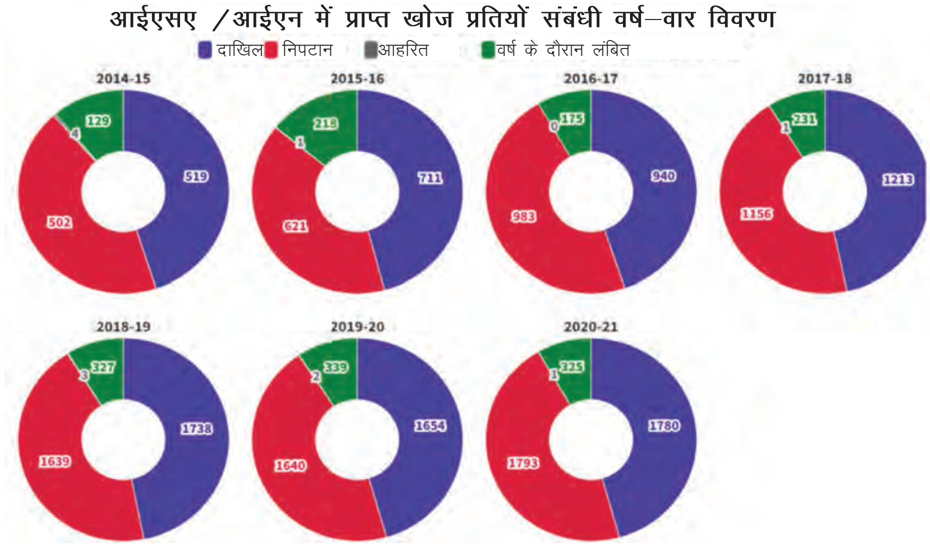

ख) आईपीईए/आईएन में दाखिल, निपटान, आहरित व वर्ष के दौरान लंबित प्राप्त मांगों संबंधी वर्ष–वार विवरण :–

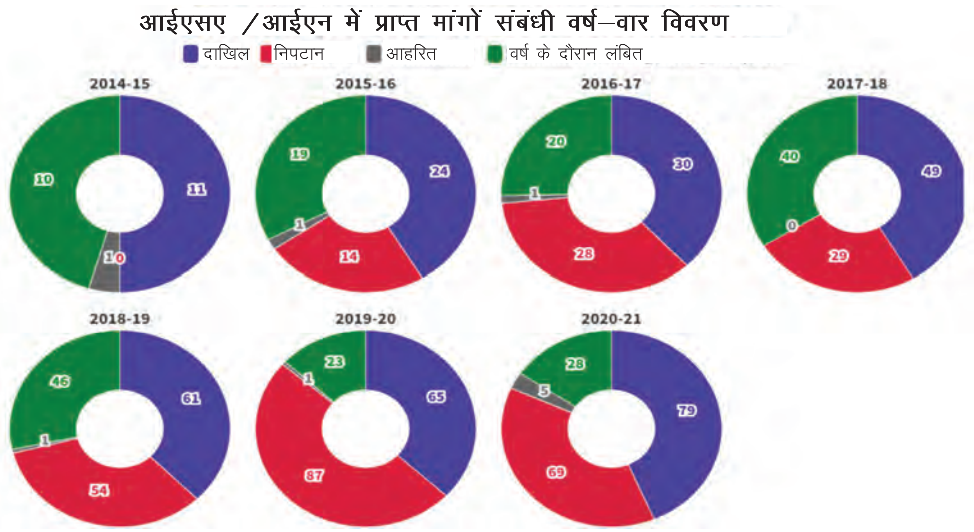

ग) आईएसए/आईपीईए में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:–

भारतीय पेटेंट कार्यालय (आईपीओ) ने पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारंभिक परीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार आईएसए/आईपीईए के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है। आईएसए/आईपीईए के गुणवत्ता सैल में विभिन्न विषय के विशेषज्ञ परीक्षक व नियंत्रक शामिल हैं जो रिपोर्ट की स्थापना व आवेदक तथा वाइपो को रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व रिपोर्ट की गुणवत्ता की जाँच करते हैं।

घ) समयबद्धता: –

रिपोर्ट को स्थापित करने में जिस समयबद्धता को 100% बनाए रखा गया था, वह कोविड 19 महामारी के कारण हुई बाधा से थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन समयबद्धता को जल्द ही कार्यालय द्वारा कड़ी मेहनत से पुनः प्राप्त किया जा सका। अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान समयबद्धता में 80% तक की गिरावट आई थी जिसे नवंबर 2020 तक 100% पर लाया गया। यदि आवेदकों द्वारा ईमेल उपलब्ध कराया गया है तो आईपीओ ईमेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खोज और प्रारम्भिक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करता है और वाइपो के साथ स्थापित सुरक्षित ट्रांसमिशन चैनल पीसीटी–ईडीआई के माध्यम से वाइपो को रिपोर्ट प्रसारित करता है। रिपोर्ट की स्थापना की तारीख पर तुरंत आवेदकों को रिपोर्ट सूचित की जाती है।

ङ) खोज रणनीतियों का प्रकाशन :–

आईपीओ ने अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के लिए डब्ल्यूआईपीओ (वाइपो) के पेटेंट्सस्कोप सर्च पोर्टल पर प्रकाशन हेतु खोज रणनीतियों को साझा करना प्रारम्भ किया है, जिनके लिए 1 जनवरी, 2018 से रिपोर्ट स्थापित की गई हैं। भारत इस सेवा को प्रारम्भ करने वाले 23 प्राधिकरणों में सातवां अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण है। पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में यह आईपीओ द्वारा महत्वपूर्ण कदम है जो आईपीओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आवेदकों का विश्वास पैदा करता है। पूर्ण खोज रणनीतियाँ आवेदक के साथ–साथ अन्य कार्यालयों के परीक्षकों के लिए भी उपयोगी हैं ताकि उद्धरणों को खोजने के लिए आईएसए के परीक्षक द्वारा किए गए प्रयास के स्तर का मूल्यांकन किया जा सके।

च) आईपीओ को आईएसए /आईपीईए के रूप में चयन करने वाले आवेदकः–

पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के आवेदक जो भारत और ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, भारतीय पेटेंट कार्यालय को आईएसए/आईपीईए के रूप में चुन सकते हैं। आईएसए/आईपीईए के रूप में आईपीओ चुनने वाले भारतीय आवेदकों के प्रकार में वैयक्तिक आविष्कारक, स्टार्ट अप, प्रथम अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय बहु–राष्ट्रीय समूह, विदेशी बहु–राष्ट्रीय फर्मों की भारतीय इकाइयाँ और भारतीय आविष्कारक या भारतीय कंपनियों के साथ सह आवेदक विदेशी फर्म शामिल हैं।

आईपीओ को आईएसए /आईपीईए (आईएसए/आईएन) के रूप में चयन करने वाली शीर्ष 10 कंपनियाँ

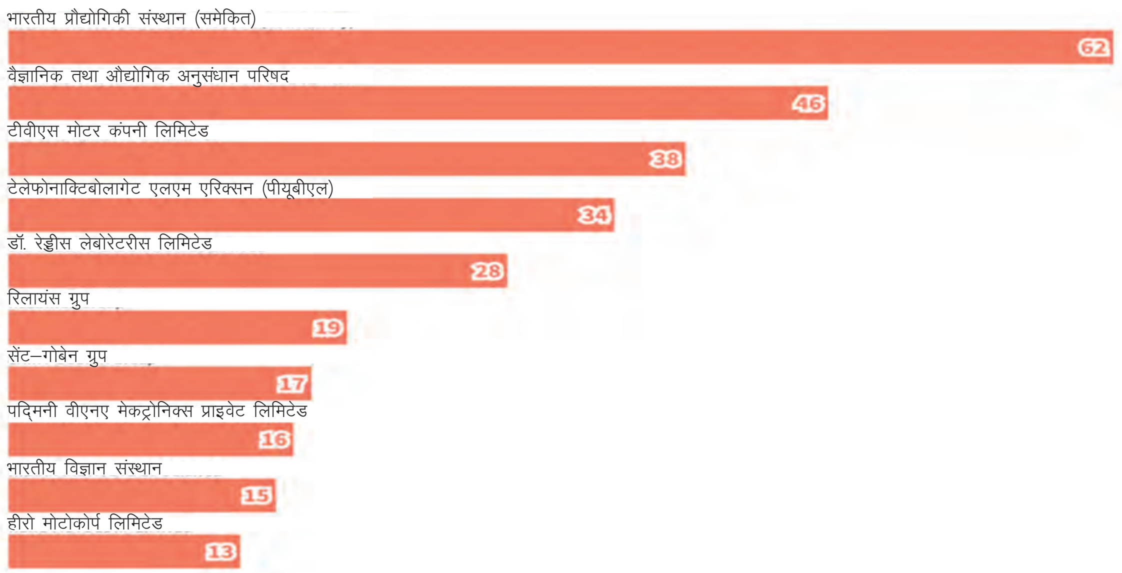

च) ईरान से प्राप्त खोज प्रतियां व मांगें:

वर्ष 2020–21 के दौरान, वे आवेदक जो ईरान के नागरिक/प्रवासी हैं, उनसे आईएसए/आईएन ने 203 खोज प्रतियां प्राप्त कीं और आईपीईए/आईएन ने 5 मांग प्राप्त कीं।

आईएसए (आईएन) में ईरान से गत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त खोज प्रतियां

वर्ष	कुल
2016–17	24
2017–18	86
2018–19	138
2019–20	149
2020–2021	**203**

डिजाइन

परिचयः

भारत में औद्योगिक डिजाइन का पंजीकरण और संरक्षण डिजाइन अधिनियम 2000 तथा तत्संबंधी डिजाइन नियम 2001 द्वारा प्रशासित होता है। पूर्व के 1911 के अधिनियम को निरस्त कर डिजाइन अधिनियम को 11 मई 2001 से लागू किया गया। डिजाइन नियम, 2001 को डिजाइन नियम 2008, डिजाइन नियम 2014 एवं डिजाइन नियम 2021 द्वारा संशोधित किया गया है। औद्योगिक डिजाइन नए आकार की नई मूल विशेषताओं के निर्माण, आकृति, सतह विन्यास, सतह अलंकरण, किसी वस्तु पर पंक्तियों अथवा रंगों की संरचना जो निर्मित होने के उपरांत केवल आँखों से परखी जा सके उसे मान्यता प्रदान करता है।

डिजाइन नियम में अंतिम संशोधन 25 जनवरी 2021 से लागू किया गया है, जिसमें 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता प्राप्त एक नई श्रेणी सम्मिलित की गई है, जो भारतीय इकाई के मामले में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं विदेशी आवेदक के मामले में, आवेदक को स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार टर्नोवर और निगमन या पंजीकरण की अवधि के मानदंडों को पूरा करने के साथ–साथ इस आशय की घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी। यह नवीनतम श्रेणी 'प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), लघु इकाई (इकाइयों) एवं 'अन्य', अकेले या प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) और/या स्टार्टअप और या लघु इकाई के साथ पहले से मौजूद श्रेणियों के अतिरिक्त है। लघु इकाई या स्टार्टअप के लिए शुल्क को भी संशोधित कर प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के शुल्क के समान कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नियम 10 के उपनियम (1) को भी प्रतिस्थापित किया गया है तथा डिजाइन के पंजीकरण और नियमों के प्रयोजन के लिए वस्तुओं को 'विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) द्वारा प्रकाशित औद्योगिक डिजाइन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली (लोकार्नो प्रणाली) के वर्तमान संस्करण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।'

1. दाखिल एवं पंजीकृत डिजाइन आवेदनः

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, डिजाइन पंजीकरण हेतु दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या 14241 रही व 9147 डिजाइन पंजीकृत किए गए। डिजाइन आवेदन दाखिल करने एवं उनके पंजीकरण की प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गयी है।

दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

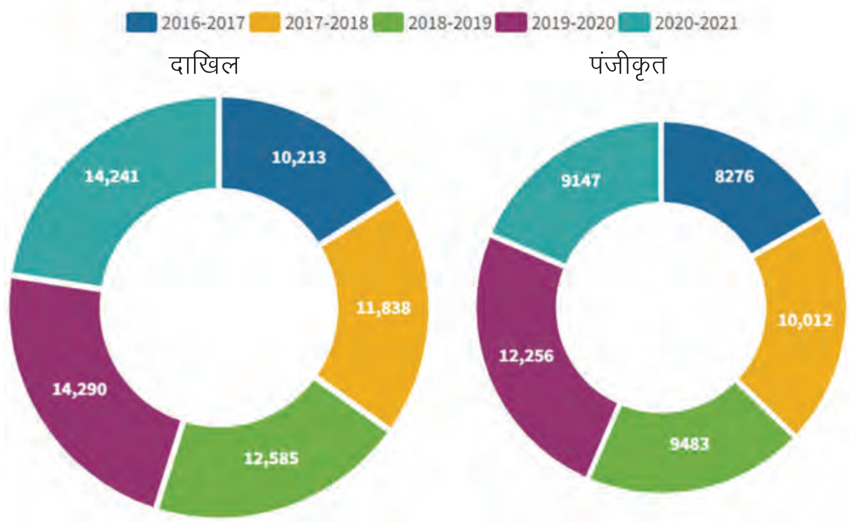

1.1 भारत एवं विदेशों से उद्गमित आवेदन:

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान भारत से उद्गमित आवेदनों की संख्या 10, 594 थी, जबकि 3647 डिजाइन आवेदन विदेशों से प्राप्त हुए। कुल दाखिल आवेदनों में से भारत से उद्गमित आवेदन लगभग 74% रहे। डिजाइन आवेदनों को दाखिल करने एवं आवेदन के उद्गम (ओरिजन) के आधार पर इसके पंजीकरण की प्रवृत्ति को ग्राफ द्वारा नीचे दर्शाया गया है:

उद्गम के आधार पर दाखिल एवं पंजीकृत आवेदनों की प्रवृत्ति

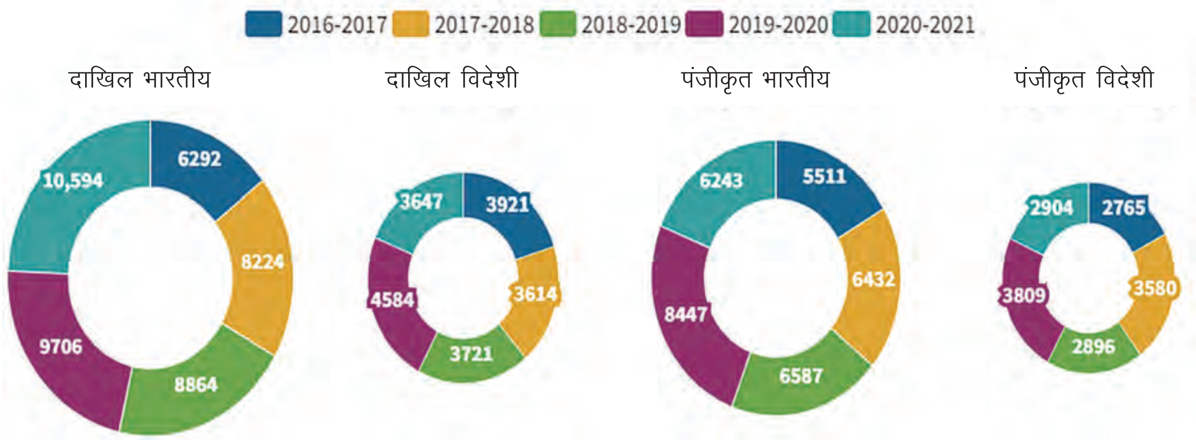

1. 2 भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदन:

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या **10594** रही। जिनमें से, **2160** आवेदनों के साथ गुजरात प्रथम स्थान पर; महाराष्ट्र **2059** आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर व **1535** आवेदनों के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। दाखिल करने वाले दाखिल करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है:

दाखिल डिजाइन आवेदन (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अनुसार)

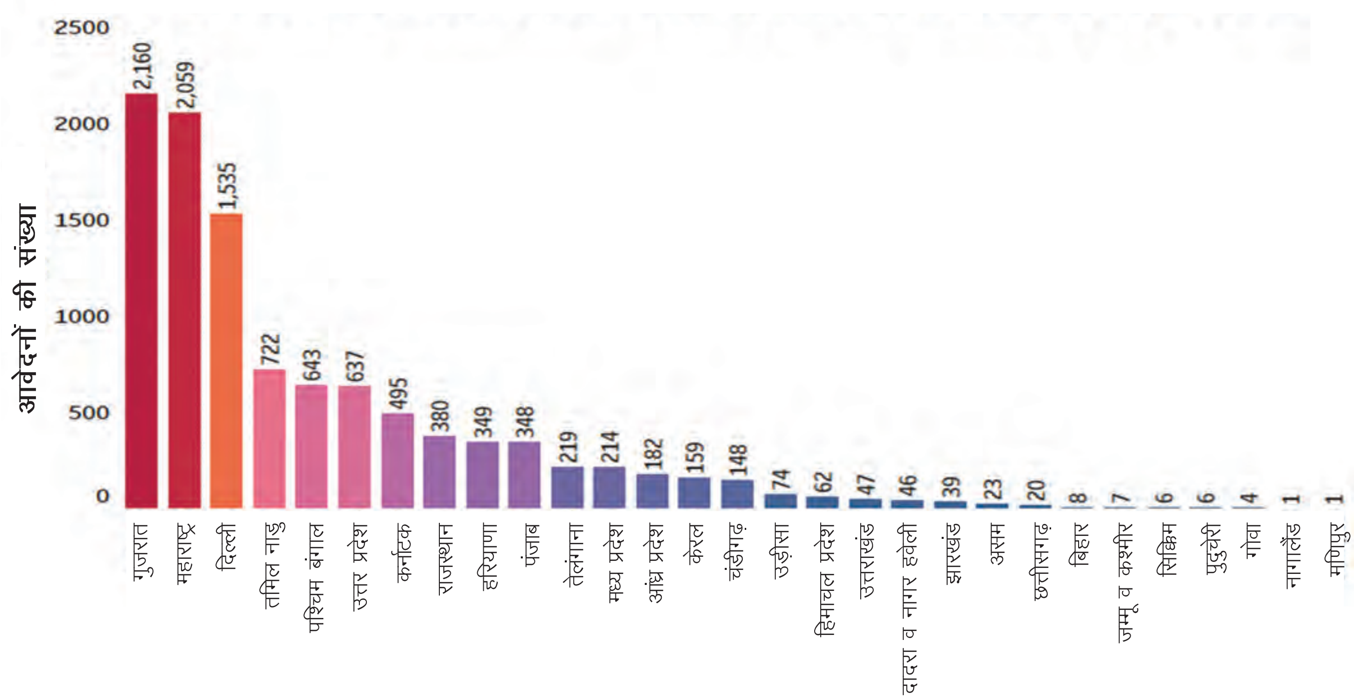

कुछ अग्रणी भारतीय आवेदक रहे – साब्यसाची कोलकाता एल एल पी (251), साब्यसाची कोटयूर (271) रिलेक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड (186), एम ए डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड (137), चितकारा इनोवेशन इनक्यूबेटर फाउंडेशन (124), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (119), इटालिया जेमिश शांतिभाई (110), पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी (109), गोदरेज एंड बॉयस एमएफजी कंपनी लिमिटेड (77), एनएल ब्लाइंड्स प्रा. लिमिटेड (76), नीलकमल लिमिटेड (64), श्री महाराजा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (52) आदि।

1.3. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

विदेशों से उद्गमित **3647** आवेदनों के संदर्भ में, यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (836) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः चीन (702), जापान (353), कोरिया गणराज्य (295), यूनाइटिड किंगडम (193), जर्मनी (190), नीदरलैंड (190), फ्रांस (146), डेनमार्क (123), स्विट्जरलैंड (78) और इटली (61) का स्थान रहा। डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 44 के अंतर्गत पारस्परिक व्यवस्था के तहत 2823 आवेदनों ने पूर्विक्ता का दावा किया। विभिन्न देशों/क्षेत्रों द्वारा विदेशों से उद्गमित आवेदनों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

दाखिल विदेशी डिजाइन आवेदन–देश/क्षेत्र अनुसार

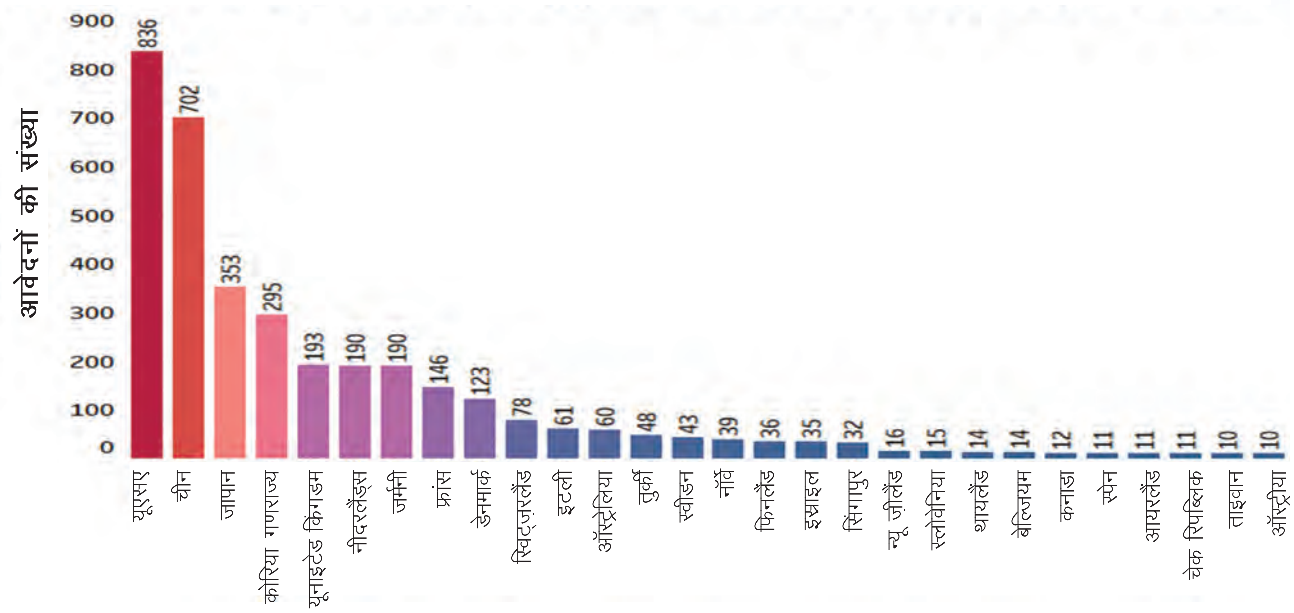

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन किए, वे थे – एचटीएल फर्नीचर (चीन) कार्पोरेशन लिमिटेड (304), कोनिङ्क्लिके फिलिप्स एन.वी. (171), सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (125), बेजिंग शाओमि मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड (104), डैनफॉस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स (91), रेनॉल्ट एस.ए.एस. (84), गूगल एलएलसी (71), पैरी मरे एंड कंपनी लिमिटेड (55), आर्सेलिक एनोनिम सिरकेटी (48), आदि।

1.4. वर्गीकरण के अनुसार दाखिल डिजाइन आवेदनः

भारत से उद्गमित आवेदनों में से, 1945 आवेदन वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु के अंतर्गत) दाखिल किए गए, वर्ग 09 (पैकेज या कन्टैनर) के अंतर्गत 831, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 781, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 779, वर्ग 06 (फर्निशिंग) के अंतर्गत 672, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएँ, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 161 व वर्ग 07 (घरेलू समान जो कहीं अन्य निर्दिष्ट नहीं है) के अंतर्गत 507 थे। दूसरी तरफ, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान विदेशों से उद्गमित आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति ये हैः वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 456 आवेदन, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 351, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण आदि) के अंतर्गत 284, वर्ग 06 (फर्निशिंग) के अंतर्गत 344, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 309 तथा वर्ग 09 (पैकेज या कंटेनर) के अंतर्गत 333। शेष आवेदन अन्य वर्गों में दाखिल किए गए।

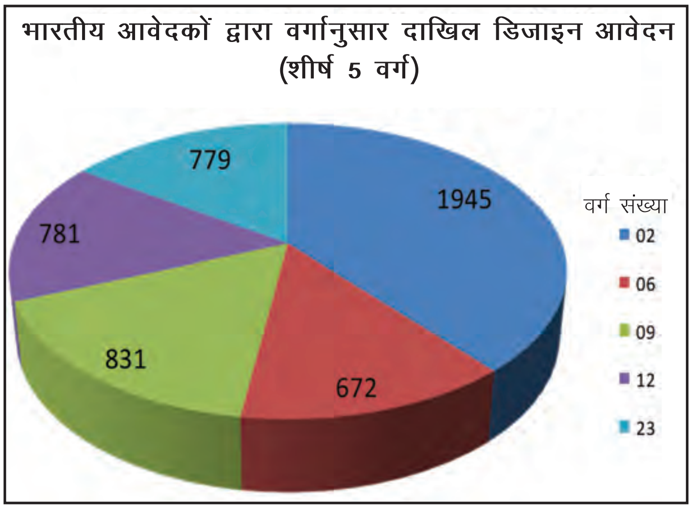

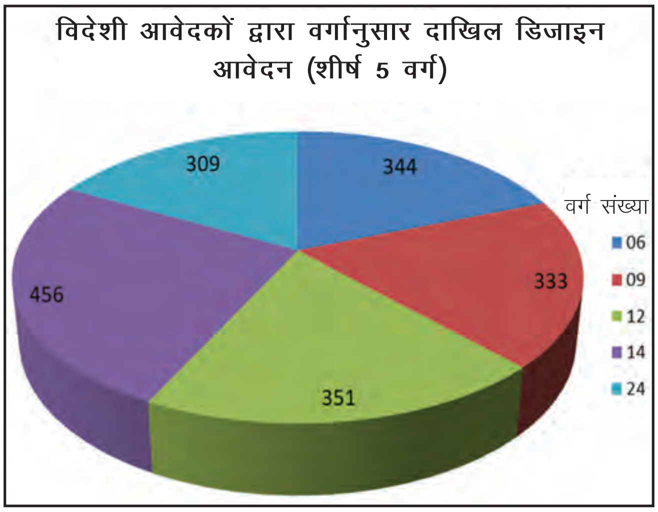

भारतीय और विदेशी आवेदकों की ओर से दाखिल आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित की गई है:

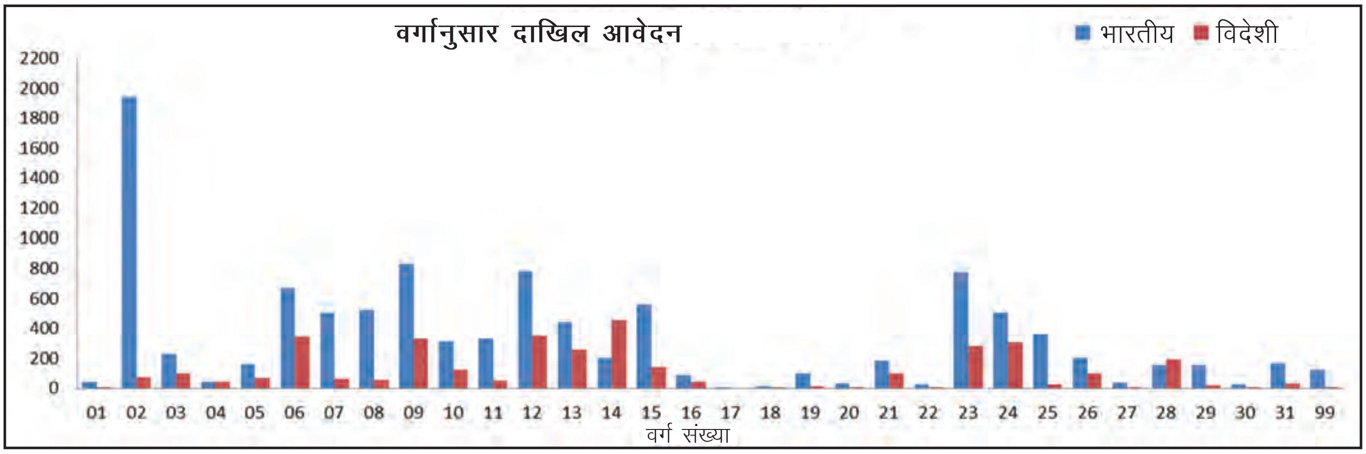

2. पंजीकृत डिजाइन आवेदन:

2.1. भारत व विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

कुल पंजीकृत 9147 डिजाइन में से, 6243 पंजीकृत डिजाइन भारत से उद्गमित थे तथा 2904 विदेशों से उद्गमित थे। भारत व विदेशों से उद्गमित पंजीकरणों की प्रवृत्ति नीचे दर्शाई गयी है:

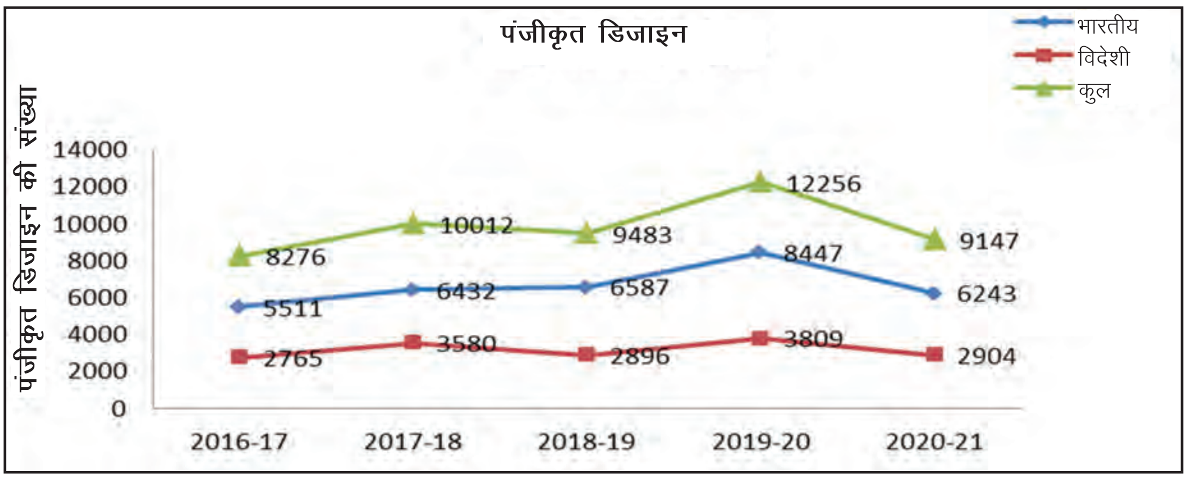

2.2. भारतीय उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

वर्ष के दौरान, भारतीय आवेदकों द्वारा पंजीकृत आवेदनों की कुल संख्या 6243 में से, इस वर्ष भी 1286 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर बना रहा। दिल्ली 1018 पंजीकरणों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि गुजरात 949 पंजीकरणों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों का ग्राफीय वर्णन नीचे दिया गया है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार–पंजीकृत डिजाइन

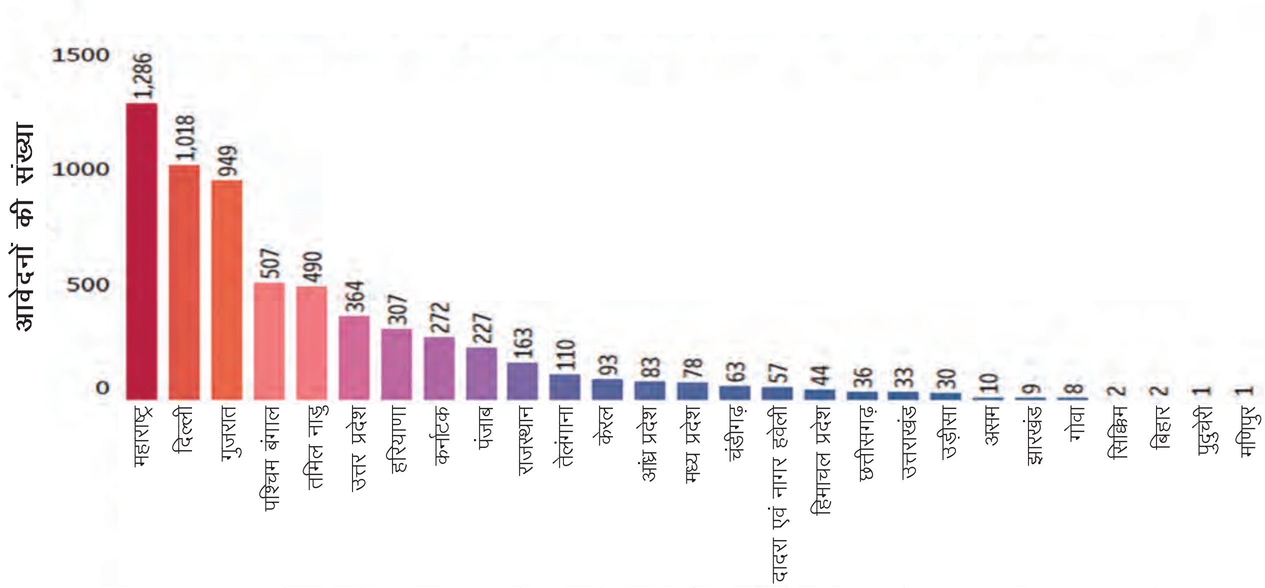

और, डिजाइन पंजीकरण वाले प्रमुख भारतीय आवेदक के नाम हैं – साब्यसाची कोट्यूर (363), बीबा अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड (185), रिलैक्सो फुटवियर लिमिटेड (150), मा डिजाइन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (126), हैवेल्स इंडिया लिमिटेड (101), हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड (86), नीलकमल लिमिटेड (84), पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय (84), अमरपाल सिंह खुराना (57), आदि।

2.3 विदेशी उद्गम द्वारा डिजाइन पंजीकरण:

विदेशों से उद्गमित **2904** आवेदनों के संदर्भ में यू.एस.ए. अधिकतम आवेदनों की संख्या (598) के साथ अग्रणी रहा जिसके बाद क्रमशः कोरिया गणराज्य (414), चीन (378), जापान (341), फ्रांस (203), जर्मनी (157), यूनाइटेड किंगडम (150) तथा नीदरलैंड (106) का स्थान रहा। विभिन्न देशों/ क्षेत्रों के पंजीकृत डिजाइन का ग्राफीय वर्णन नीचे दर्शाया गया है:

पंजीकृत डिजाइन–देश/क्षेत्र अनुसार

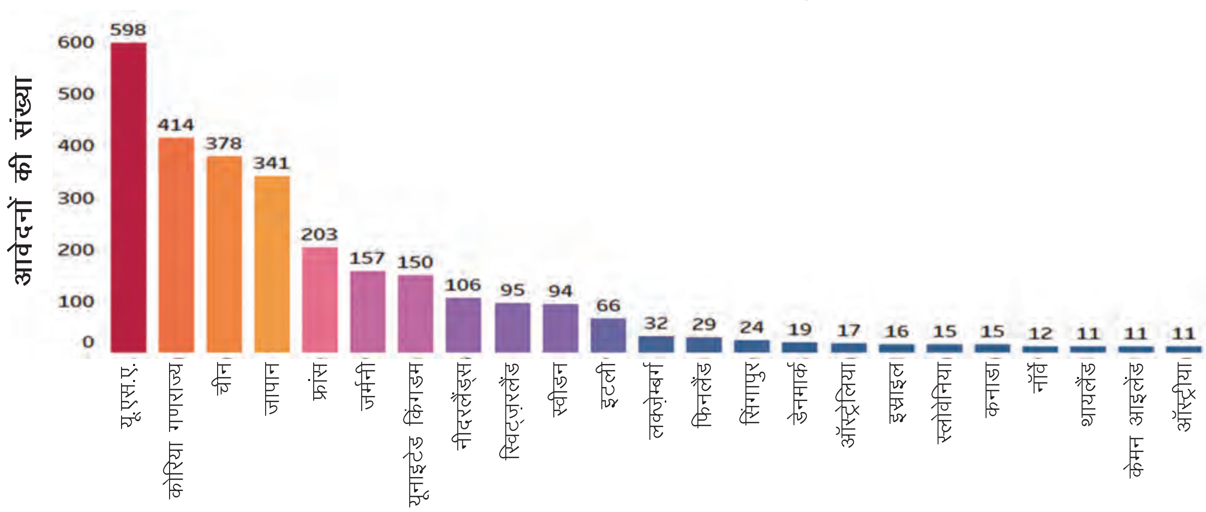

अग्रणी विदेशी आवेदक जिन्होंने डिजाइन आवेदन पंजीकृत किए, वे थे – सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (250), रेनॉल्ट एस ए एस (136) बीजिंग शाओमी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड (117) तथा कोनिंकलिके फिलिप्स एन. वी. (91), होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड (76), एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक. (62), वोल्वो ट्रक कॉर्पोरेशन (55), ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस कार्पोरेशन लिमिटेड (51), व निस्सान जीडोशा काबुशीकी काइषा (यह निसान मोटर कंपनी लिमिटेड के रूप में भी व्यापार कर रहा है) (36) आदि।

2.4 वर्गीकरण के अनुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदनः

भारतीय उद्गम के पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 02 (वस्त्र वस्तु व बिसाती वस्तु) के अंतर्गत 936, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 636, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी उठाई–धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 533, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 515, वर्ग 6 (फर्निशिंग) के तहत 399, वर्ग 07 (घरेलू सामान) के अंतर्गत 378, वर्ग 08 (उपकरण और हार्डवेयर) के अंतर्गत 303, वर्ग 13 (उत्पादन के लिए उपकरण, बिजली वितरण) के अंतर्गत 243, वर्ग 05 (वस्त्र अंश वस्तुएँ, कृत्रिम और प्राकृतिक शीट पदार्थ) के अंतर्गत 301। जबकि, विदेशी उद्गम के संदर्भ में पंजीकृत डिजाइन के वर्गानुसार वितरण में वर्ग 14 (रिकॉर्डिंग, संचार या संचार प्राप्ति उपकरण) के अंतर्गत 526, वर्ग 12 (यातायात या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 442, वर्ग 23 (द्रव वितरण उपकरण) के अंतर्गत 241, वर्ग 12 (परिवहन या उत्तोलन के साधन) के अंतर्गत 442, वर्ग 23 (तरल वितरण उपकरण) के अंतर्गत 241, वर्ग 24 (चिकित्सा और प्रयोगशाला उपकरण) के अंतर्गत 216, वर्ग 09 (माल के परिवहन और उसकी उठाई–धराई के लिए पैकेज और आधान) के अंतर्गत 193, वर्ग 15 (मशीन) के अंतर्गत 166, आदि। शेष आवेदन अन्य वर्गों में पंजीकृत किए गए हैं।

भारतीय आवेदकों द्वारा वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

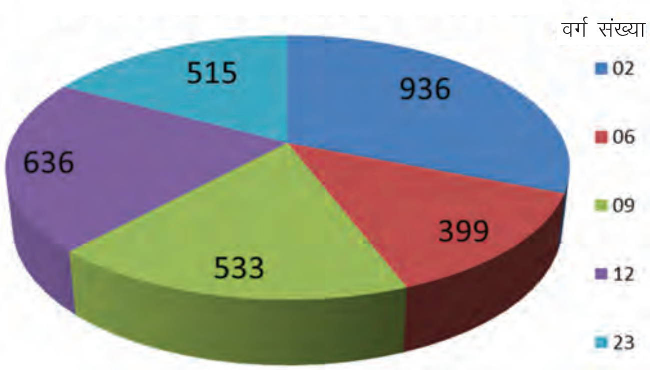

विदेशी आवेदकों द्वारा वर्गानुसार पंजीकृत डिजाइन आवेदन (शीर्ष 5 वर्ग)

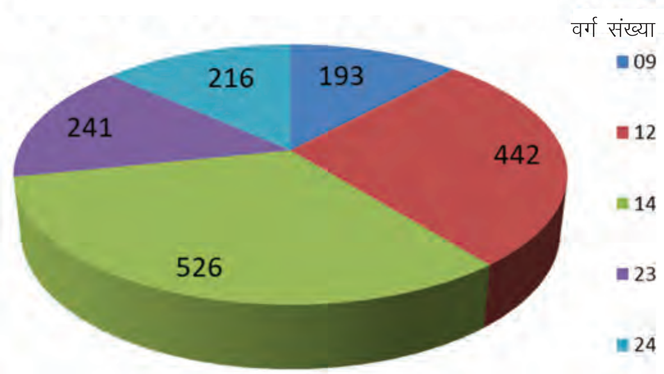

भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया हैः भारतीय उद्गम के साथ साथ विदेशी आवेदनों के पंजीकरण का वर्गानुसार वितरण नीचे प्रदर्शित किया गया हैः

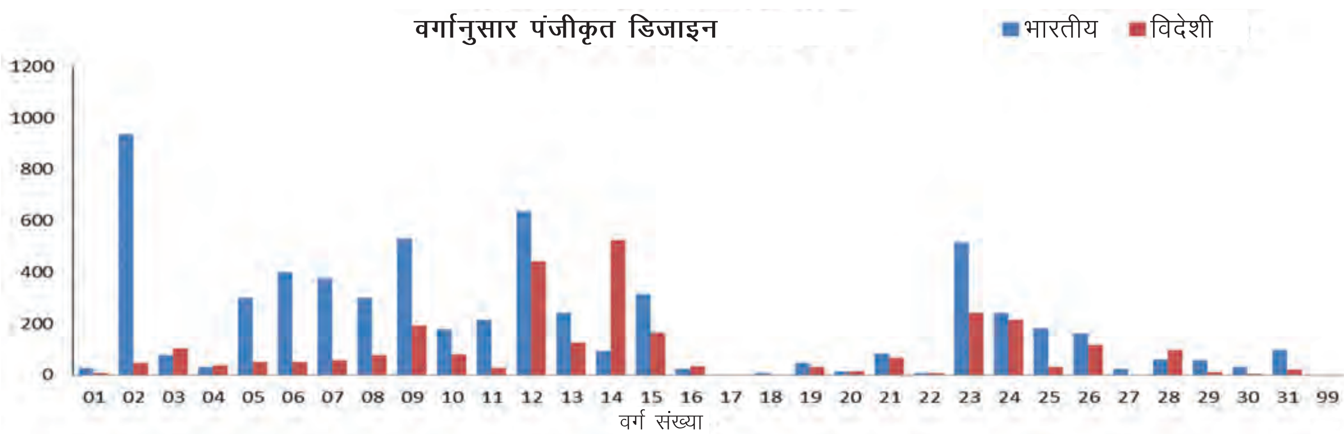

3. डिजाइन आवेदनों का परीक्षणः

प्रतिवेदन अवधि के दौरान, डिजाइन के पंजीकरण हेतु कुल **13847** आवेदनों का परीक्षण किया गया जिनमें से **11624** आवेदनों की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफ़ईआर) भेजने की आवश्यकता थी। वर्ष के दौरान पंजीकृत डिजाइन की संख्या **9147** रही। पंजीकरण के अलावा, 71 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया तथा 63 आवेदन परित्यक्त किए गए।

4. प्रतिलिप्यधिकार विस्तार (धारा 11(2) के तहत):

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन में प्रतिलिप्यधिकार विस्तार के लिए **2148** आवेदन प्राप्त किए गए। प्रतिवेदन वर्ष **1560** पंजीकृत डिजाइन का आगामी 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया। हालांकि, शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारंभ की गई है। वर्ष के दौरान, डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए 51 आवेदन दाखिल किए गए जिनमें से 45 आवेदनों का प्रत्यावर्तन कर दिया गया।

5. विविध कार्यवाहियाँः

(क) डिजाइन का निरस्तीकरण (धारा 19 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, पंजीकृत डिजाइन के निरस्तीकरण के लिए **115** आवेदन दाखिल हुए। 171 निर्णय जारी किए गए जिनमें से 21 मामलों पर, याचिका अनुमत की गई और 50 मामलों पर, याचिका खारिज की गईं।

(ख) जनता द्वारा निरीक्षण (नियम 38 के तहत): पंजीकृत डिजाइन आवेदनों के निरीक्षण हेतु **10** याचिका प्राप्त की गईं।

(ग) नाम और पते आदि में परिवर्तन (नियम 31 के तहत): वर्ष के दौरान नाम, पते एवं सेवार्थ पते में परिवर्तन हेतु **1762** अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से **1012** मामलों का निपटान कर आदेश जारी किया गया। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(घ) धारा 30 के तहत समनुदेशनः प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, **1787** समनुदेशन के आवेदन दाखिल हुए, जिनमें से 1530 का निपटान किया गया व आदेश जारी किए गए। शेष मामलों पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

(ङ) खोज सूचना (धारा 18 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, धारा 18 के तहत **222** मामले दाखिल किए गए व सभी का निपटान किया गया।

(च) लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन (नियम 29 के तहत): प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, लिपिकीय त्रुटि के परिमार्जन हेतु **27** अनुरोध प्राप्त हुए और सभी का निपटान कर दिया गया।

(छ) नियम 41 तथा धारा 17 (2) के तहत सत्यापित प्रतियांः वर्ष के दौरान, **484** अनुरोध दाखिल किए गए व सभी का निपटान कर दिया गया।

6. प्रवृत्त डिजाइनः

प्रतिवेदन वर्ष के अंत तक प्रवृत्त पंजीकृत डिजाइन की संख्या **89970** रही।

7. राजस्वः

वर्ष के दौरान, डिजाइन अधिनियम 2000 तथा उसके अधीन बने नियमों के तहत डिजाइन आवेदनों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में रु. 6,54,81,260/– (रु. छह करोड़ चौवन लाख इक्यासी हजार दो सौ साठ) का कुल राजस्व पेटेंट कार्यालय (कोलकाता, दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई कार्यालयों) से अर्जित हुआ।

पेटेंट कार्यालय	राजस्व (रु. में)
कोलकाता	6,36,75,260
दिल्ली	9,65,000
मुंबई	703,000
चेन्नई	1,38,000
कुल	**6,54,81,260**

2020–21 के दौरान अर्जित राजस्व

प्रलेखों का विवरण'	संख्या	शुल्क (रु.)	राशि (रु.)
डिजाइन अधिनियम, 2000 धारा 5 एवं 44 के तहत डिजाइन पंजीकरण हेतु आवेदन (दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)	14241	1000, 2000, 4000	38388000
धारा 11(2) के तहत प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार हेतु आवेदन	2148	2000, 4000, 8000	16464000
धारा 12(2) के तहत व्यपगत डिजाइन का प्रत्यावर्तन	51	1000, 2000, 4000	166000
धारा 30 व 31 के तहत समनुदेशन	1787	500, 200, 1000, 400 2000, 800	1691800
धारा 19 के तहत डिजाइन का निरस्तीकरण	115	1500, 3000, 6000	376500
धारा 26 और 17(2) के तहत सत्यापित प्रति	484	500, 1000, 2000	841000
डिजाइन अधिनियम, 2000 व डिजाइन नियम 2001 के तहत अन्य विविध शुल्क; दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई पेटेंट कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों सहित)		प्रथम अनुसूची के अनुसार	7553960
कुल योग			**65481260**

अध्याय –VI

व्यापार चिह्न

यह अध्याय व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 149 के तहत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित गतिविधियों से संबंधित 62वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम लागू होने का उद्देश्य देश में वाणिज्य वस्तु पर नकली व्यापार चिह्न के उपयोग को रोकने के लिए वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार चिह्न का पंजीकरण व उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। व्यापार चिह्न का पंजीकरण पंजीकृत स्वत्वधारी को कतिपय सांविधिक अधिकार प्रदान करता है, जो उसे व्यापार चिह्न के अतिलंघन करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु सक्षम बनाता है। यह उन सामान्य विधिक अधिकार के अतिरिक्त है जहां पासिंग ऑफ के अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 तथा व्यापार चिह्न नियम, 2002, 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हुए। व्यापार चिह्न नियम, 2002 को 6 मार्च 2017 से व्यापार चिह्न नियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

रजिस्ट्री का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसकी शाखाएं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में स्थित हैं।

देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विषय में सामान्य रूप से तथा व्यापार चिह्न के संबंध में विशेष रूप से बढ़ती जागरुकता के कारण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की गतिविधि तथा उत्तरदायित्व में लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन और व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए मैड्रिड प्रोटोकॉल से भारत के संबद्ध होने के बाद सेवा चिह्न, सुविख्यात चिह्न, सामूहिक चिह्न की संरक्षा तथा बहुवर्ग (मल्टी–क्लास) आवेदनों हेतु प्रावधान इत्यादि को शामिल किए जाने से इस भूमिका में और बढ़ोतरी हुई है।

1. 2020–21 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2020–21 के दौरान व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा की गई विविध गतिविधियों संबंधी जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है। आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि इस वर्ष दाखिल आवेदनों की संख्या 334805 से बढ़ कर 431213 हो गयी, परंतु व्यापार चिह्न का पंजीकरण 294172 से घट कर 255976 हो गया क्योंकि मार्च 2020 से व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का कार्य कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ। दाखिल, परीक्षित एवं पंजीकृत आवेदनों की संख्या के संबंध मे गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट– I में दिया गया है।

क्र. सं.	गतिविधियाँ	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
1.	पंजीकरण के लिए दाखिल किए गए आवेदन	278170	272974	323798	334805	**431213**
2.	व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित आवेदनों की संख्या	333673	423030	396063	378147	**339356**
3.	पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या	250070	300913	316798	294172	**255976**
4.	पंजीकरण के अतिरिक्त अन्यथा रूप में (अर्थात अस्वीकृति, परित्याग और आहरण द्वारा) निष्पादित उत्तर–परीक्षण आवेदनों की संख्या	40374	254864	202387	125394	**38978**
5.	पंजीकरण का नवीकरण किए जाने वाले चिह्नों की संख्या	56270	64661	62497	70583	**73100**
6.	पंजीकृत व्यापार चिह्न (समनुदेशन सहित) में पंजीकरण के बाद किए गए परिवर्तनों की प्रविष्टि हेतु निष्पादित अनुरोधों की संख्या	13094	73764	47251	32596	**29214**
7.	प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत जारी प्रमाण पत्र	9169	1605	2760	7362	**9032**

2020–21 के दौरान गतिविधियों की प्रवृत्ति

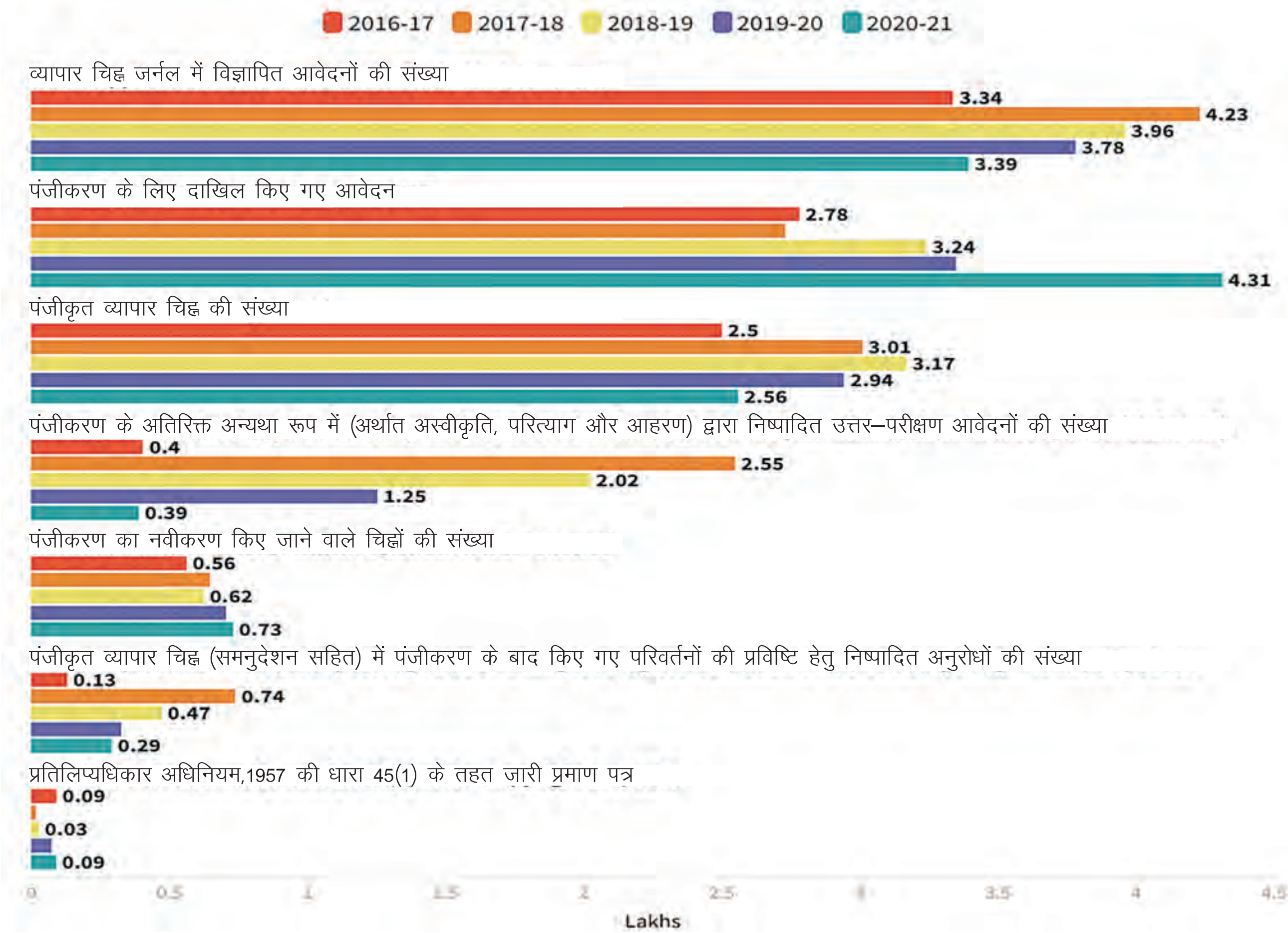

2. व्यापार चिह्न आवेदन दाखिल करने की प्रवृत्तिः

2020–21 के दौरान, भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए दाखिल किए जा रहे आवेदनों की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2020–21 में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री में दाखिल आवेदनों की संख्या 2019–20 के 334805 से बढ़ कर 431213 हो गयी है परंतु विदेशियों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 2019–20 के 13865 से थोड़ी कम हो कर 2020–21 में 12619 हो गयी है।

और, वर्ष 2020–21 के दौरान, मैड्रिड प्रणाली के तहत विदेशी आवेदकों के 12913 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण व्यापार चिह्न के संरक्षण हेतु भारत में नामित किए गए। इन अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण किया गया और इन पर राष्ट्रीय आवेदनों के रूप में आगे की कार्यवाही की गयी।

i. 2016–17 से 2020–21 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्तिः

वर्ष	भारतीय आवेदक	विदेशी आवेदक	कुल
2016–17	266730	11440	278170
2017–18	247734	25240	272974
2018–19	310116	13682	323798
2019–20	320940	13865	334805
2020–21	**418594**	**12619**	**431213**

2016–17 से 2020–21 के दौरान दाखिल आवेदनों का प्रवृत्ति

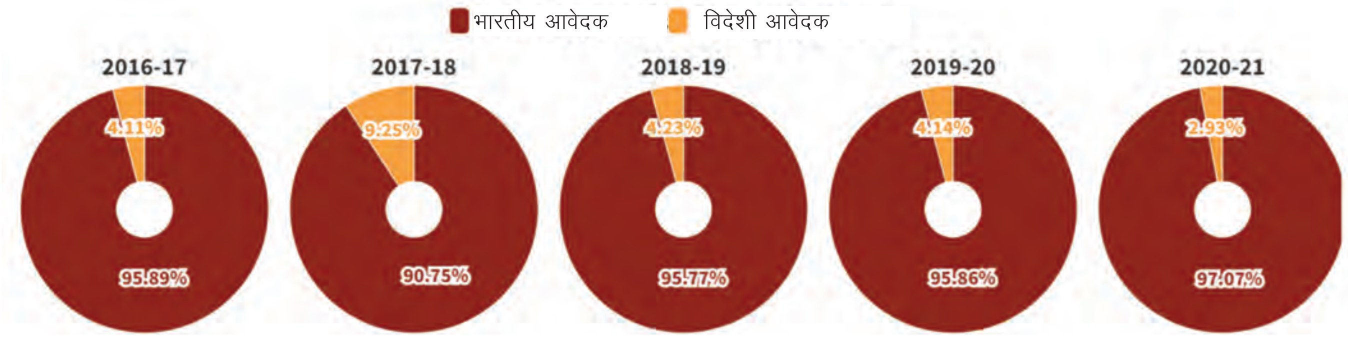

ii. भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन – राज्यानुसारः

वर्ष के दौरान भारतीय आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की कुल संख्या 418594 में से, 75781 आवेदनों के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। दिल्ली 67840 आवेदनों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा जबकि 46133 आवेदनों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर रहा। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के साथ ग्राफीय वर्णन नीचे प्रदर्शित किया गया हैः

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	आवेदनों की संख्या
अंडमान व निकोबार	29
आंध्र प्रदेश	5389
अरुणाचल प्रदेश	59
असम	1729
बिहार	5231
चंडीगढ़	2614
छत्तीसगढ़	2765
दादरा व नागर हवेली	108
दमन व दीव	104
दिल्ली	67840
गोवा	898
गुजरात	46133
हरियाणा	24600
हिमाचल प्रदेश	1638
जम्मू व कश्मीर	1788
झारखंड	1994
कर्नाटक	22468
केरल	15619
लक्षद्वीप	8
मध्य प्रदेश	12508
महाराष्ट्र	75781
मणिपुर	65
मेघालय	57

मिज़ोरम	25
नागालैंड	29
उड़ीसा	2576
पुदुचेरी	374
पंजाब	14700
राजस्थान	20710
सिक्किम	44
राज्य निर्दिष्ट नहीं	64
तमिल नाडु	23725
तेलंगाना	14504
त्रिपुरा	118
उत्तर प्रदेश	35247
उत्तराखंड	3609
पश्चिम बंगाल	13444
कुल	**418594**

भारतीयों द्वारा दाखिल व्यापार चिह्न आवेदन (राज्यानुसार)

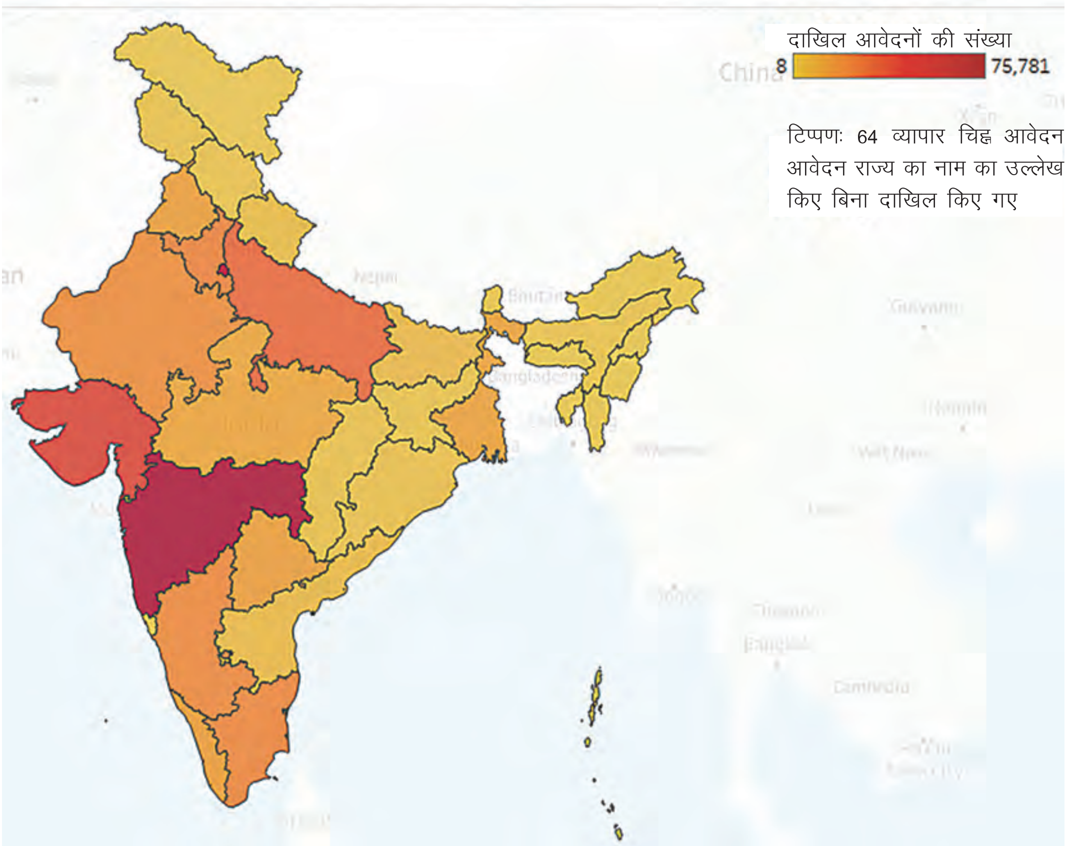

iii. विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनः

वर्ष के दौरान विदेशी आवेदकों द्वारा दाखिल आवेदनों की संख्या 12619 रही। शीर्ष 20 विदेशी देशों द्वारा दाखिल किए गए आवेदनों की संख्या निम्न तालिका में प्रदान की गई है और साथ ही ग्राफीय वर्णन भी नीचे दियाः

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष 20 विदेशी देश

देश का नाम	दाखिल आवेदनों की संख्या
संयुक्त राज्य अमरीका	4044
चीन	2395
सिंगापुर	712
यूनाइटिड किंग्डम	664
जापान	496
कोरिया गणराज्य	394
संयुक्त अरब अमीरात	385
जर्मनी	280
कनाडा	278
स्विट्ज़रलैंड	270
हाँग काँग	235
ताइवान, प्रोविन्स ऑफ चाइना	210
ऑस्ट्रेलिया	162
फ्रांस	147
थाइलैंड	142
स्पेन	132
इटली	122
केमन आईलेंड	118
नीदरलैंड	118
मलेशिया	80
कुल	**11384**

आवेदन दाखिल करने वाले शीर्ष 20 विदेशी देश

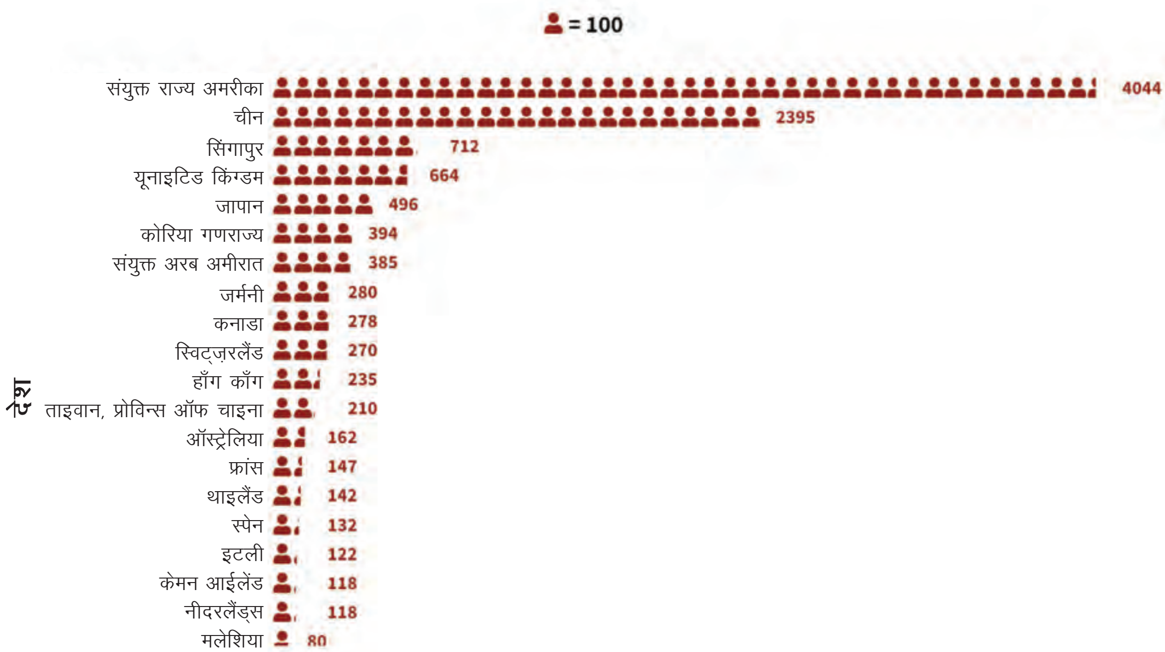

iv. वर्गानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2020–21 के दौरान दाखिल किए गए व्यापार चिह्न आवेदनों की वर्गानुसार प्रवृत्ति निम्न प्रदत्त सारणी में दर्शायी गई है। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वाधिक आवेदन वर्ग 5 के अंतर्गत की वस्तुओं (औषधीय, पशु चिकित्सीय तथा आरोग्यकारक पदार्थों आदि) के लिए प्राप्त हुए हैं।

वे वर्ग जिनमें आवेदन दाखिल किए गए थे उनके % भाग के साथ उनका विवरण नीचे दिया गया हैः

वर्ग	वस्तुओं / सेवाओं का विवरण	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	उद्योग, विज्ञान, फोटोग्राफी, कृषि, उद्यान–कृषि, वानिकी, खाद आदि में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ	6222	1.40
2	पेंट और वार्निश	2047	0.46
3	सुगंधित पदार्थ, अंगराग आदि	22184	5.00
4	औद्योगिक तेल और चिकनाइयाँ (खाद्य तेल के अलावा) आदि	2402	0.54
5	औषधीय, भेषजीय, पशु चिकित्सीय और आरोग्यकारक पदार्थ आदि	65848	14.84
6	अन–रॉट और अंशतः रॉट सामान्य धातु एवं उनके मिश्र धातु आदि	5405	1.22
7	मशीन और मशीनी औजार, मोटरें, आदि	8310	1.87
8	हाथ से काम करने के औजार और उपकरण आदि	2092	0.47
9	वैज्ञानिक, नाविक, सर्वे, वैद्युत उपकरण आदि	25810	5.82
10	शाल्यिक, औषधीय, दंत और पशुचिकित्सा उपकरण और यंत्र आदि	8058	1.82
11	प्रकाशन साधित्र, तापक वाष्पजनक आदि	10764	2.43
12	वाहन और उनके पूर्जे, यंत्र, भूमि पर, व्योम में अथवा जल पर चलने के लिए यंत्र आदि	4251	0.96
13	अग्न्यास्त्र, गोला बारूद और क्षेपित्र आदि	277	0.06
14	बहुमूल्य वस्तुएं और उनका मिश्र धातु आदि	4732	1.07
15	संगीत के यंत्र (बोलने वाली मशीन और वायरलेस उपकरण के अतिरिक्त)	370	0.08
16	कागज और कागज की वस्तुएं, लेखन सामग्री, छपी सामग्री आदि	7172	1.62
17	गट्टा पर्चा, भारतीय रबर आदि	3512	0.79
18	चमड़े और कृत्रिम चमड़े आदि	3910	0.88
19	भवन निर्माण सामग्रियां आदि	6194	1.40
20	फर्नीचर, आईने आदि	6521	1.47
21	छोटे घरेलू बर्तन आदि	9027	2.03
22	रस्सी, सुतली आदि	1012	0.23

23	सूत और धागे	676	0.15
24	टिशू (खंडित वस्तुएं) आदि	5906	1.33
25	बूट, जूते और स्लीपर सहित पहनने की वस्तुएं	33362	7.52
26	गोटा और कसीदा, फीता और चोटी आदि	1105	0.25
27	गलीचे, लोई, चटाइयां आदि	1122	0.25
28	खेल और खेलने की चीजें आदि	4874	1.10
29	मांस, मछली, मुर्गी पालन आदि	15673	3.53
30	कॉफी, चाय, कोको आदि	30130	6.79
31	कृषि, बागवानी और वन्य उत्पाद और अनाज जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	8826	1.99
32	बीयर, एल और पोर्ट, खनिज और वाति जल और अन्य अमद्यसारिक पेय जो अन्य वर्गों के अंतर्गत नहीं है	6310	1.42
33	वाइन स्प्रिट और मद्य पेय	2588	0.58
34	तम्बाकू, कच्चा या निर्मित, धूम्रपान करने वालों के लिए चीजें, दियासलाइयाँ	3890	0.88
35	विज्ञापन, कारोबार प्रबन्ध, कारोबार प्रशासन, कार्यालय कृत्य	44198	9.96
36	बीमा वित्तीय कार्य, आर्थिक कार्य, सम्पदा कार्य	6520	1.47
37	भवन निर्माण मरम्मत संस्थापन सेवाएं	5535	1.25
38	दूरसंचार	4415	1.00
39	यातायात, माल की पैकिंग और भंडारण, यात्रा इंतजाम	4196	0.95
40	सामग्री का बहिस्त्राव	1666	0.38
41	शिक्षा; प्रशिक्षण प्रदान करना, मनोरंजन, क्रीडा और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	19428	4.38
42	वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं तथा उससे संबंधित शोध और अभिकल्प, औद्योगिक विश्लेषण और शोध सेवाएं, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास	13639	3.07
43	खाद्य और पेय हेतु सेवाएं; अस्थायी निवास	11843	2.67
44	चिकित्सा सेवाएं ; पशुचिकित्सा सेवाएं; मानव या पशुओं के लिए स्वच्छता और सौन्दर्य देखभाल; कृषि, बागवानी तथा वन्य सेवाएं,	7144	1.61
45	विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा सेवाएं; व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं	4551	1.03

टिप्पणी: *बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है क्योंकि एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं को एक ही आवेदन में उल्लिखित किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।*

अ. शाखानुसार दाखिल किए गए आवेदनों की प्रवृत्तिः

वर्ष 2020–21 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की दिल्ली शाखा में अधिकतम संख्या में आवेदन **(160943)** दाखिल किए गए जिसके बाद क्रमशः मुंबई **(93776)**, चेन्नई **(83490)**, अहमदाबाद **(67212)** एवं कोलकाता **(25792)** का स्थान आता है।

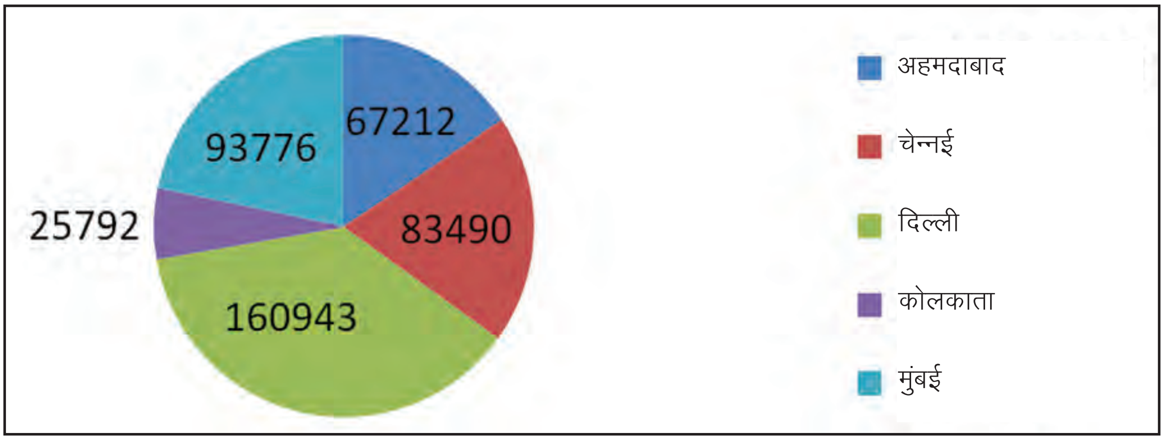

3. व्यापार चिह्न का पंजीकरण एवं अन्य गतिविधियाँः

वर्ष 2020–21 के दौरान, पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या **255976** रही। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पंजीकृत व्यापार चिह्न की कुल संख्या **2369650** थी।

वर्ष के दौरान अन्य गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- **73100** पंजीकृत व्यापार चिह्नों का नवीकरण किया गया,
- पंजीकृत व्यापार चिह्न (अन्य व्यक्तियों को उनके समनुदेशन सहित) के संदर्भ में पंजीकरण के उपरांत परिवर्तन हेतु **29773** अनुरोध प्राप्त हुए व **29214** अनुरोध निष्पादित कर दिए गए,
- कानूनी कार्यवाहियों में उपयोग के लिए अथवा विदेशों में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु **11832** प्रमाणपत्र जारी किए गए,
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 45(1) के तहत **9032** प्रमाण पत्र प्रतिलिप्यधिकार के रूप में कलात्मक कार्य के पंजीकरण हेतु जारी किए गए।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न पंजीकरण के लिए विगत वर्ष के **378147** विज्ञापनों की तुलना में इस वर्ष के दौरान 339356 आवेदन व्यापार चिह्न जर्नल में विज्ञापित किए। पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की प्रवृत्ति परिशिष्ट II में दिखाई गई है।

रजिस्ट्री ने व्यापार चिह्न अधिनियम और नियम के अधीन अर्ध न्यायिक कार्यवाहियाँ भी संचालित की जिनमें मुख्यतः विरोध और परिशोधन की कार्यवाहियाँ थी। वर्ष 2020–21 के दौरान **62057** विरोध की सूचना व **2399** परिशोधन हेतु आवेदन व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने अथवा व्यापार चिह्न के पंजीकरण को भिन्न करके व्यापार चिह्न के रजिस्टर में परिशोधन हेतु दाखिल किए गए तथा ऐसे **18468** मामलों का पूर्णतया निष्पादन कर दिया गया। ऐसे दाखिल और निष्पादित मामलों का विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है।

4. पंजीकृत व्यापार चिह्न की संख्या का वर्गानुसार विवरणः

निम्न प्रदत्त सारणी वर्ष 2020–21 के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न का वर्गानुसार विवरण प्रस्तुत करती है। यह देखा गया है कि वर्ग–5 के अंतर्गत सर्वाधिक **66674** व्यापार चिह्न पंजीकृत किए गए, जो कुल पंजीकरण का 13.19% है, जिसके बाद वर्ग–35 आता है जो 10.43% है।

वर्ग	आवेदनों की संख्या	% भाग
1	7501	1.48
2	2571	0.51
3	20429	4.04
4	2775	0.55
5	66674	13.19
6	6791	1.34
7	10474	2.07
8	2778	0.55
9	32150	6.36
10	7666	1.52
11	12919	2.56
12	5821	1.15
13	436	0.09
14	6448	1.28
15	559	0.11
16	10457	2.07
17	4261	0.84
18	5819	1.15
19	7873	1.56
20	7641	1.51
21	9989	1.98
22	1354	0.27
23	928	0.18
24	7253	1.44
25	37072	7.34
26	1543	0.31
27	1453	0.29
28	5571	1.10
29	13571	2.69
30	24813	4.91
31	8345	1.65
32	6830	1.35
33	2568	0.51
34	3282	0.65
35	52706	10.43
36	8657	1.71
37	7651	1.51
38	5809	1.15
39	6026	1.19

40	2472	0.49
41	27295	5.40
42	18440	3.65
43	14978	2.96
44	9047	1.79
45	5677	1.12

टिप्पणीः बहुवर्ग आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है (अर्थात एक से अधिक वर्ग की वस्तु तथा सेवाओं के लिए एकल आवेदन) व तदनुसार, सभी वर्गों की वस्तुओं व सेवाओं के लिए एकल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त जानकारी के उद्देश्य से, वर्गानुसार आवेदनों के संबंध में, बहु–वर्गीय आवेदनों में प्रत्येक वर्ग पर पृथक रूप से विचार किया जाता है।

5. राजस्वः

वर्ष 2020–21 के दौरान, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री ने रु. 361.13 करोड़ (इसमें मेड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के शुल्क के रूप में आईबी से प्राप्त रु. 35.577 करोड़ रु. शामिल हैं) का राजस्व अर्जित किया जबकि गत वर्ष के दौरान यह रु. 352.30 करोड़ रहा।

परिशिष्ट I

पिछले पाँच वर्षों में व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	**2020–21**
दाखिल	278170	272974	323978	334805	**431213**
परीक्षित	532230	306259	337541	338551	**463912**
पंजीकृत	250070	300913	316798	294172	**255976**

व्यापार चिह्न आवेदनों की प्रवृत्ति

आंकड़े लाख में

परिशिष्ट II

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या

क्र. सं.	वर्ष	जर्नल में प्रकाशित व्यापार चिह्न की संख्या
1.	2016—17	333673
2.	2017—18	423030
3.	2018—19	396063
4.	2019—20	378147
5.	**2020—21**	**339356**

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रकाशित व्यापार चिह्नों की संख्या की ग्राफीय प्रस्तुति

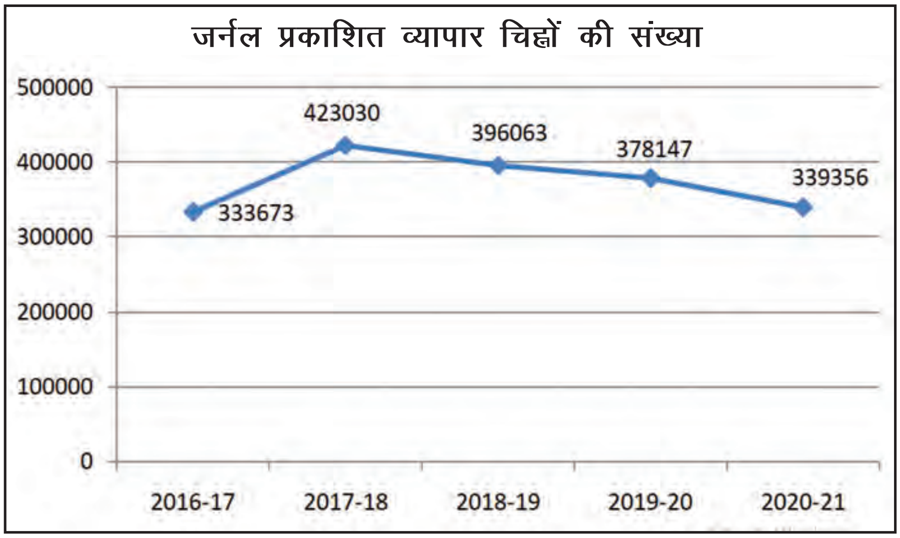

परिशिष्ट III

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक विभिन्न कार्यालयों में दाखिल विरोध/परिशोधन आवेदन और उनके निष्पादन का विवरण

व्यापार चिह्न कार्यालय	दाखिल विरोध/परिशोधन	निष्पादित मामले
अहमदाबाद	9111	2756
चेन्नई	8433	1311
दिल्ली	27722	6315
कोलकाता	4048	1026
मुंबई	12747	7060
आईआर डिविजन	609	341

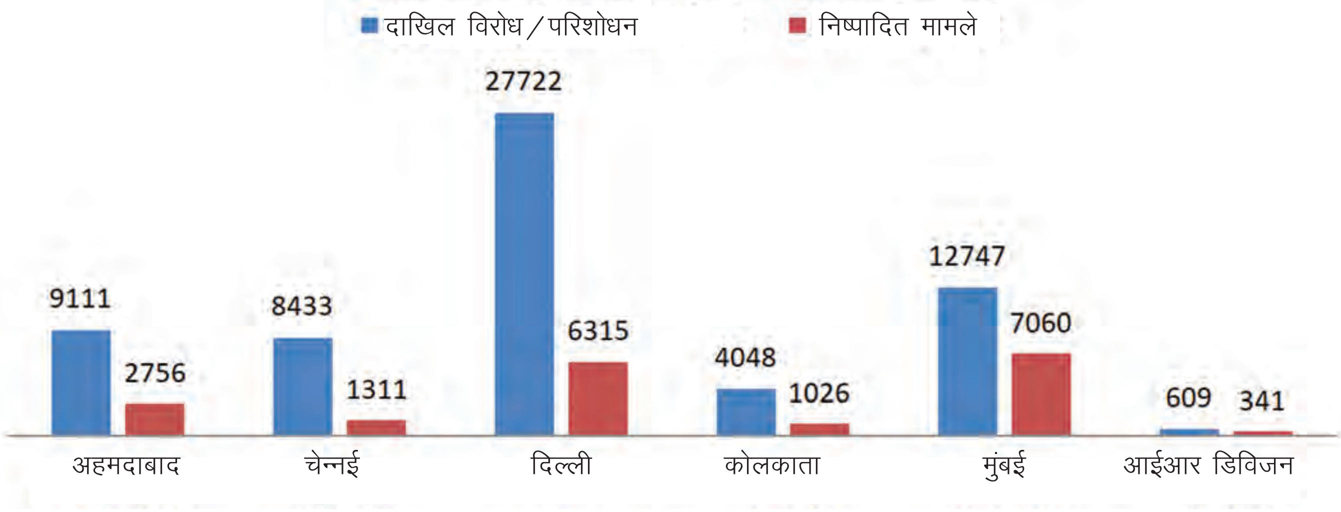

पिछले पाँच वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न

क्रम संख्या	वर्ष	पंजीकृत व्यापार चिह्नों की संख्या
1.	2016—17	250070
2.	2017—18	300913
3.	2018—19	316798
4.	2019—20	294172
5.	**2020—21**	**255976**

पिछले 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत व्यापार चिह्न की ग्राफ़ीय प्रस्तुति

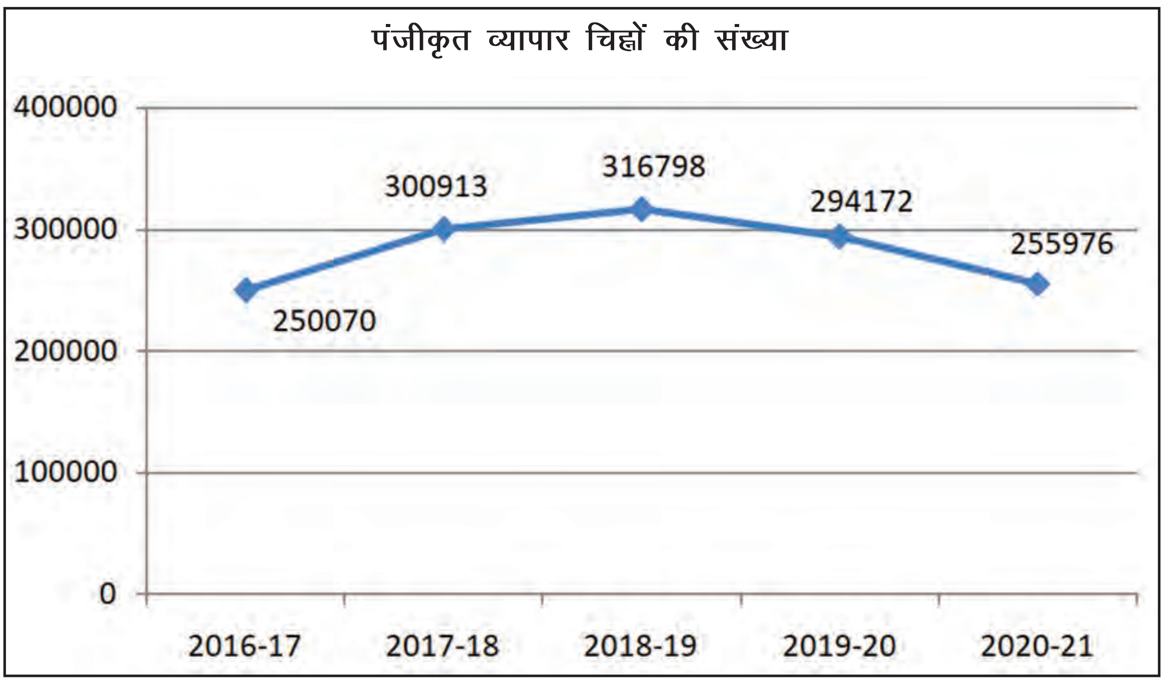

अध्याय–VII

चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड प्रणाली

परिचय

मैड्रिड प्रणाली कई देशों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए एकल प्रक्रिया प्रदान करती है। यह दो संधियों से शासित होती है नामतः, 'द मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स' (संक्षेप में मैड्रिड एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है) और 'प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द मैड्रिड एग्रीमेंट' (संक्षेप में मैड्रिड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है)।

ये संधियाँ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड इंटल्क्चुयल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन (डबल्यूआईपीओ) (वाइपो) के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (आईबी) द्वारा प्रशासित होती हैं।

1. भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने की पृष्ठभूमिः

8 फरवरी 2007 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में भारत के मैड्रिड प्रोटोकॉल में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दी।

21 सितंबर 2010 को व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 को संशोधित किया गया, जिसमें 'मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के माध्यम से व्यापार चिह्न के संरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान' को अधिनियम में अंतःस्थापित किया गया।

व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 को प्रभाव में लाने के लिए 14 जनवरी 2013 के राजपत्र में व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 प्रकाशित किए गए।

8 जुलाई, 2013 से भारत में मैड्रिड प्रोटोकॉल के प्रावधान लागू हो गए।

मैड्रिड सिस्टम के तहत चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया (विशेष रूप से मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत) निम्नानुसार वर्णित है:

मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत पंजीकरण

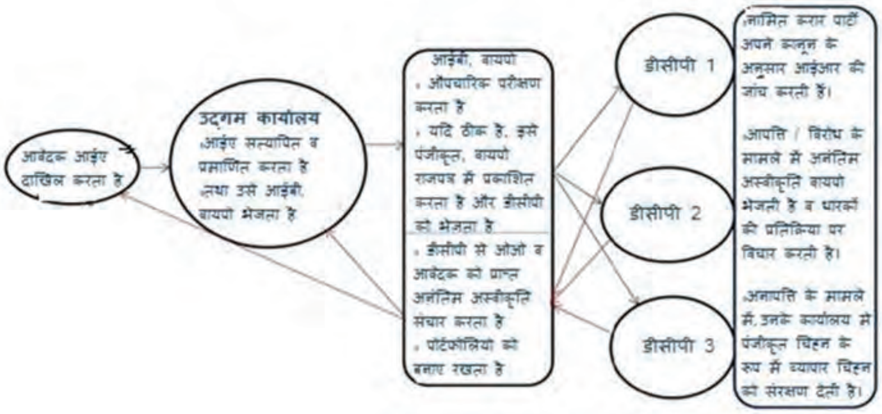

2. भारत में मैड्रिड प्रणाली का कार्यान्वयनः

2.1 अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंगः

मुंबई में व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के प्रधान कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग की स्थापना की गई है। यह विंग मुख्य

रूप से भारतीय उद्यमियों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए आवेदनों के संबंध में मैड्रिड प्रणाली के तहत "उद्गम कार्यालय" (ऑफिस ऑफ ऑरिजिन) के रूप में तथा मैड्रिड प्रणाली के तहत "नामित करार पार्टी कार्यालय" (ऑफिस ऑफ द डेज़ीग्नेटिंग कोंट्रेक्टिंग पार्टी) के रूप में, विदेशी आवेदक के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में, जहां भारत को चिह्न के संरक्षण के लिए नामित किया गया है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

उद्गम कार्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- भारतीय उद्यमियों से फॉर्म एमएम 2 पर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त करना, उनके साथ ऐसे आवेदनों के विषय में ऑन–लाइन संवाद करना और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) की व्यापक ई–फाइलिंग सेवाओं के माध्यम से आवेदकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना,
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों को सत्यापित करना और प्रमाणित करना और उन्हें वाइपो को प्रेषित करना,
- यदि भारतीय कार्यालय द्वारा अग्रेषित अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में, वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा अनियमितताओं के विषय में सूचित किया जाता है, तो संबंधित आवेदकों से संपर्क करना और अनियमितताओं के विषय में वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) को उत्तर देना,
- उन मामलों में जहां भारत में व्यापार चिह्न आवेदन या पंजीकरण जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था वह खत्म हो जाता है, वाइपो को अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के प्रभाव को रोकने के लिए संचार करना,
- साप्ताहिक आधार पर एफ़टीपी सर्वर के माध्यम से भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के साथ–साथ भारत से उद्गम होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों के संबंध में वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ सभी पत्राचार करना।

2.2. मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्नों का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण–भारतीय आवेदक:

वर्ष 2020–21 के अंत तक, भारतीय व्यापार चिह्न कार्यालय ने मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्न के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण हेतु **2002** आवेदन प्राप्त किए हैं, जिसमें से **1905** आवेदन सत्यापित, प्रमाणित किए गए व वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) को अग्रेषित किए गए तथा इन आवेदनों में से **1515** चिह्न वाइपो के स्तर पर पंजीकृत किए गए हैं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय कार्यालय द्वारा प्राप्त व वाइपो को प्रेषित भारतीय उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों और मैड्रिड प्रणाली के तहत वाइपो के साथ उनके पंजीकरण की संख्या निम्नानुसार हैं:

मैड्रिड प्रणाली के तहत व्यापार चिह्नों का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण–भारतीय आवेदक

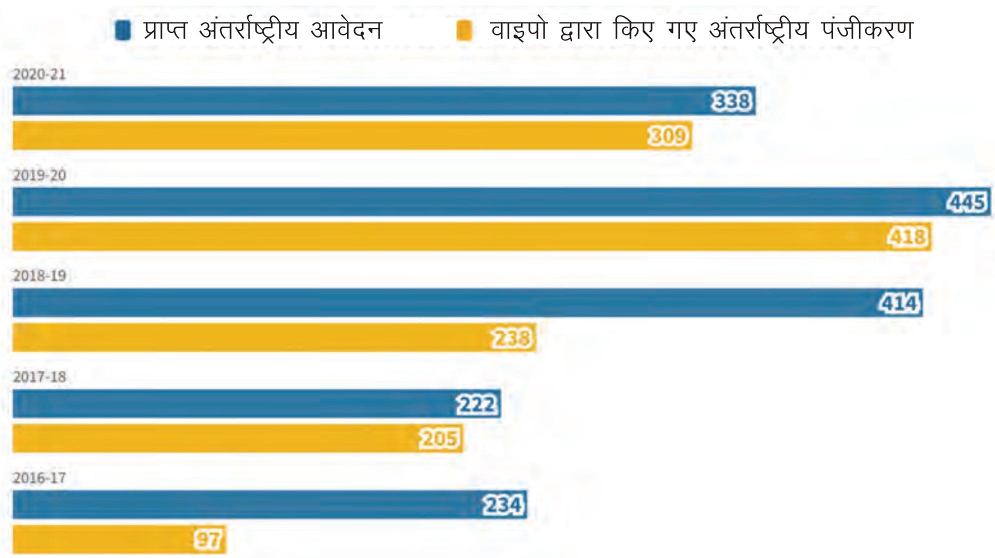

2.3. नामित करार पार्टी कार्यालय के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करता है:

- वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा भारतीय कार्यालय को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण का विवरण व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) डाटाबेस में माइग्रेट करना, और राष्ट्रीय आवेदन के समान आईआरडीआई के रूप में प्रतिरूप रिकॉर्ड बनाना,
- इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के विषय में वाइपो की सूचनाओं के अनुसार व्यापार चिह्न रजिस्ट्री (टीएमआर) रिकॉर्ड को अद्यतन करना, जैसे कि धारक के नाम या पते में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के तहत माल/सेवाओं को प्रतिबंधित करना, त्याग, आदि,
- व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 व उसके तहत बने नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का परीक्षण करना व यदि अधिनियम के अनुसार भारत में चिह्न को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा सकता है तो वाइपो को अनंतिम असम्मति प्रेषित करना,
- हमारी राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के धारकों की ओर से प्रस्तुत अनंतिम असम्मति के विरुद्ध प्रतिक्रिया पर ध्यान देना और यदि आवश्यकता हो, तो कारण बताओ सुनवाई की समय सारणी तय करना,
- हमारे राष्ट्रीय व्यापार चिह्न जर्नल में स्वीकृत मामलों को प्रकाशित करना,
- ऐसे प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय पदों के विरुद्ध, यदि कोई हो, विरोध को प्राप्त करना, और विरोध के आधार पर वाइपो को अनंतिम असम्मति भेजना, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण धारक की ओर से जवाबी कथन प्राप्त करना और विधि के अनुसार विपक्षी कार्यवाही आयोजित करना,
- ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में पंजीकार के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपील/रिट याचिका के मामले में कार्यालय का प्रतिनिधित्व करना,
- वाइपो (डब्ल्यूआईपीओ) को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संबंध में अंतिम (साथ ही आगे के निर्णय, यदि कोई हों) का संचार करना।

2.4. वर्ष 2020–21 के दौरान गतिविधियाँ–अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण :

- वाइपो ने भारत में व्यापार चिह्न के संरक्षण के लिए **12913** अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को भारतीय कार्यालय को अधिसूचित किया,
- इन सभी अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों का प्रतिरूप रिकॉर्ड आईआरडीआई के रूप में बनाया गया व **13608** आईआरडीआई का परीक्षण किया गया,
- परीक्षण के आधार पर **8383** चिह्नों के संबंध में अनंतिम अस्वीकृति को वाइपो को सूचित किया गया,
- व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशन के अनुसरण में प्राप्त तीसरे पक्ष के विरोध के आधार पर, **609** अनंतिम अस्वीकृति वाइपो को सूचित की गईं,
- **341** विरोधों का अंतिम निपटान किया गया,
- व्यापार चिह्न अधिनियम के तहत सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण करने के उपरांत संरक्षण प्रदान करने के लिए **9943** अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के मामले वाइपो प्रेषित किए गए; **9943** में से **7756** अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के संबंध में, आवेदकों को इस कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं हुई और भारत में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्न अनुदानित किए गए,

- **712** अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों को भारत में चिह्न के संरक्षण के लिए अस्वीकृत किया गया।

वाइपो द्वारा अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों की संख्या और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद गत 5 वर्षों के भीतर वाइपो को भेजे गए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के तहत चिह्नों के संरक्षण का अनुदान इस प्रकार है:

वर्ष 2020–21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण गतिविधियां

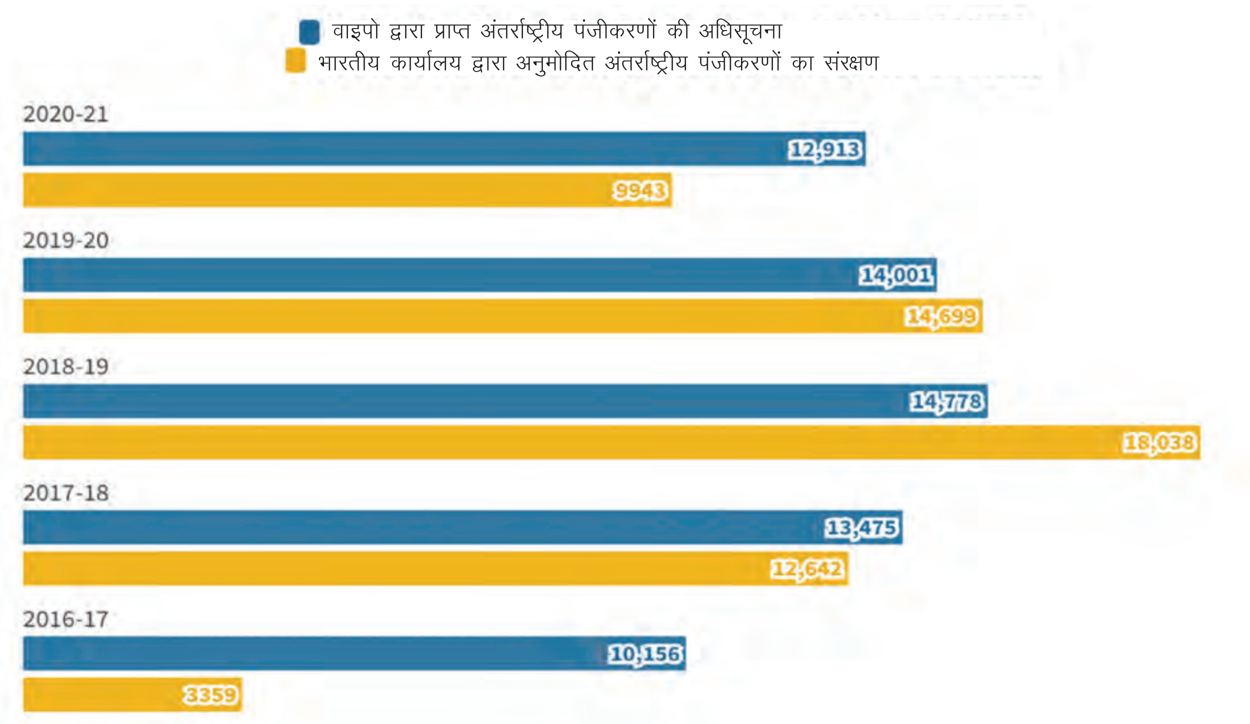

3. राजस्व

भारतीय कार्यालय को वाइपो से मैड्रिड प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के संबंध में राजस्व प्राप्त होता है, जहाँ भारत में चिह्न का संरक्षण मांगा गया है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के नवीकरण के संबंध में भी। वर्ष 2020–21 के दौरान, भारतीय कार्यालय ने चिह्नों के संरक्षण के लिए भारत को नामित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरणों के शुल्क के रूप में रु. 35.577 करोड़ प्राप्त किए।

भौगोलिक उपदर्शन

परिचय

भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री (जीआईआर) एक वैधानिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य भौगोलिक उपदर्शन से संबंधित वस्तुओं के पंजीकरण और उन्हें बेहतर संरक्षण प्रदान करना और भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 का प्रशासन करना है, जिसे 15 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई में स्थित है।

रजिस्ट्री भारतीय भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है। चाय, कॉफी, मसाले, कृषि और बागवानी उत्पाद, हस्तकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प, वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएँ, दुग्धउत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएँ, स्पिरिट एवं मद्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1. कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ:–

रजिस्ट्री ने 15 सितंबर, 2003 से पंजीकरण हेतु भौगोलिक उपदर्शन आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ किया है। 31 मार्च, 2021 तक रजिस्ट्री ने कुल **745** (सात सौ पैंतालीस) जीआई आवेदन प्राप्त किए हैं।

रजिस्ट्री को मई 2009 से भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन भी प्राप्त करने प्रारम्भ किया हैं तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2021 तक **7824** (सात हजार आठ सौ चौबीस) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

15 सितम्बर, 2003 से अब तक कुल **370** (तीन सौ सत्तर) भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) पंजीकृत किए गए हैं। कुल **4885** (चार हज़ार आठ सौ पचासी) भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक कार्यालय ने **58** भौगोलिक उपदर्शन आवेदन व 966 भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं, **05** भौगोलिक उपदर्शन व **505** भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है।

2. भौगोलिक उपदर्शन आवेदन:–

31, 2021–31 मार्च, 2021 तक भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों की स्थिति

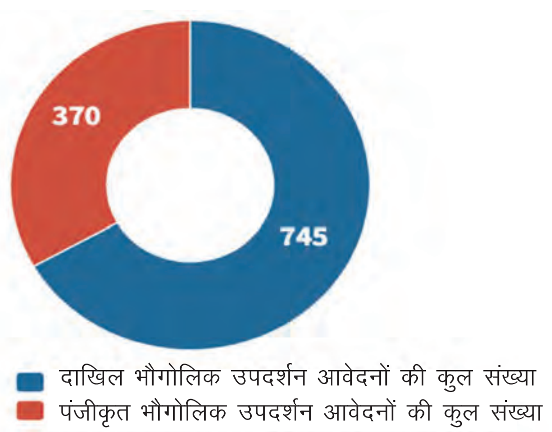

31 मार्च, 2021 तक प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का अवस्थानुसार विवरण

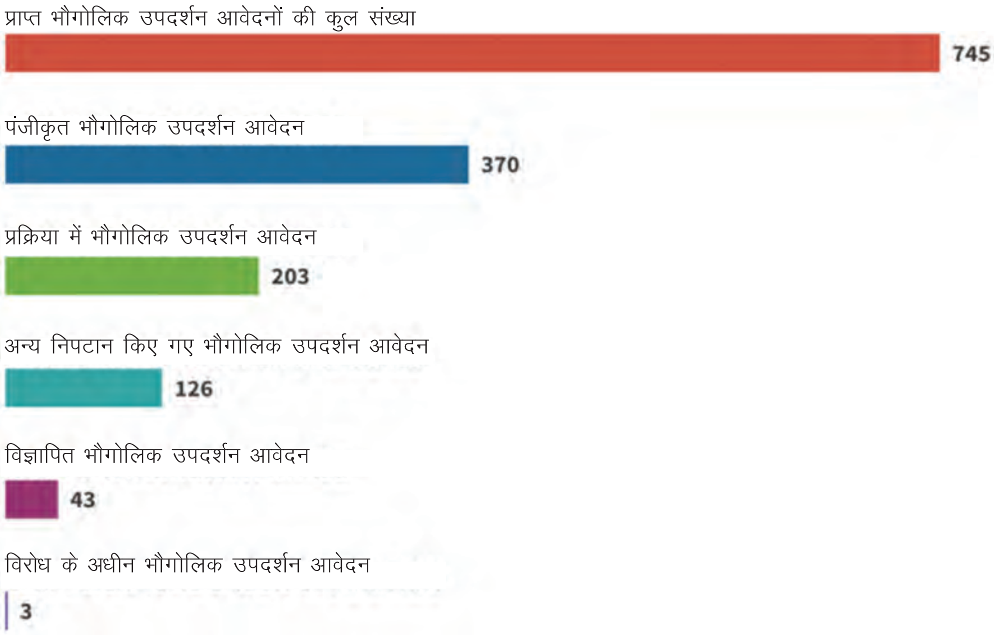

31 मार्च, 2021 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्श नआवेदन का वर्ष वार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003—04	6
2004—05	29
2005—06	16
2006—07	33
2007—08	37
2008—09	44
2009—10	40
2010—11	27
2011—12	148
2012—13	24
2013—14	75
2014—15	47
2015—16	17
2016—17	32
2017—18	38
2018—19	32
2019—20	42
2020—21	58
कुल	**745**

31 मार्च, 2021 तक दाखिल किए गए भौगोलिक उपदर्शन आवेदनों का वर्षवार विवरण

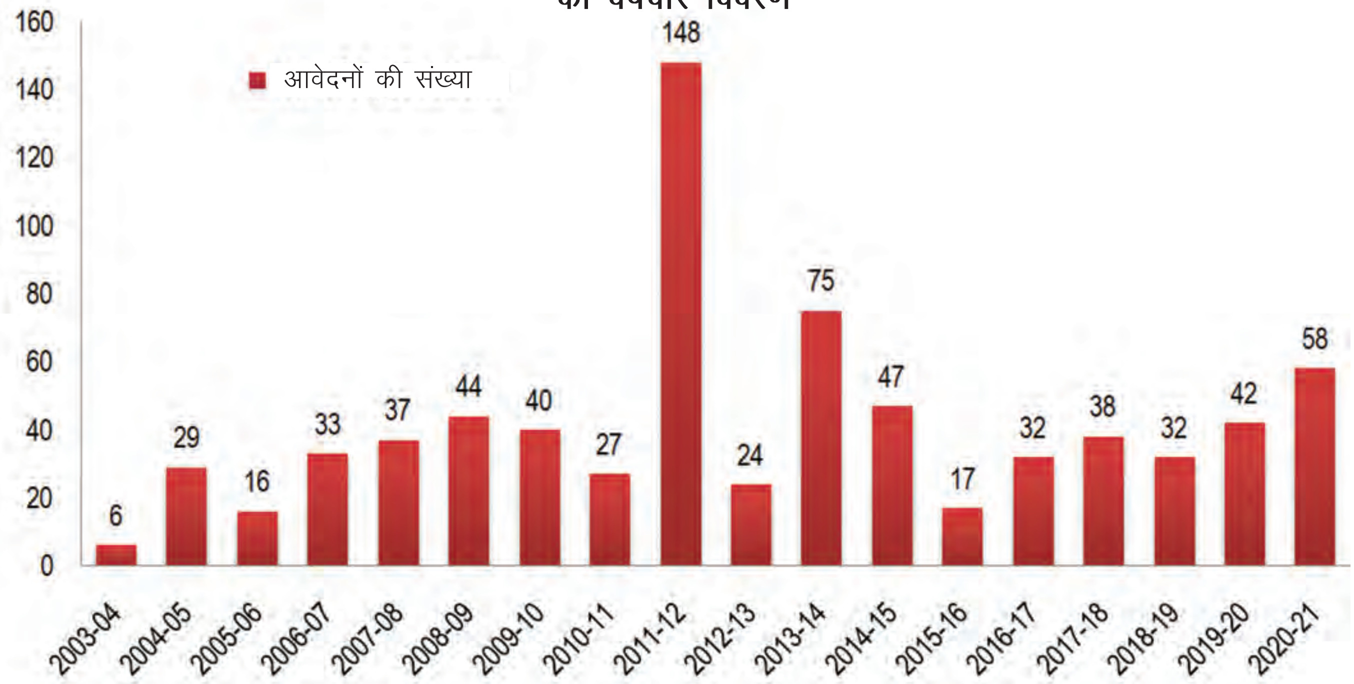

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा2(च) के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन का वस्तुओं के अनुसार विवरण

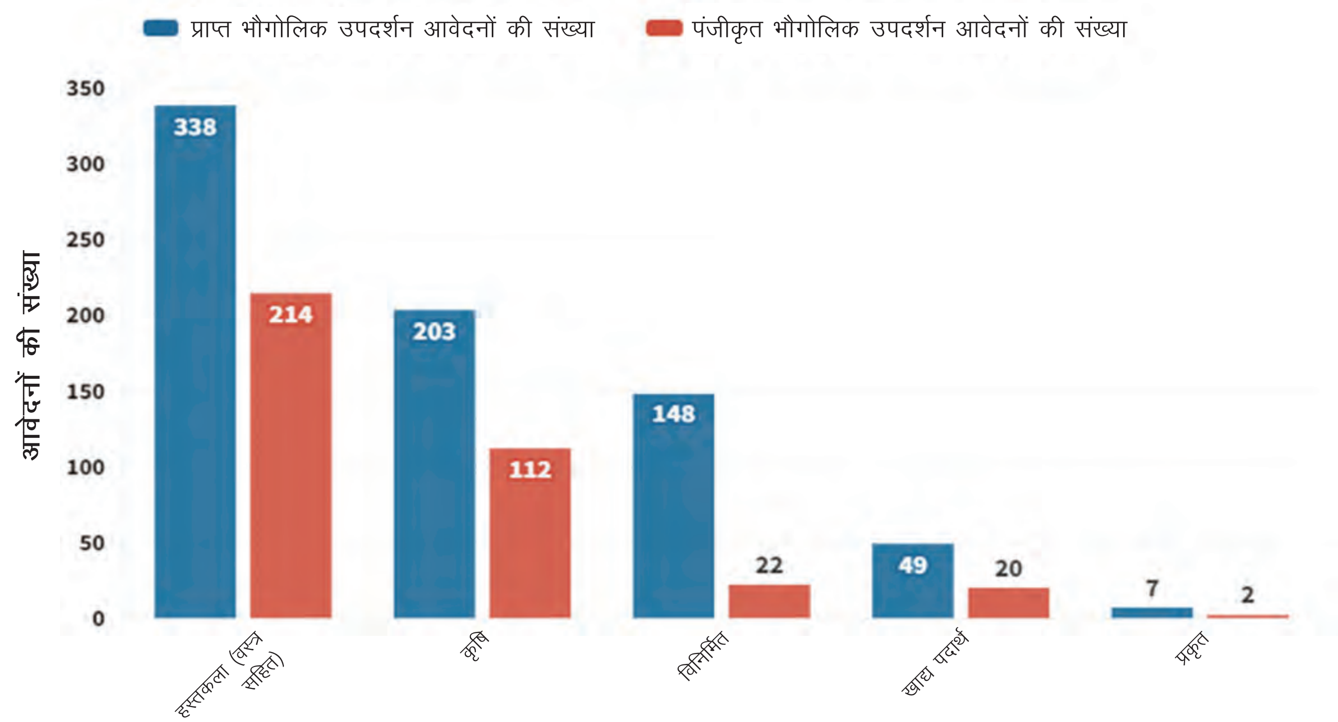

31 मार्च, 2021 तक राज्यवार पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन

राज्य/अस्तित्व	पंजीकृत भौ. उ. की संख्या
आंध्र प्रदेश	17
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	9
बिहार	13
छतीसगढ़	6
गोवा	2
गुजरात	15
हिमाचल प्रदेश	8
भारत (बहु राज्य)– (कर्नाटक व महाराष्ट्र)	1
भारत (केरल व तमिलनाडु)	1
भारत (केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु)	1
भारत–(महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश)	1
भारत–(महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा व नागर हवेली, दमन दीव)	1
भारत (पंजाब/ हरियाणा/ हिमाचल प्रदेश/ दिल्ली / उत्तराखंड/ उत्तर प्रदेश/ जम्मू व कश्मीर)	1
भारत (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान)	1
भारत (आंध्र प्रदेश व उड़ीसा)	1
भारत (कर्नाटक व केरल)	2
भारत (तेलंगाना व आंध्र प्रदेश)	1
जम्मू व कश्मीर	8
झारखंड	1
कर्नाटक	42
केरल	28
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	30
मणिपुर	5
मेघालय	2
मिजोरम	6
नागालैंड	3
उड़ीसा	17
पुदुचेरी	2
राजस्थान	14
सिक्किम	1

तमिलनाडु	38
तेलंगाना	15
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	27
उत्तराखंड	1
पश्चिम बंगाल	21
विदेश	15
कुल	**370**

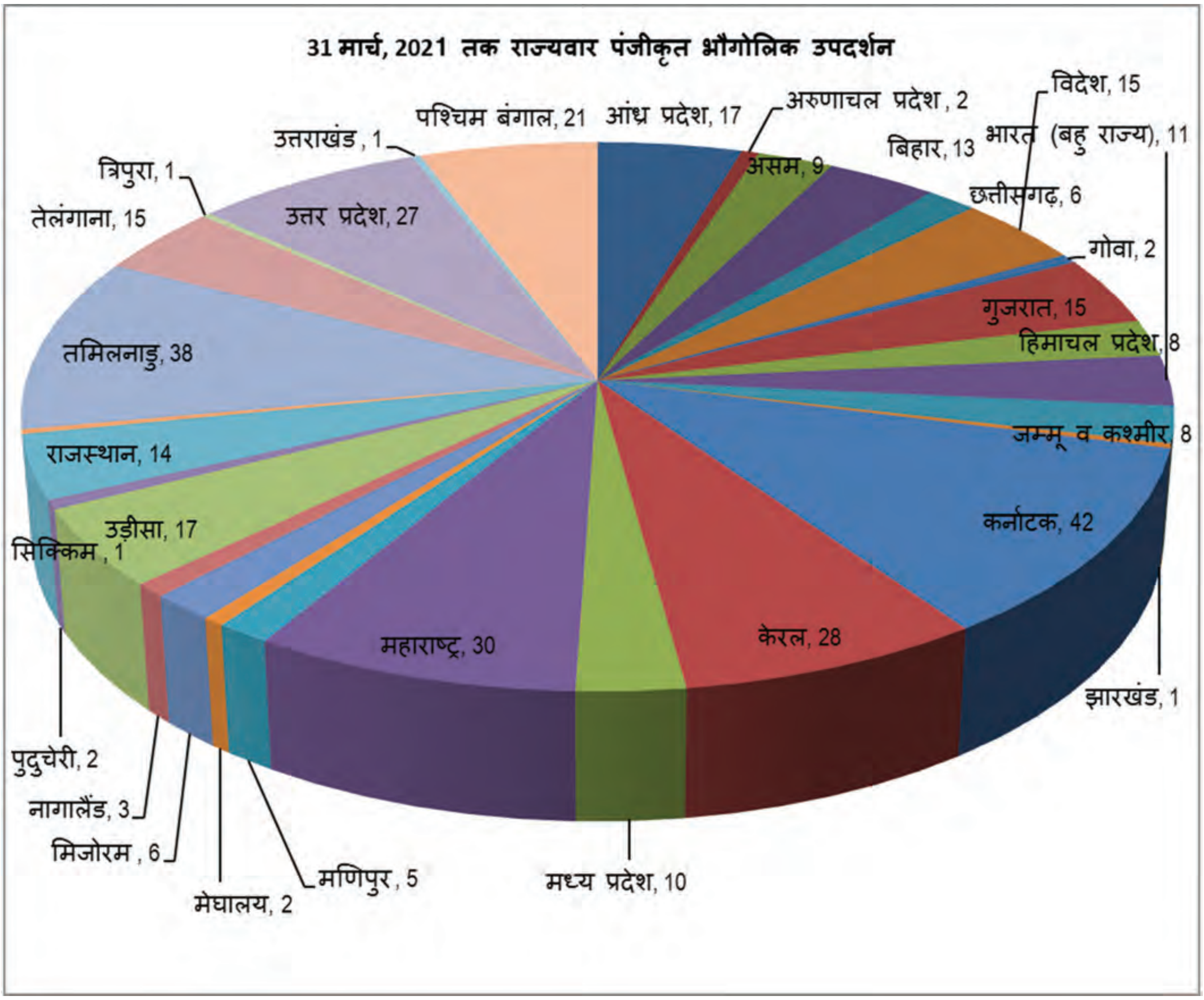

3. प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनः—

भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करने का प्रावधान 2003 से उपलब्ध था किन्तु मई 2009 से रजिस्ट्री ने भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त करना प्रारम्भ किया तथा रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2021 तक **7824** भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन प्राप्त किए हैं।

31 मार्च, 2021 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2003—04	0
2004—05	0
2005—06	0
2006—07	0
2007—08	0
2008—09	0
2009—10	101
2010—11	124
2011—12	145
2012—13	1070
2013—14	471
2014—15	262
2015—16	176
2016—17	1548
2017—18	823
2018—19	662
2019—20	1476
2020—21	**966**
कुल	**7824**

31 मार्च, 2021 तक दाखिल भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वर्षवार विवरण

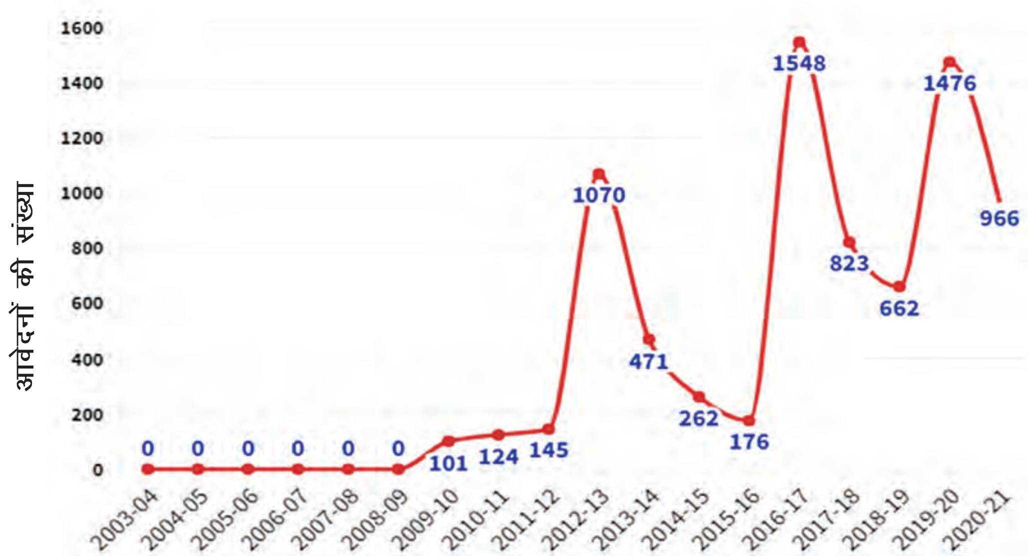

31 मार्च, 2021 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदन की स्थिति

पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	4885
परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	2069
पूर्व–परीक्षित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	400
विज्ञापित भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	464
विरोध के अधीन भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	1
विलय किए गए भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	5
भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की कुल संख्या	**7824**

31 मार्च, 2021 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुओं के अनुसार विवरण

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम, 1999 की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ	प्राप्त भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या	पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों की संख्या
हस्तकला (वस्त्र सहित)	3999	2240
कृषि	3472	2335
विनिर्मित	174	166
खाद्य पदार्थ	174	143
प्रकृत	5	1
कुल	**7824**	**4885**

31 मार्च, 2021 तक भौगोलिक उपदर्शन प्राधिकृत उपयोक्ता आवेदनों का वस्तुषओं के अनुसार विवरण

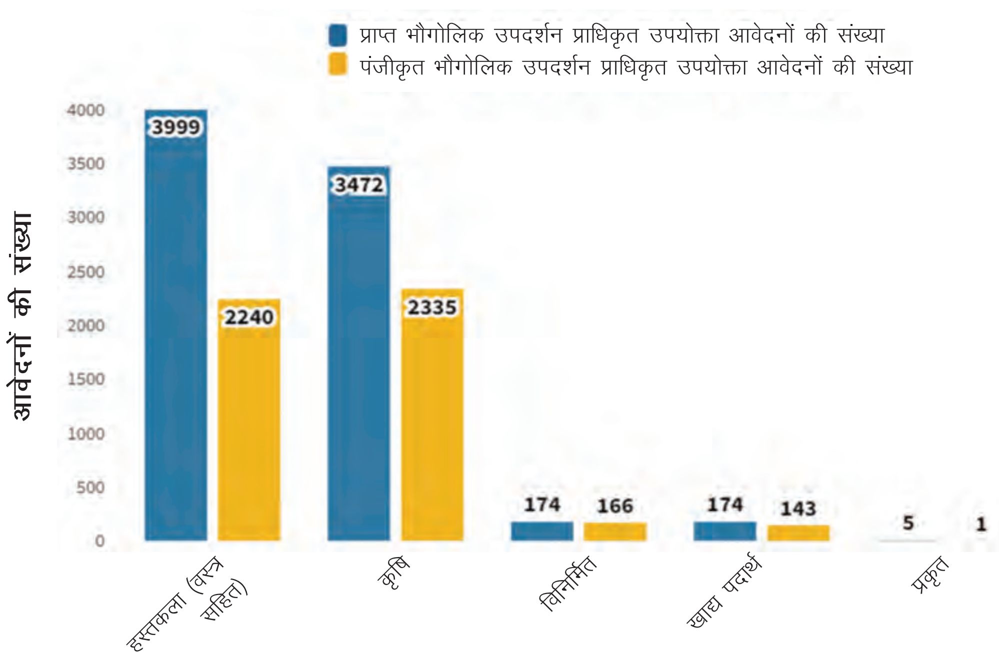

भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम,1999की धारा 2(च) के अनुसार वस्तुएँ

अध्याय–IX

कॉपीराइट

परिचय

कॉपीराइट किसी कार्य का मालिकाना अधिकार है जिससे वह कार्य के उपयोग को नियंत्रित कर सकता है व उसके उपयोग से आर्थिक रूप से लाभान्वित होता है। इस तरह के कार्य साहित्यिक (संकलन और सॉफ्टवेयर सहित), नाटकीय, संगीत, कलात्मक, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग के रूप में मानव मस्तिष्क का निर्माण हैं।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत कॉपीराइट का प्रशासन किया जाता है, जिसमें समय–समय पर संशोधन करके विधि को ऐसे क्षेत्रों में मानव बुद्धि के तीव्र विकास के अनुरूप बनाया गया है।

1. कॉपीराइट कार्यालयः

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के अधीन कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना 1958 में की गई थी। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट का पंजीकरण करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अधीन पंजीकृत कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर का निरीक्षण करने, विवरण में परिवर्तन, उसका सार लेने, कॉपीराइट सोसाइटी का प्रशासन इत्यादि जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय के प्रक्षेत्र (डोमेन) में आती हैं।

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों का निर्वाह करता हैः

(i) मूल साहित्यिक, नाटकीय, संगीत व कलात्मक कार्य;
(ii) चलचित्र की फिल्में; और
(iii) ध्वनि रिकॉर्डिंग

किसी कार्य का निर्माण होते ही कॉपीराइट अस्तित्व में आ जाता है और कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए कोई औपचारिकता पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और उसमें दर्ज प्रविष्टियाँ विधिक न्यायालय में कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित विवाद के संदर्भ में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में कार्य करती हैं।

आवेदन पत्र, शुल्क संरचना, कॉपीराइट नियम, 2013 के संबन्धित उद्धरण सहित पंजीकरण प्रक्रिया का विवरण कॉपीराइट की वेबसाइट अर्थात http//copyright.gov.in पर उपलब्ध हैं।

2. कॉपीराइट का स्वामित्वः

कॉपीराइट विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार विशिष्ट हैं यद्यपि ये सीमित अवधि के लिए हैं। ऐसे किसी भी कार्य का कार्य के स्वामी की प्राधिकृति/अनुमति के बिना उपयोग विधि का उल्लंघन अथवा कॉपीराइट का अतिलंघन हो सकता है (कॉपीराइट विधि के तहत कुछ सीमाएं व अपवाद प्रदान किए गए हैं)। विधि यह भी सुनिश्चित करती है कि एक बार इस विशिष्ट अधिकार की अवधि समाप्त होने के उपरांत, आम जनता की उस कार्य तक सहज पहुँच हो।

3. कॉपीराइट सोसाइटीः

भारत में पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी निम्नलिखित हैंः

- इंडियन पर्फ़ोर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस)–संगीत कार्य व ऐसे संगीत कार्य से जुड़े साहित्यिक कार्यों के लिए।
- इंडियन रेप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन (आईआरआरओ)–फोटोग्राफी कार्यों के लिए
- इंडियन सिंगर्स राइट्स असोशिएशन (आईएसआरए)–गायकों के अदाकारी के अधिकार तथा उनसे जुडी अन्य सहायक गतिविधियां

4. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधि/समझौते:

विदेशों में भारतीय कार्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए, भारत कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों पर निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सदस्य बना हुआ है:

- बर्न कन्वेन्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स
- यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेन्शन
- ट्रेड रिलेटिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) समझौता
- मरक्केश ट्रीटी टू फेसिलिटेट एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क्स बाय विज़ुयली इंपेयर्ड पर्सन्स (वीआईपीस) एंड पर्सन्सस विद प्रिंट डिसेबिलिटीज़
- वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी (डबल्यूसीटी)
- वाइपो परफोरमेनसिस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी (डबल्यूपीपीटी)

5. अभिनव विकास:

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर.225 (ई) दिनांक 30 मार्च 2021 के संदर्भ के तहत कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित किया है। संशोधन निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है:

- कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर कॉपीराइट जर्नल के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान लाया गया है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- सॉफ्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है, जिसमें आवेदक स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठ, या संपूर्ण स्रोत कोड, यदि 20 पृष्ठों से कम है, बिना किसी अवरुद्ध या संशोधित भागों के फाइल कर सकते हैं।
- कॉपीराइट सोसायटियों को प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और उसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, रॉयल्टी की अविभाजित राशि से निपटने के प्रावधान और रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेस करने योग्य भुगतान विधियों के उपयोग की शुरुआत की गई है।

कॉपीराइट की प्रवृत्ति:

कॉपीराइट कार्यालय ने उपयोगकर्ताओं की पारदर्शिता और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ाने के अपने प्रयास में "कॉपीराइट सोसाइटी (फॉर्म VIII) और फॉर्म (IX) के पंजीकरण/नवीनीकरण" और "कलाकार सोसाईटी के पंजीकरण/नवीकरण" (फॉर्म XI) और फॉर्म (XII) के लिए ई–फाइलिंग सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है।

2020–21 के दौरान, कुल **24451** आवेदन प्राप्त हुए व **21523** आवेदन परीक्षित किए गए। परीक्षण के दौरान, प्रेक्षित विसंगतियों को सुधार के लिए आवेदकों को सूचित किया गया। 2020–21 में उत्पन्न रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट (आर.ओ.सी.) की संख्या **16399** रही। 2016–17 से 2020–21 तक के सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल प्राप्त आवेदन	कुल परीक्षित आवेदन	उत्पन्नर जिस्टर ऑफ कॉपीराइट (आरओसी)	कुल निपटान
2016–17	16617	16584	3596	5444
2017–18	17841	34388	19997	39799
2018–19	18250	22658	14625	25943
2019–20	21905	29670	16029	22516
2020–21	**24451**	**21523**	**16399**	**19477**

कॉपीराइट की प्रवृत्ति

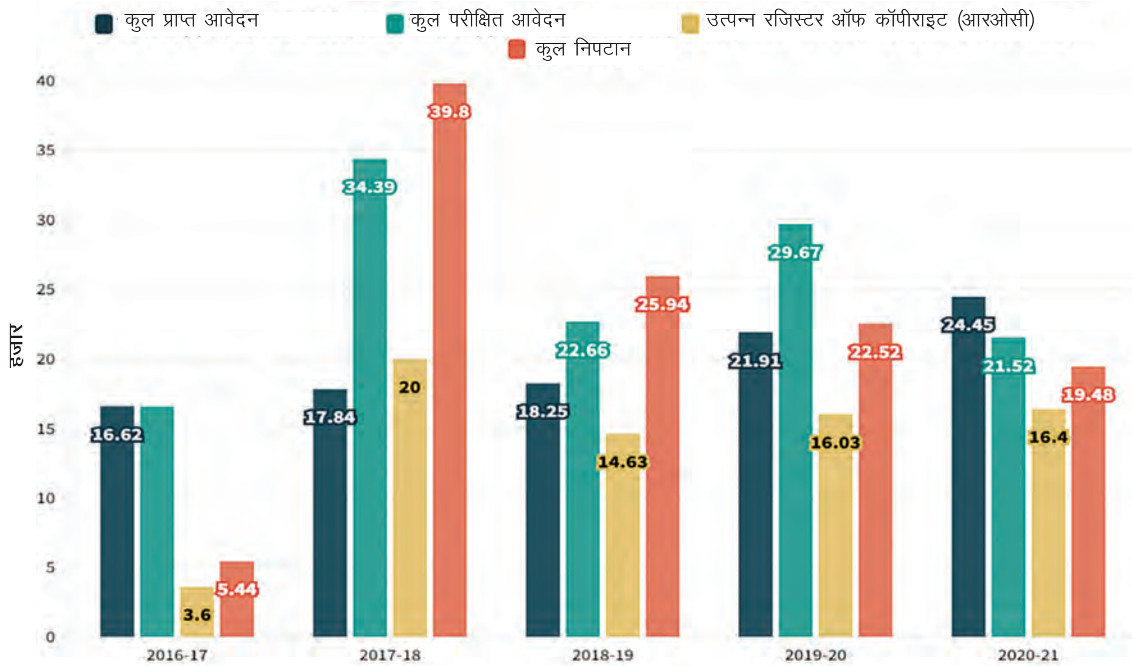

वर्ष 2020–21 के दौरान उत्पन्न कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) का वर्गवार विवरण

क्र. सं.	वर्ग	आरओसी
1	कलात्मक	3655
2	चलचित्र फिल्म	230
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	961
4	साहित्यिक / नाटकीय	10514
5	संगीत	69
6	ध्वनि रिकॉर्डिंग	970
	कुल आरओसी	**16399**

वर्ष 2020–21 के दौरान उत्पन्न कॉपीराइट के पंजीकरण (आरओसी) का वर्गवार विवरण

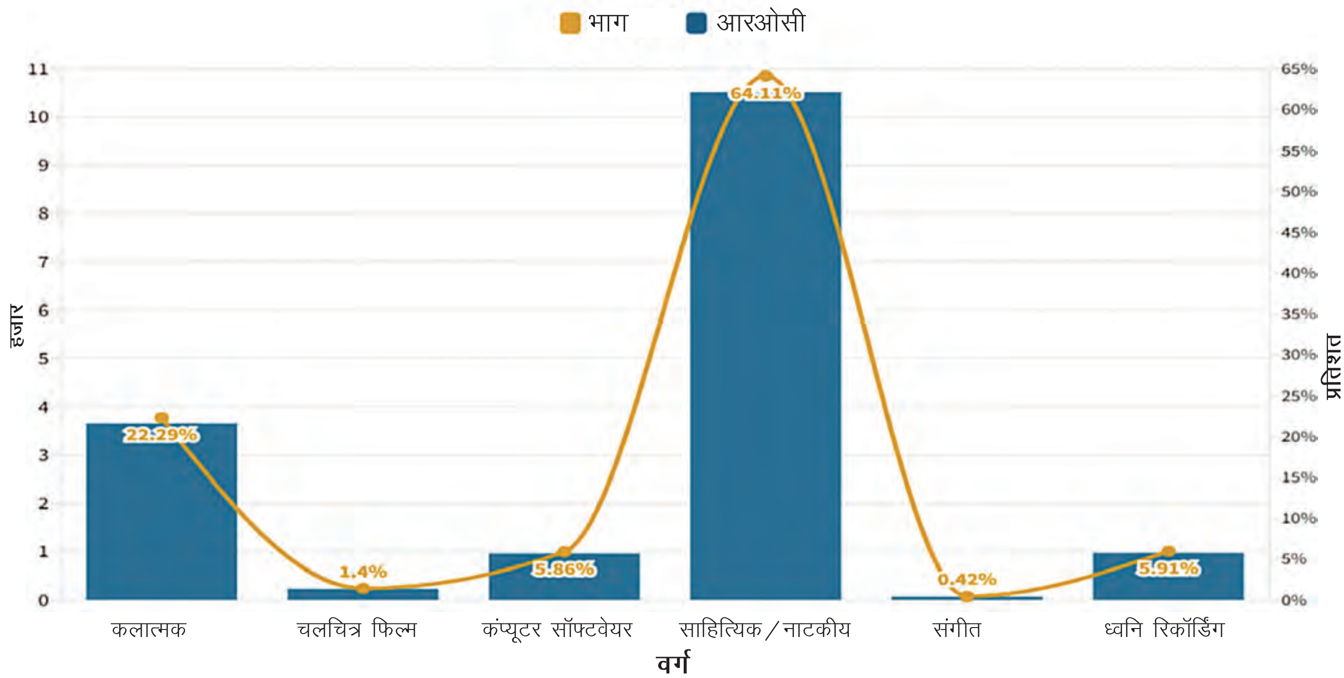

7. कॉपीराइट कार्यालय की प्रमुख उपलब्धियांः

- पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त आवेदनों में लगभग 8% की वृद्धि हुई हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की फाइलिंग कुल आवेदनों के 90% के स्तर तक पहुंच गई है।
- कॉपीराइट रजिस्टर (फॉर्म XV) में दर्ज "कॉपीराइट के विवरण में परिवर्तन के पंजीकरण" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा प्रारम्भ की गई है।
- "कॉपीराइट सोसायटी का पंजीकरण/नवीकरण (फॉर्म VIII) और (फॉर्म IX)" और "परफोरमर्स सोसायटी का पंजीकरण/नवीकरण (फॉर्म XI) और (फॉर्म XII)" के लिए ई–फाइलिंग सुविधा।
- कॉपीराइट कार्यालय के ई–फाइलिंग पोर्टल में गैर–कर रसीद पोर्टल प्रारम्भ किया जा रहा है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री

परिचयः

यह अध्याय अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम 2000 की धारा 88 के तहत अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर) द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 (एसआईसीएलडी अधिनियम) अर्धचालक एकीकृत परिपथ (आईसी) डिजाइनों को संरक्षण प्रदान करता है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अर्धचालकों, धातुओं, डाईइलेक्ट्रिक (इंसुलेटर) व अन्य सामग्री की कई परतों को मिलाकर सब–स्ट्रेट पर बनाए (फेब्रीकेट किए) जाते हैं। एसआईसीएलडी अधिनियम और नियम एकीकृत परिपथ अभिन्यास के रूप में इन परतों के त्रिआयामी विन्यास को संदर्भित करते हैं।

एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन के पंजीकरण के लिए मानदंड यह है कि वह होना चाहिएः–

- मूल
- विशिष्ट
- किसी भी अन्य अभिन्यास डिजाइन से अलग होने में सक्षम
- भारत में अथवा किसी भी कन्वेंशन देश में कहीं भी व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो।

1. अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री (एसआईसीएलडीआर):

एकीकृत परिपथों के विन्यास डिजाइन संबंधी आवेदन बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री में दाखिल किए जाते हैं। इस रजिस्ट्री का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत है। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) अधिनियम, 2000 तथा एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन (एसआईसीएलडी) नियम, 2001 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रजिस्ट्री एकीकृत परिपथ के विन्यास डिजाइन का परीक्षण करती है व अर्धचालक एकीकृत परिपथ के मूल विन्यास डिजाइन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करती है।

अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री का प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के नियंत्रण में था, लेकिन 17 मार्च, 2016 की अधिसूचना द्वारा अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000 और अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री के प्रशासन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) में स्थानांतरित कर दिया गया तथा कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के नियंत्रण में लाया गया। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन रजिस्ट्री अब बौद्धिक सम्पदा भवन, द्वारका नई दिल्ली से कार्य कर रही है।

2. उपलब्धियां:

प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 के दौरान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बैंगलोर से पाँच (5) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन आवेदन पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए हैं और आवेदक को परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

अब तक, अभिन्यास डिजाइन के लिए दो (2) पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं: (i) डिजाइन संख्या 1(I)/2013 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नाम से दिनांक 20 जनवरी, 2015, शीर्षक – "8 पोर्ट माइक्रो–कंट्रोलर (बीई.80501)"; तथा (ii) डिजाइन संख्या 2(I)/2016 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नाम से दिनांक 24 मई, 2016, शीर्षक – "50–60 गीगाहट्र्ज सब हार्मोनिक आईक्यू मिक्सर"।

3. एससीआईएलडी रजिस्ट्री की जनशक्ति संरचना

एससीआईएलडी रजिस्ट्री में निम्नलिखित पद अनुमोदित हुए हैं:

क्र. सं.	पदनाम	पद (पदों) की संख्या	ग्रेड पे के साथ पूर्व संशोधित वेतनमान
1.	पंजीकार	एक	पीबी4 + जीपी रु.8700
2.	तकनीकी अधिकारी	एक	पीबी2 + जीपी रु.5400
3.	निजी सचिव	एक	पीबी2 + जीपी रु.4600

अध्याय XI

राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आर जी एन आई आई पी एम) व पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)

परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संबंधी गतिविधियाँ पिछले कई वर्षों से देश में निरंतर बढ़ रही हैं। आईपीआर के सृजन, उपयोग व सार्थक दोहन में कई जटिल समस्याएं शामिल हैं। देश में आईपीआर के ज्ञान में सुधार लाने और आईपीआर में हितधारकों के कौशल को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय केंद्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने बौद्धिक सम्पदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन, शोध और शिक्षण हेतु उच्च कोटि के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नागपुर में राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) की स्थापना की है। आरजीएनआईआईपीएम परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के प्रशिक्षण, बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (आईपीओ) के अधिकारियों के न्यायिक प्रशिक्षण, परीक्षक व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन व अन्य आईपीओ अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करता है तथा यह विभिन्न उपयोक्ता समुदायों हेतु बौद्धिक सम्पदा आईपी प्रशिक्षण/शिक्षण व आईपीआर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

उद्देश्यः

आरजीएनआईआईपीएम को देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में, आरजीएनआईआईपीएम का प्राथमिक उद्देश्य आईपी अधिकारियों व विभिन्न प्रकार के हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं आईपीआर विषय पर जागरूकता पैदा करना है। समग्र उद्देश्य निम्नानुसार हैंः

- बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों की आंतरिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना व उन्हें पूर्ण करना तथा बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, न्यायिक प्रशिक्षण आयोजित करना,
- विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों आदि में बौद्धिक सम्पदा जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षित आईपी जनशक्ति का सृजन करने के लिए सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति के उद्देश्यों को लागू करना,
- आईपी व्यावसायिकों, आईपी प्रबंधकों, अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों, सरकारी संस्थान व व्यक्तियों आदि जैसे आईपी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना,
- आईपीआर पर अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना,
- आईपी उपयोगकर्ताओं जिनमें विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान और विभिन्न संगठन शामिल हैं उनके बीच आईपी प्रणाली की सामान्य जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना,
- उपयोक्ता समुदायों, सरकारी कर्मियों और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के सृजन, वाणिज्यिकरण और प्रबंधन में शामिल हितधारकों को आधारभूत शिक्षा प्रदान करना,
- देश में सभी प्रकार के बौद्धिक सम्पदा हितधारकों के लिए स्वयं व प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर आईपीआर के प्रशिक्षण और शिक्षण की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात पेटेंट, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, कॉपीराइट एवं एसआईसीएलडी आदि के वास्तविक और संभावित उपयोगकर्ताओं की पेटेंट व अन्य आईपी प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इनसे व्यावसायिक, स्टार्ट–अप, विधि व्यवसाय, भावी पेटेंट आईपीआर अभिकर्ता, अनुसंधान एवं विकास संगठन, उद्योग, लघु व मध्यम उद्यमी, विद्याविद, केन्द्रीय/राज्य सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वैयक्तिक आविष्कारक लाभान्वित होते हैं।

आरजीएनआईआईपीएम निम्नलिखित के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता हैः

- नवनियुक्त आईपीओ के अधिकारी,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम,
- आईपीओ के अधिकारियों के लिए न्यायिक प्रशिक्षण,
- आईपी पर अल्पकालिक सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- संस्थानों, संगठनों, आईपीआर से संबन्धित संगठनों के लिए बौद्धिक सम्पदा विषय पर कार्यशालाएँ/ संगोष्ठियाँ/ जागरूकता कार्यक्रम,
- वाइपो व अन्य संगठनों के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2020 –21 के दौरान उपलब्धियां

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि में, विश्व ने कोविड –19 महामारी से संबंधित अभूतपूर्व स्थिति का सामना किया। तदनुसार, सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, आरजीएनआईआईपीएम ने सभी प्रशिक्षण गतिविधियों को ऑनलाइन प्रारूप में संचालित किया। कुछ अवसरों को छोड़कर विभागीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए भी आधे दिन की प्रकृति का वेबिनार कार्यक्रम संचालित किया गया। उपरोक्त संदर्भ में, प्रतिवेदन अवधि के दौरान आरजीएनआईआईपीएम ने कुल 156 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1–दिन के 17 कार्यक्रम, 2–दिन एवं 3–दिन के एक–एक कार्यक्रम, 5–दिन के तीन ऑनलाइन वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किए गए। सार्वजनिक संस्थानों के लिए कुल 128 ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए गए। 5 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ऑनलाइन आयोजित किए गए।

2016–17 से 2020–21 तक सार्वजनिक कार्यक्रम का विवरण

साल	सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम – प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि						विभागीय प्रशिक्षण			सेमिनार/ सार्वजनिक संस्थान के लिए कार्यशाला/ जागरूकता कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	प्रतिभागियों की संख्या	कुल
	1 दिन	2दिन	3 दिन	5 दिन	6 दिन	2 सप्ताह	6 सप्ताह	1–21 दिन	(ऑन–जॉब) प्रशिक्षण				
2016–2017	32	8	—	8	1	—	4	—	—	41	5	7036	99
2017–2018	24	12	8	9	10	—	1	1	—	27	2	3021	94
2018–2019	16	14	3	4	6	2	—	6	—	39	2	5763	92
2019–2020	14	14	10	3	6	2	1	1	—	41	3	5655	95
2020–2021 (केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड –19 महामारी को देखते हुए आयोजित किए गए)	17	1	1	3	—	–	1	3	1	128	1	21077	156
कुल	**103**	**49**	**22**	**27**	**23**	**4**	**7**	**1 1**	**1**	**276**	**13**	**42552**	**536**

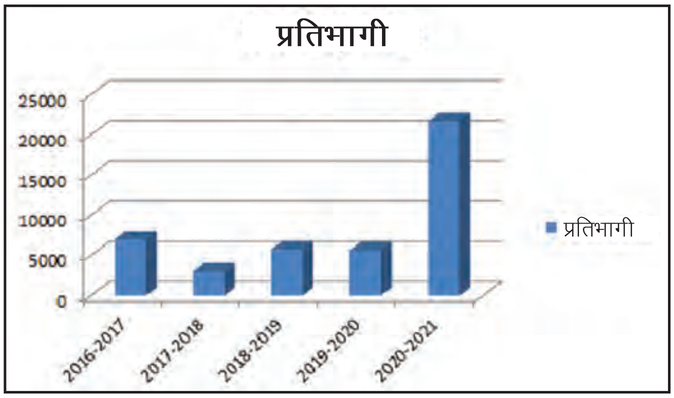

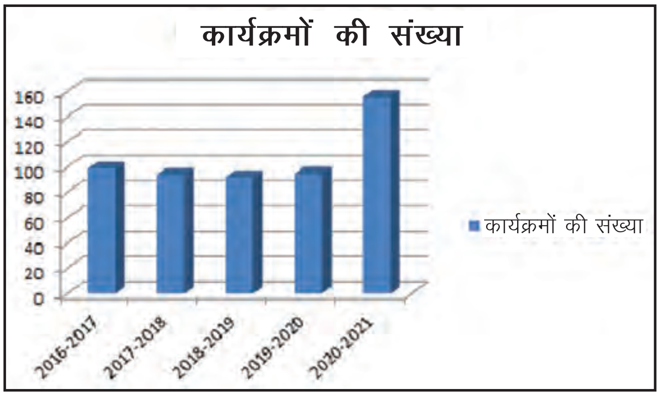

प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संकाय सदस्य:

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संकाय सदस्य के रूप में भारतीय पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री कार्यालय के बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर विशेषज्ञ थे तथा देश के जाने–माने विभिन्न प्रसिद्ध संगठनों जिसमें आईपी न्यायवादी (अटर्नी), आईपी विशेषज्ञ आदि शामिल थे।

2020–21 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का विवरण:

क. विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:

दिनांक	विवरण
28 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2021	आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में पेटेंट और डिजाइन के 62 नवनियुक्त परीक्षकों को एक वर्ष से अधिक समय तक विभागीय व्यवहारिक 'ऑन जॉब' प्रशिक्षण दिया गया।
31 अगस्त, 2020 से 11 सितंबर, 2020	आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। संकाय – श्री मनीष शुक्ला, डॉ. के.एस.कर्दम, डॉ. बी.के.सिंह, डॉ. डब्ल्यू.एम.धुमाने, श्रीमती पूनम सिंह, श्री संजय पाटिल, श्री. अविनाश प्रभुने, श्री एस.चंद्रशेखरन, श्री ए.टी.पात्रे, डॉ. अमिताभ चक्रवर्ती, श्री डी.पी.एस. परमार, श्री पांडुरंगन, डॉ. एस.के. मित्रा
16–18 सितंबर, 2020	सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 'स्थापना व सेवा मामले पर' 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संकाय– डॉ. बी.के.सिंह, डॉ. सुनीता बेटगिरी, श्री अविनाश प्रभुने, डॉ. कुमार स्वामी, श्री एल.वी. शिंदे, डॉ. एस.डी.भटनागर
15 सितंबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	पेटेंट और डिजाइन के 12 नवनियुक्त परीक्षकों के लिए छह सप्ताह का फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम और उसके बाद 26 अक्टूबर, 2020 से 26 फरवरी, 2021 तक उनका परिचय प्रशिक्षण (इन्डक्शन प्रशिक्षण) आयोजित किया गया। बाद में विभागीय ऑन जॉब प्रशिक्षण 31 मार्च, 2021 तक प्रदान किया गया।
5 अक्टूबर, 2020 से 16 अक्टूबर, 2020	उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए दो सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संकाय सदस्य– डॉ. के.एस. कर्दम, डॉ. एस.के.मित्रा, डॉ. बी.के.सिंह, डॉ. अमिताभ चक्रवर्ती, डॉ. डब्ल्यू.एम. धुमाने, श्री एस. चंद्रशेखरन, श्री डी.पी.एस.परमार, डॉ. एस.एस.सिंह, श्री एस.डी.डारने, श्री सतीश अड़के, श्री अविनाश प्रभुने, श्रीमती पूनम सिंह।

POONAM SINGH

RGNIIPM Nagpur

Dr S S Singh
Pramathesh Sen
S KUNDU
Kamal Singh Goondli
SUDIP JYOTI SAHU
SA

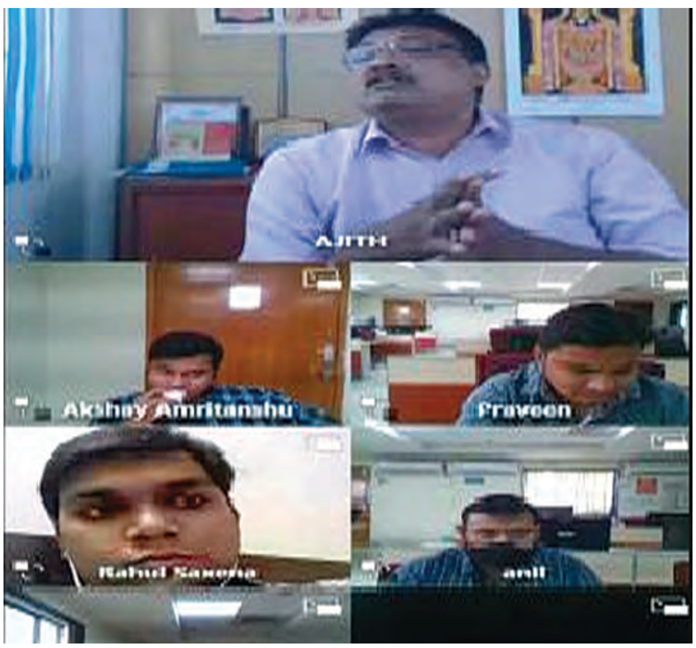
AJITH
Akshay Amritanshu
Praveen
Rahul Saxena
anil

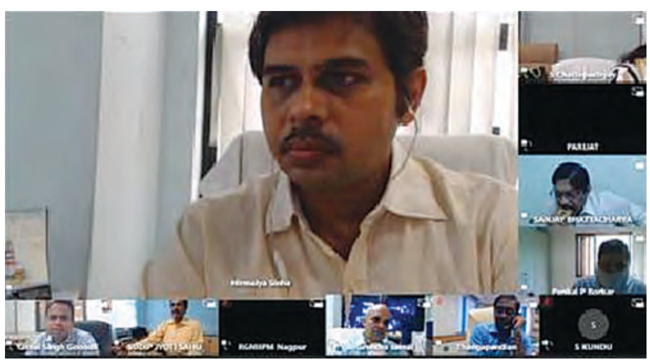

ख. वाइपो–भारत प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने वाइपो एवं महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर के सहयोग से समर स्कूल का आयोजन आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में किया। उक्त 2–सप्ताह के समर स्कूल का आयोजन 8–19 फरवरी, 2021 के दौरान किया गया, जिसमें 06 विदेशी नागरिकों, 55 भारतीय छात्रों एवं 45 अन्य प्रतिभागियों सहित कुल 106 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समर स्कूल के संकाय सदस्य थेः प्रो. वी.सी.विवेकानंदन, डॉ. राजेश दीक्षित, श्री. समीर स्वरूप, सुश्री टोमोको मियामोतो, श्री ताइगुन किम, प्रो. वी.के.उन्नी, सुश्री किरण शर्मा, प्रो. डॉ.वी.के.आहूजा, श्री. आर.ए.तिवारी, डॉ. पवन कुमार पांडे, सुश्री राजेश्वरी एच., श्री अजय पंवार, डॉ. एस.के.मित्रा, श्री. चिन्नाराजा जी.नायडू, डॉ. रागनी खुबलकर, डॉ. के.वी. प्रभु, सुश्री नागरत्ना टी.के., अधिवक्ता अनुपम त्रिवेदी, अधिवक्ता हरि सुब्रमण्यम, अधिवक्ता ईशान घोष, श्री एस. चंद्रशेखरन, डॉ. डब्ल्यू.एम.धुमाने, श्री. डी. केलब गेब्रियल, अधिवक्ता अक्षय मेहता, श्री. दामोदर वैद्य, प्रो. डॉ. श्रीनिवासुलु, श्री. शिवकुमार, डॉ. मोहन दीवान और अधिवक्ता साई दीपक।

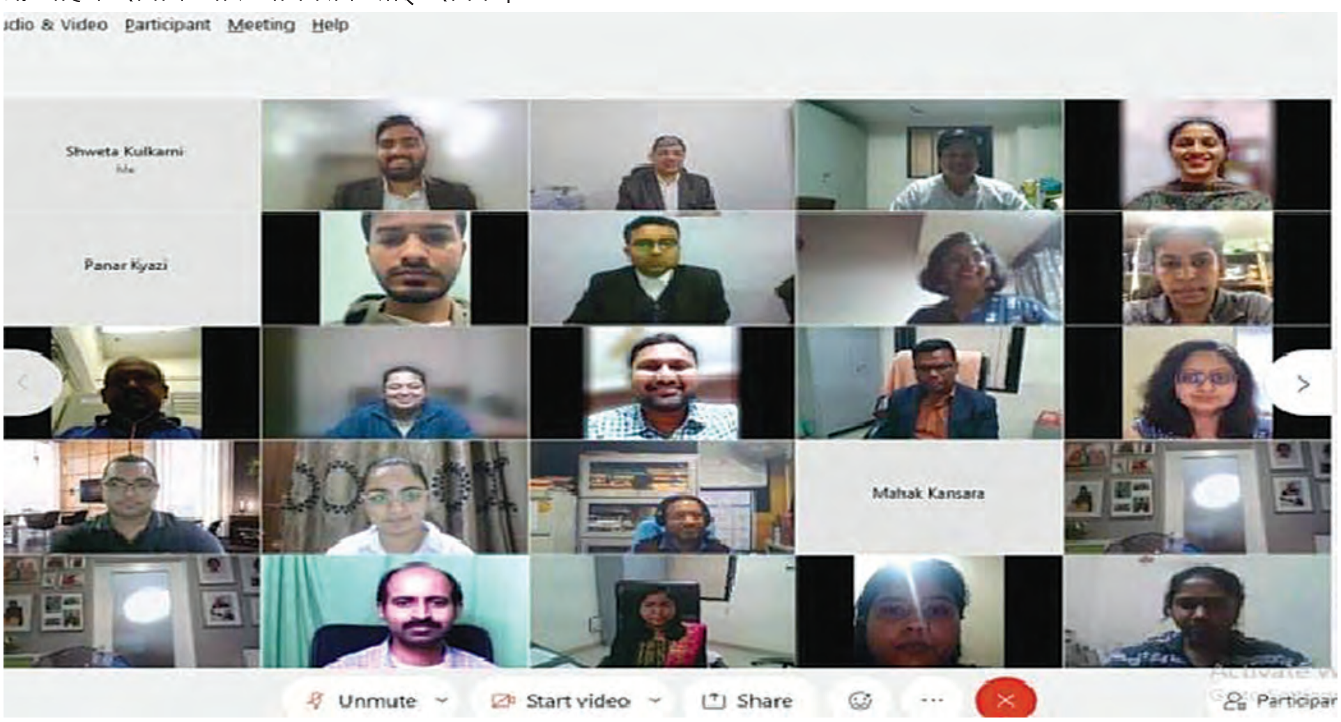

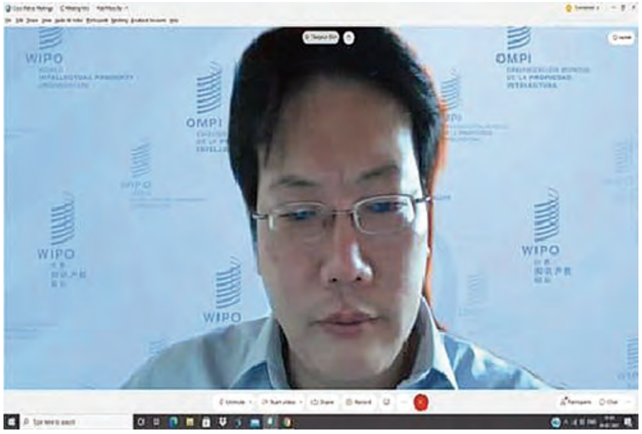

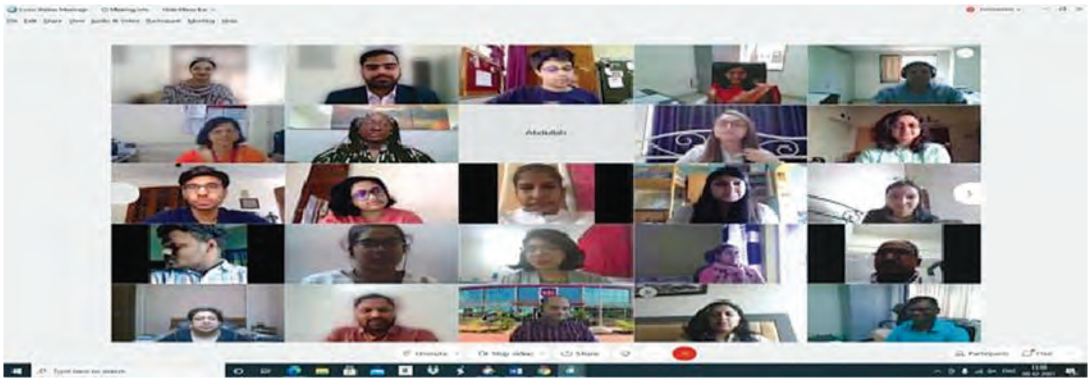

ग. सार्वजनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः

आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने आम जनता के लिए बौद्धिक सम्पदा के विभिन्न पहलुओं जिनमें ये विषय शामिल हैं– आईपीआर का परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का परिचय, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, आईपी लाइसेंसिंग की प्राथमिक जानकारी, समनुदेशन, मुक़दमेबाज़ी, फॉर्म व फीस, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया, डिजाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, एसआईसीएलडीआर और कॉपीराइट प्रक्रिया आदि पर 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय एवं 5 दिवसीय ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए हैं। कुछ कार्यक्रम सीजीपीडीटीएम, मुंबई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एनएलयू, नागपुर एवं एनएलयू, मुंबई के साथ आयोजित किए गए।

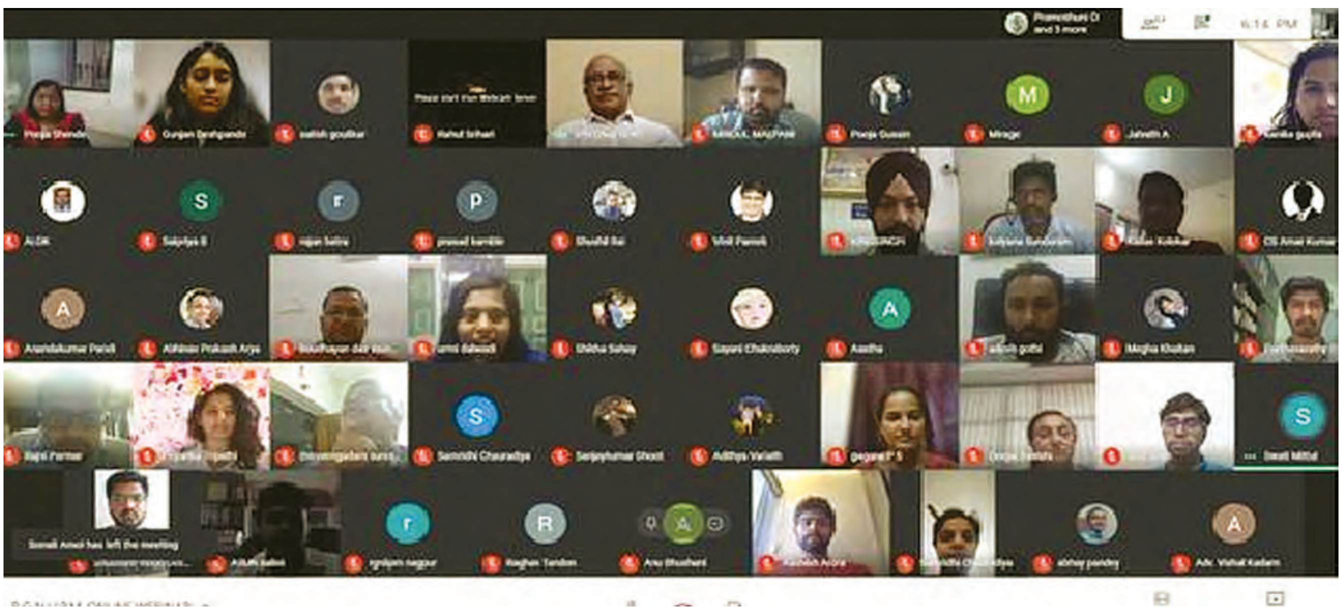

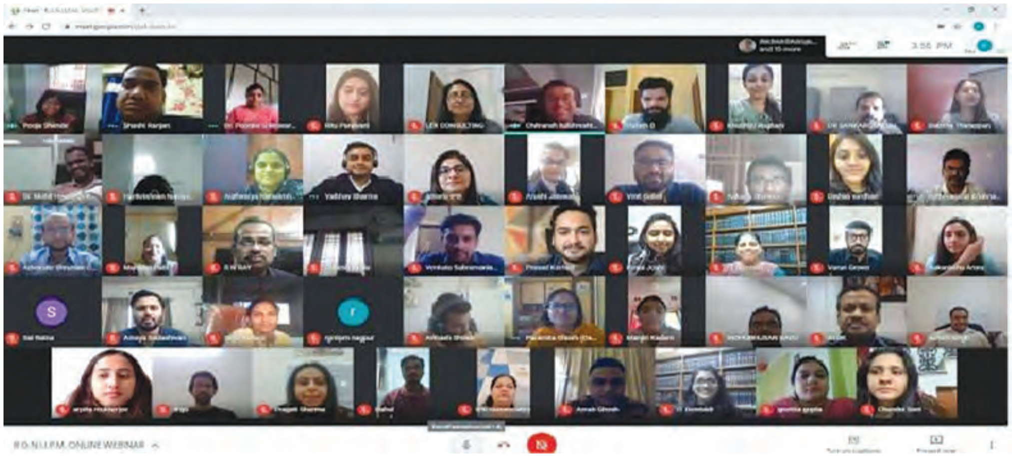

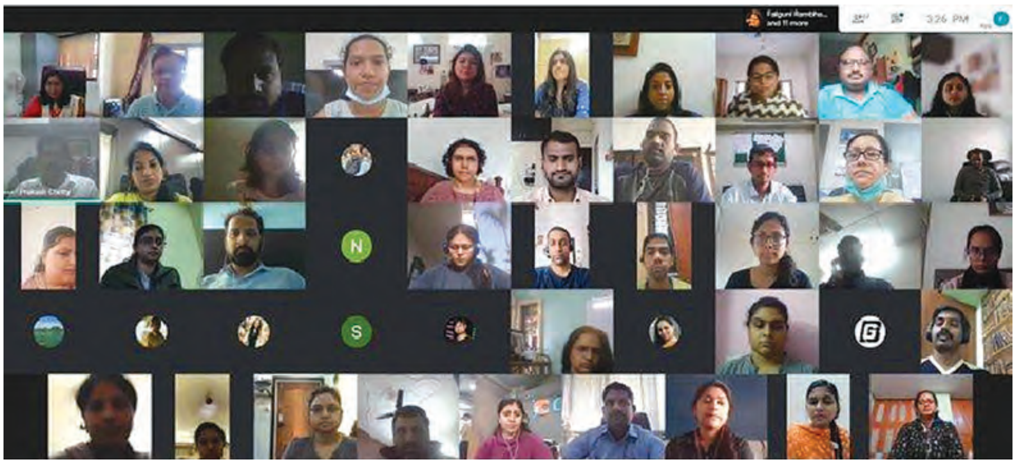

i) एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

1–दिवसीय कार्यक्रम में आईपीआर का संक्षिप्त परिचय, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट कार्यवाही, पेटेंट खोज सूचना और पेटेंट विनिर्देश का मसौदा तैयार करने पर संक्षिप्त परिचय तथा आईपी लाइसेंसिंग, समनुदेशन, मुकदमेबाजी, प्रवर्तन आदि विषयों पर प्राथमिक जानकारी शामिल है।

ii) दो/तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

2/3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान, बौद्धिक सम्पदा अधिकार का महत्व, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट आवेदनों के प्रकार, पेटेंट आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देश, पेटेंट विनिर्देश का लेख, फॉर्म व फीस, ई–फाइलिंग, पीसीटी प्रक्रिया आदि विषय होते हैं। तीन दिन के प्रशिक्षण में, पेटेंट विनिर्देश व्यवहार, दावा मसौदा तैयार करने और उनकी व्याख्या, पेटेंट आवेदन दाखिल करने के व्यवहार और अन्य दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं, उन पर विशेष जोर दिया जाता है।

iii) पाँच/छः दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमः

यह कार्यक्रम पेटेंट प्रणाली के सभी पहलुओं पर विस्तार से ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह कार्यक्रम इच्छानुसार 1/2/3/5 दिवसीय कार्यक्रमों में विभाजित करके भी आयोजित किया जाता है; ताकि यदि कोई अपनी रुचि के विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहे, तो वह दिनों का चयन कर सकता है। पेटेंट प्रणाली के सभी प्रमुख पहलू, अर्थात बौद्धिक सम्पदा अधिकार का परिचय, आईपी प्रबंधन, पेटेंट योग्य होने के मापदंड, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया, प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य व आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, पेटेंट विनिर्देश का लेख व दावे, पेटेंट विनिर्देश का प्रारूपन, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, पेटेंट खोज आदि विषय इस कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं।

iv) 2–सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमः

यह विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम उन व्यावसायिकों के लिए है जो आईपी के क्षेत्र में अपनी जीविका

बनाने के इच्छुक हैं। यह विशेषज्ञ संकाय की मदद से आईपीआर के सभी पहलुओं पर उनकी धारणा को स्पष्ट करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) जैसे पेटेंट, डिज़ाइन, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन व कॉपीराइट आदि शामिल हैं, जिसमें भारत और विदेश में आवेदन दाखिल करना, पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों का प्रसंस्करण, पेटेंट विनिर्देश और दावे, विरोध, उल्लंघन, लाइसेंस, आईपीआर का वाणिज्यीकरण, आईपी प्रबंधन, आईपी खोज अभ्यास आदि शामिल हैं।

घ . बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर कार्यशाला(एं):

वर्ष 2020–21 के दौरान, आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर ने 128 ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया है ताकि आईपीआर के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार एवं पेटेंट, फाइलिंग एवं आईपीआर के अन्य पहलुओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। उक्त कार्यशालाओं का आयोजन पूरे वर्ष के दौरान किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों, संस्थानों और अन्य शैक्षिक विभागों से कुल 18514 प्रतिभागी लाभान्वित हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है:

दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या	विवरण
25 अप्रैल, 2020	45	आईपी दिवस के अवसर पर –आईपीआर पर वेबिनार
26 अप्रैल, 2020	35	आईपी दिवस पर आर2आईडब्ल्यू एवं आईई के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
11 मई, 2020	100	लेट वसंतराव कोल्हाटकर आट्र्स कॉलेज, रोहणा के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
11 मई, 2020	140	केडीके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
12 मई, 2020	70	कमला नेहरू महाविद्यालय, नागपुर के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
15 मई, 2020	40	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) इंडिया के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
19 मई, 2020	650	एस.ए.जैन (पीजी) कॉलेज, अंबाला के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
19 मई, 2020	40	टीआईई – द इंडस एंटरप्रेन्योर, नागपुर के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
22 मई, 2020	466	आईपीआर पर वेबिनार–औरोरा डिग्री एवं पीजी कॉलेज, हैदराबाद के सहयोग से
2 जून, 2020	37	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के सहयोग से वेबिनार – पेटेंट विनिर्देशों और सामग्री – निर्णायक कारक
7 जून, 2020	350	आई ई ई ई और अकोला लॉ कॉलेज के सहयोग से –भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया पर वेबिनार
17 जून, 2020	80	गुरु नानक कॉलेज, वेलाचेरी, चेन्नई के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
18 जून, 2020	90	तुलसीरामजी गायकवाड़– पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर के सहयोग से –आईपीआर पर वेबिनार
23 जून, 2020	90	नेशनल कॉलेज, बांद्रा, मुंबई के सहयोग से – आईपीआर पर वेबिनार
25 जून, 2020	80	एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, एमपी के फार्मेसी विभाग के सहयोग से – आईपीआर पर वेबिनार
26 जून, 2020	50	बौद्धिक संपदा अधिकार केंद्र, सीसीओएसटी, रायपुर और होली क्रॉस महिला कॉलेज अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के सहयोग – से पेटेंट प्रक्रिया पर वेबिनार
2 जुलाई, 2020	90	जेएमटी आट्र्स एंड जेजेपी साइंस कॉलेज, नागपुर के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकारों का परिचय – पर वेबिनार

15 जुलाई, 2020	950	श्री शिवाजी कॉलेज, राजुरा के सहयोग से – आईपीआर पर वेबिनार
17 जुलाई, 2020	300	स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के सहयोग से – पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शन का परिचय विषय पर वेबिनार
20–21 जुलाई, 2020	586	धरमपेठ एमपी देव मेमोरियल साइंस कॉलेज, नागपुर के आईक्यूएसी और इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेल; जे.एम.पटेल आट्र्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, भंडारा; डॉ. एम.के. उमाठे कॉलेज, नागपुर; बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े कॉलेज ऑफ आट्र्स एंड कॉमर्स, खापरखेड़ा, नागपुर; एसएन मोर कॉलेज ऑफ आट्र्स, कॉमर्स तथा श्रीमती एस.डी.सराफ साइंस कॉलेज, तुमसर के सहयोग से – आईपीआर विषय पर वेबिनार
24 जुलाई, 2020	80	सौ लीना किशोर ममीदवार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, कोसरा, चंद्रपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
25 जुलाई, 2020	230	रसायन विज्ञान विभाग, वीएनआईटी, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
25 जुलाई, 2020	157	एसएकेई–आईपीआरसी, मुंबई के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
29 जुलाई, 2020	80	प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रमुख, माता गुजरी कॉलेज, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
4 अगस्त, 2020	65	पुणे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पुणे के सहयोग से– आईपीआर पर वेबिनार
4 अगस्त, 2020	53	डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
7 अगस्त, 2020	100	जीएच रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
12 अगस्त, 2020	204	कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
13 अगस्त, 2020	142	इंदिरा गांधी (सीनियर) कॉलेज, सिडको, नांदेड़ के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
24 अगस्त, 2020	123	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
28 अगस्त, 2020	37	यूजीसी– मानव संसाधन विकास केंद्र, आरटीएमएनयू, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
29 अगस्त, 2020	38	मानव संसाधन विकास केंद्र (एचआरडीसी), डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, एमपी के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
29 अगस्त, 2020	191	डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर, पंजाब के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
3 सितंबर, 2020	285	मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, थेरगांव, पुणे के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
4 सितंबर, 2020	100	सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
4 सितंबर, 2020	66	के.जे.सोमैया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, विद्याविहार, मुंबई के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार

7 सितंबर, 2020	109	आनंद निकेतन कॉलेज, वरोरा के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
8 सितंबर, 2020	683	नकोदर, पंजाब के आईक्यूएसी के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
10 सितंबर, 2020	59	एसएसएसएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर विमेन, अमृतसर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
11 सितंबर, 2020	370	पीजीटीडी ऑफ लॉ, आरटीएमएनयू, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
16 सितंबर, 2020	128	गोवा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, सालिगाओ–गाओ के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
17 सितंबर, 2020	120	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
19 सितंबर, 2020	83	आईपीआर पर वेबिनार – भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), नागपुर के सहयोग से
25 सितंबर, 2020	146	नेहरू आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, तिरुमलयमपलायम, कोयंबटूर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
1 अक्टूबर, 2020	167	बिस्वंतह कृषि महाविद्यालय, एएयू, जोरहाट, असम के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
6 अक्टूबर, 2020	270	वीएसआर लॉ कॉलेज, बल्लारी, कर्नाटक के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
7 अक्टूबर, 2020	251	एनआईटी, नागपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
8 अक्टूबर, 2020	129	सार्वजनिक स्वास्थ्य दंत चिकित्सा विभाग, स्कूल ऑफ डेंटल साइंस, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
9 अक्टूबर, 2020	121	सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
10 अक्टूबर, 2020	38	डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, एमपी के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
17 अक्टूबर, 2020	165	सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर के सहयोग से के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
20 अक्टूबर, 2020	277	के.डी.के. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
22 अक्टूबर, 2020	100	आई.आई.एस (डीम्ड यूनिवर्सिटी), जयपुर के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
24 अक्टूबर, 2020	125	आईपीआर पर वेबिनार – सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर के सहयोग से
24 अक्टूबर, 2020	451	आईपीआर पर वेबिनार–जी.एच. रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जलगांव के सहयोग से
26 अक्टूबर, 2020	125	आईपीआर पर वेबिनार–एमएनएलयू, नागपुर के सहयोग से
29 अक्टूबर, 2020	194	आईपीआर पर वेबिनार – गीताम लॉ स्कूल, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के सहयोग से
31 अक्टूबर, 2020	200	आईपीआर पर वेबिनार – जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, सैखेड़ा के सहयोग से
3 नवंबर, 2020	25	आईपीआर पर वेबिनार – रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), नई दिल्ली के सहयोग से
3 नवंबर, 2020	72	लोकमान्य तिलक महाविद्यालय, वडवानी, बीड़ी आईपीआर पर वेबिनार
7 नवंबर, 2020	82	आईपीआर पर वेबिनार– वीआईटी फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई के सहयोग से

9 नवंबर, 2020	59	आईपीआर पर वेबिनार – सिंहगढ़ कॉलेज ऑफ फार्मेसी (एससीओपी), पुणे
10 नवंबर, 2020	131	अमृता विश्व विद्यापीठम, कोच्चि, केरल के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
11 नवंबर, 2020	76	आईपीआर पर वेबिनार – मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स, चेन्नई के सहयोग से
11 नवंबर, 2020	57	आईपीआर पर वेबिनार – आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एआईटी), पुणे के सहयोग से
20 नवंबर, 2020	40	आईपीआर पर वेबिनार – रोटरी क्लब ऑफ नागपुर के सहयोग से
21 नवंबर, 2020	204	आईपीआर पर वेबिनार – मार्क पेटेंट संगठन और गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुजरात के सहयोग से
23 नवंबर, 2020	25	आईपीआर पर वेबिनार – एचएएल, नासिक के सहयोग से
23 नवंबर, 2020	75	आईपीआर पर वेबिनार – बायोसाइंसेज और आईक्यूएसी मैकफास्ट, केरल के स्कूल के सहयोग से
24 नवंबर, 2020	80	आईपीआर पर वेबिनार – हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयंबतूर के सहयोग से
25 नवंबर, 2020	109	आईपीआर पर वेबिनार – जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा के सहयोग से
26 नवंबर, 2020	95	जेवियर्स कॉलेज, जयपुर के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
28 नवंबर, 2020	220	आईपीआर पर वेबिनार – संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात के सहयोग से
28 नवंबर, 2020	40	आईपीआर पर वेबिनार – सीएमआर प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु के सहयोग से
2 दिसंबर, 2020	16	आईपीआर पर वेबिनार – हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक के सहयोग से
3 दिसंबर, 2020	193	आईपीआर पर वेबिनार – एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, औरंगाबाद के सहयोग से
4 दिसंबर, 2020	102	आईपीआर पर वेबिनार – शूलिनी विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से
4 दिसंबर, 2020	189	आईपीआर पर वेबिनार – किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नागपुर के सहयोग से
7 दिसंबर, 2020	99	वेल टेक मल्टीटेक डॉ. रंगराजन डॉ शकुंतला इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई –आईपीआर पर वेबिनार
10 दिसंबर, 2020	67	आईपीआर पर वेबिनार – एचआरडी डेवलपमेंट सेंटर, आरटीएमएनयू, नागपुर के सहयोग से
10 दिसंबर, 2020	173	आईपीआर पर वेबिनार – रथिनम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर के सहयोग से
12 दिसंबर, 2020	113	आईपीआर पर वेबिनार – मार्क पेटेंट संगठन, अहमदाबाद के सहयोग से
15 दिसंबर, 2020	140	आईपीआर पर वेबिनार – बंगलुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध चिर्स्ट एकेडमी फॉर एडवांस साइंस के सहयोग से
16 दिसंबर, 2020	45	आईपीआर पर वेबिनार – डॉ. अम्बेडकर कॉलेज, नागपुर
16 दिसंबर, 2020	73	आईपीआर पर वेबिनार – केजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर के सहयोग से
17 दिसंबर, 2020	80	आईपीआर पर वेबिनार – न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर के सहयोग से

18 दिसंबर, 2020	111	आईपीआर पर वेबिनार – डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च (डीएआईएमएसआर), नागपुर
19 दिसंबर, 2020	250	आईपीआर पर वेबिनार – वर्ल्ड आईपी फोरम, कोलकाता के सहयोग से
22 दिसंबर, 2020	107	पाटिल कॉलेज, पिंपरी, पुणे के सहयोग से
28 दिसंबर, 2020	113	आईपीआर पर वेबिनार – संकल्पचंद पटेल विश्वविद्यालय, विसनगर, गुजरात के सहयोग से।
30 दिसंबर, 2020	47	अठावले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, भंडारा के सहयोग से आईपीआर विषय पर वेबिनार
31 दिसंबर, 2020	36	आईपीआर पर वेबिनार – एचएएल, कानपुर के सहयोग से
12 जनवरी, 2021	125	दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वर्धा के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
12 जनवरी, 2021	466	देवगिरी कॉलेज, औरंगाबाद के सहयोग से आईपीआर पर वेबिनार
13 जनवरी, 2021	24	आईपीआर पर वेबिनार – आयुध निर्माणी, चंद्रपुर के सहयोग से
13 जनवरी, 2021	22	आईपीआर पर वेबिनार – महेंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज सलेम के सहयोग से,
19 जनवरी, 2021	98	आईपीआर पर वेबिनार –प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर स्टडीज, पुणे के सहयोग से
20 जनवरी, 2021	203	आईपीआर पर वेबिनार– दादासाहेब बालपांडे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नागपुर के सहयोग से
21 जनवरी, 2021	86	आईपीआर पर वेबिनार – एमआईडीसी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एमआईए) हिंगना और जीआईजेड इंडिया, नागपुर के सहयोग से
22 जनवरी, 2021	200	आईपीआर पर वेबिनार – हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर के सहयोग से
28 जनवरी, 2021	78	आईपीआर पर वेबिनार – एमआईडीएसआर डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लातूर के सहयोग से
29 जनवरी, 2021	101	आईपीआर पर वेबिनार – वेलागापुडी रामकृष्ण सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, कनुरु, विजयवाड़ा के सहयोग से
2 फरवरी, 2021	85	आईपीआर पर वेबिनार – केसीईएस के सीओईआईटी, जलगांव के सहयोग से
4 फरवरी, 2021	140	आईपीआर पर वेबिनार – रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय, बेलवाविक के सहयोग से
5 फरवरी, 2021	189	आईपीआर पर वेबिनार यशवंतराव चव्हाण कॉलेज, पुणे के सहयोग से
10 फरवरी, 2021	110	आईपीआर पर वेबिनार – सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, पुणे के सहयोग से
16 फरवरी, 2021	25	आईपीआर पर वेबिनार – उद्यमिता विकास के लिए आईआईएमएन फाउंडेशन भारतीय प्रबंधन संस्थान, नागपुर के सहयोग से
16 फरवरी, 2021	75	आईपीआर पर वेबिनार – यूजीसी–मानव संसाधन विकास केंद्र, आरटीएमएनयू, नागपुर के सहयोग से
18 फरवरी, 2021	212	आईपीआर पर वेबिनार – एआईसी – पिनेकल एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, पुणे के सहयोग से

22 फरवरी, 2021	76	आईपीआर पर वेबिनार – सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज जैन (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), बेंगलुरु के सहयोग से
22 फरवरी, 2021	174	आईपीआर पर वेबिनार – डॉ. अन्नासाहेब जीडी बेंदाले महिला महाविद्यालय, जलगाँव के सहयोग से
23 फरवरी, 2021	55	आईपीआर पर वेबिनार – वसंतराव नाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, नागपुर के सहयोग से
25 फरवरी, 2021	94	आईपीआर पर वेबिनार – जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा, उत्तर प्रदेश के सहयोग से
26 फरवरी, 2021	40	आईपीआर पर वेबिनार – गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, औरंगाबाद के सहयोग से,
2 मार्च, 2021	40	आईपीआर पर वेबिनार –अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर और एनएलयू नागपुर के सहयोग से,
5 मार्च, 2021	300	आईपीआर पर वेबिनार – जीएच रायसोनी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नागपुर के सहयोग से
9 मार्च, 2021	52	आईपीआर पर वेबिनार – श्री मुक्तानंद कॉलेज, गंगापुर, औरंगाबाद के सहयोग से
12 मार्च, 2021	85	आईपीआर पर वेबिनार – एसडीएम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डोईवाल, देहरादून के सहयोग से
15 मार्च, 2021	325	आईपीआर पर वेबिनार – जीएच रायसोनी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नागपुर के सहयोग से
15 मार्च, 2021	21	आईपीआर पर वेबिनार – कंप्यूटर विज्ञान विभाग, करियर कॉलेज, भोपाल के सहयोग से
15 मार्च, 2021	125	आईपीआर पर वेबिनार –राजश्री शाहू कॉलेज, लातूर के सहयोग से
16 मार्च, 2021	25	आईपीआर पर वेबिनार – एचएएल, बैंगलोर के सहयोग से
17 मार्च, 2021	129	आईपीआर पर वेबिनार – केएलईएफ यूनिवर्सिटी ग्रीनफील्ड्स, वड्डेसवर्म, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के सहयोग से
19 मार्च, 2021	286	आईपीआर पर वेबिनार – पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पुणे के सहयोग से
22 मार्च, 2021	95	आईपीआर पर वेबिनार – इनोडस्क और एचकेईएस पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कर्नाटक के सहयोग से
24 मार्च, 2021	49	आईपीआर पर वेबिनार – एन एम डी कॉलेज, गोंदिया के सहयोग से
30 मार्च, 2021	271	आईपीआर पर वेबिनार – वेल टेक हाईटेक डॉ. रंगराजन डॉ. शकुंतला इंजीनियरिंग कॉलेज, चेन्नई के सहयोग से
30 मार्च, 2021	138	आईपीआर पर वेबिनार – नेविल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, पुणे के सहयोग से
	18514	

ङ. आरजीएनआईआईपीएम, नागपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रम

विश्व आईपी–दिवस समारोहः

25 अप्रैल, 2020	45 प्रतिभागी	आईपी दिवस मनाने के लिए आईपीआर–पेटेंट पर वेबिनार वक्ता – डॉ. पंकज पी. बोरकर, डॉ. यू . गुहा
26 अप्रैल, 2020	35 प्रतिभागी	आईपी दिवस मनाने के लिए आईपीआर–पेटेंट पर वेबिनार संगठन का नाम–आर2आईडब्ल्यू अध्यक्ष– डॉ. पंकज पी. बोरकर, सुश्री पूजा मौलीकर

विश्व आईपी दिवस मनाने हेतु, संकाय सदस्यों, छात्रों आदि के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार के माध्यम से पहुंचने की दिशा में आरजीएनआईपीएम द्वारा पहल की गई। इसी पहल के क्रम में, वेबिनार के माध्यम से 26 अप्रैल, 2020 को आईई के संकाय सदस्यों के लिए वेबिनार आयोजित किया गया था।

26 अप्रैल, 2020 अर्थात विश्व आईपी दिवस के अवसर पर, आर2आईडब्ल्यू, मुंबई एवं आरजीएनआईपीएम के सहयोग से एक वेबिनार का आयोजन किया। तकनीकी सत्र को तीन भागों में निष्पादित किया गया। विश्व आईपी दिवस के दिन प्रतिभागियों के बीच आईपी को बढ़ावा देने के लिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से विचारों का आदान–प्रदान और अन्य रणनीतियों पर चर्चा की गई।

पेटेंट सूचना पद्धतिः

1980 में भारत सरकार ने नागपुर में, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस) कार्यालय की स्थापना विश्व स्तर पर पेटेंट विनिर्देशों और पेटेंट से संबंधित साहित्य का विशद् संकलन बनाए रखने ताकि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, उद्योगों, व्यवसायी उद्यमों, आविष्कारकों और भारत के अन्य उपयोक्ताओं की प्रौद्योगिकीय सूचना की आवश्यकता पूर्ण की जा सके व पेटेंट में निहित प्रौद्योगिकी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की। पेटेंट सूचना पद्धति उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध पेटेंट दस्तावेजों की प्रति प्रदान करके पेटेंट प्रतिलिपि आपूर्ति सेवा प्रदान करती है।

अध्याय–XII

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

परिचय

बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली की प्रकृति वैश्वीकृत है और कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) समाज कल्याण के लिए आईपी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे भारतीयों के साथ–साथ विदेशी हितधारकों को सेवाएं प्रदान की जा सकें। तदनुसार, कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अन्य देशों के आईपी प्राधिकारियों तथा अंतर–सरकारी संगठनों के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) पर कार्रवाई में अपना सहयोग प्रदान करता है। कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वाइपो की कार्यवाही में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित कार्य इस प्रकार हैः–

I. द्विपक्षीय सहयोगः–

1. जापान पेंटेट कार्यालय :–

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न और जापान पेटेंट कार्यालय एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक जांच प्राधिकरण (आईएसए/आईपीए) को मान्यता देने के लिए सहमत हुए। ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए जिसमें दोनों कार्यालयों में पेटेंट परीक्षण अभ्यास पर ज्ञान और अनुभव साझा करने के उद्देश्य से कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) और जेपीओ के पेटेंट परीक्षकों ने भाग लिया। आईटी विशेषज्ञों की एक बैठक भी आयोजित की गई जिससे दोनों कार्यालयों को एक दूसरे की आईटी प्रणाली को समझने में मदद मिली। आईटी विशेषज्ञों ने टेलीवर्किंग के कार्यान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा की।

2. स्वीडिश इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिसः–

स्वीडिश बौद्धिक संपदा कार्यालय के साथ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक नवाचार सूचकांक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, 2016 के अनुरूप भारतीय आईपी प्रणाली के अधिक सुव्यवस्थित होने के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के श्रेणीक्रम में लगातार सुधार हुआ है। दोनों पक्षों ने परीक्षकों के प्रशिक्षण के मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा भी की। एक अन्य सत्र जो ऑनलाइन आयोजित किया गया, उसमें दोनों पक्ष आईटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा में शामिल हुए।

3. डेनिश पेटेंट व व्यापार चिह्न कार्यालय :–

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और डेनिश पेटेंट और ट्रेड मार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के प्रावधानों के अनुसार सीजीपीडीटीएम कार्यालय और डीकेपीटीओ के बीच कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्य योजना के तहत, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेंट परीक्षण से संबंधित व्यवहार पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के मुद्दे पर और दोनों कार्यालयों में पेटेंट खोज के संबंध में व्यवहार पर चर्चा करने के लिए भी ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गईं।

4. कनाडा बौद्धिक संपदा कार्यालयः–

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और कैनेडियन बौद्धिक संपदा कार्यालय (सीआईपीओ) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, प्रतिवेदन वर्ष के दौरान सीजीपीडीटीएम कार्यालय और सीपीओ के बीच कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन अधिदेश के अनुसार, कार्य योजना में इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल), ग्राहक सहायता, एमएसएमई, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन तथा बौद्धिक संपदा आवेदनों के लिए लागू कार्यालय प्रक्रियाओं के संबंध में सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान–प्रदान के क्षेत्र में सहयोग गतिविधियों की परिकल्पना की गई है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, संबंधित आईपी कार्यालयों के प्रमुख, अर्थात महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह, भारत तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (चीफ एक्सिकिटिव ऑफिसर), केनेडियन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी ऑफिस ने कार्य योजना के तहत परिकल्पित गतिविधियों के संबंध में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन पारस्परिक विचार –विमर्श भी किया।

II. वाइपो सदस्य राज्यों की सभाएं– 61वीं बैठक श्रृंखला (सितंबर 21–25, 2020):

सभाओं की बैठकों के दौरान, भारत के प्रतिनिधिमंडल ने, कोविड–19 महामारी के बावजूद वाइपो द्वारा अपनी आईपीआर सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए उसकी सराहना की। यह भी बताया गया कि भारत ने आईपी प्रणाली को गतिशील, जीवंत और संतुलित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछले दो वर्षों में आईपीआर से संबंधित पांच संधियों में शामिल होने के तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया। भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मौलिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2021 की शुरुआत में असाधारण सभाएं आयोजित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सदस्य राज्यों से वाइपो के बाह्य कार्यालय खोलने से संबंधित गतिरोध को भी दूर करने का भी आग्रह किया।

III. पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) कार्यकारी समूहः– 13वां सत्र (अक्टूबर 5–8 2020)

भारत ने 13वें पीसीटी कार्यकारी समूह की बैठक में भाग लिया जो कि कोविड 19 महामारी की स्थिति के कारण हाइब्रिड मोड में आयोजित होने वाली वाइपो की पहली तकनीकी बैठक थी। भारत से सुश्री रेखा विजयम, उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प को इस बैठक की उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। सैद्धांतिक रूप से भारत के प्रतिनिधिमंडल ने समयसीमा का ध्यान रखने व पीसीटी आवेदन कुछ स्थितियों में जिसमें वर्तमान महामारी शामिल है, अपना विधिक प्रभाव न खोएँ, यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता का समर्थन किया। जैसा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया था, बैठक में व्याख्यात्मक वक्तव्य और अनुशंसित पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) अभ्यास परिवर्तन के कार्यान्वयन में आईपी कार्यालयों के अनुभवों पर अध्ययन करने का निर्णय लिया गया, जो वाइपो ने कोविड–19 महामारी के आलोक में 9 अप्रैल, 2020 को जारी किए, ताकि भविष्य में कोविड–19 महामारी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पीसीटी नियमों में आवश्यक परिवर्तनों को समझा जा सके।

भारत के प्रतिनिधिमंडल ने भारत में प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्रों (टीआईएससी) द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। भारत के आठ टीआईएससी ने कोविड महामारी के बीच ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किए और इस तरह जनता को तकनीकी सहायता प्रदान की गई। प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न कार्यसूची मदों पर सक्रिय चर्चा की।

IV. पेंटेट सहयोग संधि (पीसीटी), 28 वां सत्र (मार्च 24–26, 2021) के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बैठक :–

भारत ने पीसीटी के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों की बैठक (एमआईए) के 28वें सत्र में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो ने वर्ष 2019 के पीसीटी आँकड़े प्रस्तुत किए। भारतीय पेटेंट कार्यालय आईएसए के रूप में स्थापित खोज रिपोर्ट संख्या के मामले में 23 कार्यालयों में से 9वां स्थान प्राप्त करने में बना रहा। आईएसए की स्थापना की समयबद्धता के संबंध में, भारतीय पेटेंट कार्यालय ने 2019 के दौरान भी 99% से अधिक समयबद्धता बनाए रखी। 2019 में समयबद्धता के मामले में भारत 23 प्राधिकरणों में से चौथे स्थान पर रहा। बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई जैसे कि कोविड 19 महामारी जैसे व्यवधानों के मामले में पीसीटी द्वारा निर्धारित समयबद्धता की रक्षा कैसे करें, अनुक्रम लिस्टिंग दाखिल करने के लिए एसटी 25 से एसटी 26 में रूपांतरण की तारीख, एक्सएमएल खोज रिपोर्ट प्रदान करना, पीसीटी प्ररूपों में सुधार इत्यादि।

V. ब्रिक्स आईपीआर सहयोग–

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, "ब्रिक्स आईपीआर सहयोग रोडमैप कार्यक्रम " की अध्यक्षता रोस्पेटेंट–रूसी संघ द्वारा की गई। कोविड –19 महामारी और विश्वभर में लॉकडाउन के कारण, मार्च 2020 में ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स हिपो बैठक को रोक दिया गया। एनपीआई–ब्राजील ने पत्र द्वारा रोस्पेटेंट–रूसी को अपनी अध्यक्षता सौंपी।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान, विश्व कोविड –19 महामारी के कारण गंभीर लॉकडाउन की स्थिति से जूझ रहा था। इस सीमित दायरे के अंतर्गत, रोस्पेटेंट रशियन फ़ेडरेशन की अध्यक्षता में 26 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ़्रेंस मोड से ब्रिक्स हिपो बैठक के संक्षिप्त संस्करण का आयोजन किया गया।

श्री ओ.पी. गुप्ता, महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन ने ब्रिक्स हिपो बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित ब्रिक्स हिपो बैठक के दौरान, ब्रिक्स आईपी कार्यालयों ने सहयोग विषयों का अवलोकन किया और साथ ही साथ "कोविड 19 महामारी के संदर्भ में आईपी कार्यालयों के कार्य और औषधीय और "डिजिटल परियोजनाओं" के क्षेत्र में नवाचार" पर भी चर्चा की।

रोसपेटेंट–रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता में, 27 से 29 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक 3 दिवसीय–" औद्योगिक अभिकल्प पर आईपी ब्रिक्स परीक्षकों का प्रशिक्षण" रोस्पटेंट–रूसी संघ द्वारा आयोजित किया गया। डिजाइन विंग में लगे सभी परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प ने वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया।

आईपी–ब्रिक्स की अध्यक्षता 1 जनवरी 2021 से रोसपेटेंट–रूसी फेडरेशन द्वारा पत्र के माध्यम से महानियंत्रक कार्यालय, भारत को स्थानांतरित की गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बर्हि–क्रियाकलाप

परिचय

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न ने उद्योग संगठनों जैसे एफ़आईसीसीआई, सीआईआई, एसोचम, पीएचडीसीसीआई, सीडबल्यूईआई इत्यादि के सहयोग से आम जनता के साथ–साथ शोध व विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार केंद्र, प्रवर्तन अभिकरणों के लिए जागरूकता एवं संपर्क कार्यक्रम संचालित करने की दिशा में कई पहल की हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों और सरोकारों की व्यापक समझ बनाने, बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संरक्षा और प्रवर्तन विषयक ज्ञान प्रदान करने और जागरूकता बढ़ाने के साथ–साथ व्यवसायों का सशक्तीकरण करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार का लाभ उठाना है। बौद्धिक सम्पदा कार्यालय के अधिकारी विश्वविद्यालयों, टीआईएफएसी, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम, एनआरडीसी व उद्योग संगठनों द्वारा संचालित जागरूकता कार्यक्रमों में ज्ञान स्रोत व्यक्ति के रूप में नियमित भाग लेते रहे हैं।

1. आईपीओ अधिकारियों का प्रशिक्षण:

आईपी अधिकारियों के कौशल और विशेषज्ञता के विकास के उद्देश्य और आईपी कार्यालयों के क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा नए परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पेटेंट नियंत्रकों के लिए पुनश्चर्या/विधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे मानव संसाधन का मजबूत आधार तैयार हो सके।

2. कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न द्वारा राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम:

2020–21 के दौरान, भारत में कोविड –19 महामारी और बार बार लॉकडाउन के कारण, केवल कुछ ही बैठकें आयोजित की गईं और इनमें भागीदारी मुख्य रूप से ऑनलाइन रही। कार्यालय ने विभिन्न उद्योग संघों जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई, सीडब्ल्यूईआई, आदि के सहयोग से विश्वविद्यालयों जैसे विधि विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों/महिला विश्वविद्यालयों में 23 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बौद्धिक संपदा और नवाचार प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, दूरस्थ भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2020–21 में उद्योग संघों के साथ 23 कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। हितधारकों की सूची जहां कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

उद्योग संघ	विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान/ महिला विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम
पीएचडी चैम्बर	04
सीडबल्यूईआई	10
एसोचेम	07
आईसीसी	02
कुल	**23**

3. सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा आईपी सुग्राहीकरण (सेंसीटाईजेशन) कार्यक्रम:

05 मार्च, 2021 को उदयपुर में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (रीको) और उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से सीजीपीडीटीएम कार्यालय द्वारा भौगोलिक उपदर्शन पर एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

4. भारत और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की भागीदारी:

भारत और विदेश में कोविड –19 महामारी और बार–बार लॉकडाउन के कारण, केवल कुछ ही बैठकें आयोजित की गईं और इनमें भागीदारी मुख्य रूप से ऑनलाइन रही।

क्रम सं.	प्रशिक्षण / सेमिनार / कार्यशाला / कार्यक्रम में भाग लिया	देश जिसका दौरा किया गया	अधिकारियों की संख्या जिन्होंने भाग लिया
1.	21 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित असेम्बलीज़ ऑफ द मेम्बर स्टेट्स ऑफ वाइपो, पीसीटी यूनियन व मेड्रिड यूनियन की इकसठवीं श्रृंखला	दूरस्थ भागीदारी	4
2.	05 से 08 अक्तूबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में वाइपो में आयोजित पीसीटी कार्यकारी समूह	दूरस्थ भागीदारी	1
3.	12 से 16 अक्तूबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में लीगल डेव्लपमेंट ऑफ द मेड्रिड सिस्टम फॉर द इन्टरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स का अठारहवाँ सत्र	दूरस्थ भागीदारी	2
4.	19 से 23 अक्तूबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इंटेलेक्चुयल प्रॉपर्टी एंड जेनेटिक रिसोर्सिस पर अंतर्सर्कारी समिति का इकतालिसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	2
5.	04 नवंबर, 2020 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में वाइपो कन्वरसेशन ऑन इंटलेक्चुयल प्रॉपर्टी (आईपी) एंड आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) का तीसरा सत्र	दूरस्थ भागीदारी	3
6.	16 से 20 नवंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों (एससीसीआर) पर स्थायी समिति का चालीसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
7.	23 से 25 नवंबर, 2020 तक म्यूनिख, जर्मनी में ईस्ट मीट्स वेस्ट फोरम	दूरस्थ भागीदारी	1
8.	23 से 26 नवंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक उपदर्शन (एससीटी) विधि पर स्थायी समिति का 43वां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1

9.	7 से 10 दिसंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, पेटेंट विधि पर स्थायी समिति (एससीपी)	दूरस्थ भागीदारी	1
10.	30 नवंबर से 4 दिसंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूआईपीओ मानकों (सीडब्ल्यूएस) पर समिति का आठवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	2
11.	14 से 16 दिसंबर, 2020 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में औद्योगिक डिजाइनों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के लिए हेग सिस्टम के विधिक विकास पर कार्य समूह का नौवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	1
12.	1 से 10 फरवरी, 2021 तक टोक्यो, जापान में आईपी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने पर जेपीओ/आईपीआर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	दूरस्थ भागीदारी	1
13.	24 से 26 मार्च, 2021 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में पीसीटी (पीसीटी/एमआईए) के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की बैठक का अट्ठाईसवां सत्र	दूरस्थ भागीदारी	5

अध्याय–XIV

मानव संसाधन

परिचयः

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न के अधीक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्री, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, पेटेंट सूचना पद्धति (पीआईएस)/राजीव गाँधी राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान (आरजीएनआईआईपीएम) अपनी गतिविधियाँ निष्पादित करते हैं।

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) के माध्यम से परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के 220 पदों को भरने की कार्रवाई की गई। तदनुसार, अखिल भारतीय आधार पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा क्रमशः 30 सितंबर, 2018 और 18 नवंबर, 2018 को आयोजित की गई। एनपीसी ने परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प के 220 पदों का परिणाम घोषित किया और 220 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें से 181 उम्मीदवारों ने वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यभार ग्रहण किया तथा 12 उम्मीदवारों ने वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यभार ग्रहण किया। 31 मार्च, 2021 तक पेटेंट कार्यालय में कुल 613 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प हैं।

विभिन्न बौद्धिक सम्पदा कार्यालयों में मानव संसाधनः

1. महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प व व्यापार चिह्न कार्यालय, मुंबईः

महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय में निम्नलिखित सहायक कर्मचारी हैंः

31 मार्च, 2021 तक महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न कार्यालय के तहत अनुमोदित और नियोजित व कार्मिक शक्ति का विवरणः

क्र. सं.	पदनाम	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	महानियंत्रक	1	1
2	निजी सचिव	1	1
3	स्टाफ कार ड्राइवर	1	1
4	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	1	0
	कुल	**4**	**3**

हालांकि, पेटेंट और व्यापार चिह्न कार्यालयों के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को सीजीपीडीटीएम के कार्यालय में स्थापना, प्रशासन, बजट और वित्त, नीतिगत मामलों आदि से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।

2. पेटेंट कार्यालयः

पेटेंट कार्यालयों की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट–क** में दर्शायी गई है। उक्त परिशिष्ट चारों पेटेंट कार्यालयों में 31 मार्च, 2021 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

3. व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीः

व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की कार्मिक शक्ति **परिशिष्ट–ख** में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट पांचों व्यापार चिह्न कार्यालयों में

31 मार्च, 2021 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

4. भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीः

मानव संसाधन के संदर्भ में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री के पास अलग से स्वीकृत संख्या है। **परिशिष्ट–ग** भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री की 31 मार्च, 2021 को संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या की भी सूचना प्रदान करता है।

5. पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएमः

31 मार्च, 2021 को पीआईएस/आरजीएनआईआईपीएम में संस्वीकृत कार्मिक संख्या के साथ–साथ कार्यरत कार्मिक संख्या का विवरण **परिशिष्ट–घ** में दिया गया है।

परिशिष्ट क

31 मार्च, 2021 तक पेटेंट कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या					कार्यरत कार्मिक संख्या				
			कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल	कोलकाता	मुंबई	चेन्नई	दिल्ली	कुल
1	वरिष्ठ संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0
2	संयुक्त नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	3	2	3	3	11	0	1	0	3	4
3	निदेशक	समूह क	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
4	उप सचिव	समूह क	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	उप नियंत्रक एकस्व व अभिकल्प	समूह क	16	6	15	14	51	16	5#	15	13	49 +1*
6	प्रधान व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प	समूह क	35	26	48	87	196	34	26	46	84	190+1*
8	वरिष्ठ व्यवस्था विश्लेषक	समूह क	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
9	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	परीक्षक एकस्व व अभिकल्प	समूह क	154	34	126	286	673^	154	34	126	286	600+ 1*+12$
11	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
12	वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी	समूह क	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13	प्रशासनिक अधिकारी	समूह क	1	1	1	1	4	0	1	0	0	1
14	व्यवस्था विश्लेषक सह कंप्यूटर प्रोग्रामर	समूह क	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0
	कुल		**211**	**74**	**194**	**401**	**953**	**205**	**69**	**187**	**386**	**862**

1	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	2	1	2	6	1	1	1	2	5
2	सहायक पुस्तकाध्यक्ष व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2
3	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	1	4	0	0	1	0	1
4	वित्त अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	0	0
6	वरिष्ठ अनुवादक	समूह ख (राजपत्रित)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	कुल		**4**	**6**	**3**	**6**	**19**	**2**	**2**	**2**	**2**	**8**
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	26	14	14	22	76	23	10	10	10	53
2	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1
3	क. अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	1	1	3	0	0	1	1	2
4	आशुलिपिक वर्ग–1	समूह ख (अराजपत्रित)	4	2	2	2	10	1	1	1	0	3
5	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	विधि सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0
	कुल		**32**	**20**	**19**	**28**	**99**	**24**	**11**	**12**	**12**	**59**

1	फोटोग्राफी सहायक	समूह ग	1	1	1	1	4	1	0	1	1	3
2	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	20	14	14	19	67	19	0	10	13	42
3	आशुलिपिक–वर्ग II	समूह ग	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
4	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	1	4	0	5	10	1	3	0	5	9
5	स्वागतकर्ता	समूह ग	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
6	निम्न श्रेणी लिपिक	समूह ग	9	13	10	12	44	6	7	5	9	27
7	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	31	5	10	14	60	20	4	9	8	41
	कुल		**62**	**38**	**35**	**53**	**188**	**47**	**15**	**25**	**38**	**125**

*1 उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प, 1 सहायक नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प व 1 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपूर में नियुक्त हैं।

#1 उप नियंत्रक एकस्व एवं अभिकल्प प्रतिनियुक्ति पर हैं।

$ 12 परीक्षक एकस्व एवं अभिकल्प आरजीएनआईआईपीएम, नागपूर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

^ बाद में वितरण किया जाएगा।

31 मार्च, 2021 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
			मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ.	समूह क	2	1	1	1	0	5	1	0	0	0	0	1
3	उप पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	6	2	2	4	1	15	2	2	0	2	0	6
4	सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	10	2	5	10	4	31	3	0	2	1	1	7
5	वरिष्ट परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ. उ.	समूह क	39	3	9	20	3	74	8	3	9	11	4	35
6	सहायक निदेशक (राभा)	समूह क	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	लेखा अधिकारी	समूह क	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल		**59**	**8**	**17**	**36**	**8**	**128**	**14**	**05**	**11**	**15**	**5**	**50**
1	परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ.उ.	समूह ख (राजपत्रित)	98	8	13	29	12	160 100*	36	5	4	10	5	60 58*
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
3	सहायक पुस्तकालय व सूचना अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
4	निजी सचिव	समूह ख (राजपत्रित)	2	0	1	0	0	3	1	0	1	0	0	2
5	भंडार अधिकारी	समूह ख (राजपत्रित)	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0
	कुल		**104**	**9**	**15**	**31**	**13**	**172** 100*	**38**	**5**	**5**	**10**	**5**	**63** 58*

परिशिष्ट–ख

31 मार्च, 2021 तक व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों की कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या						कार्यरत कार्मिक संख्या					
			मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल	मुम्बई	कोलकाता	चेन्नई	दिल्ली	अहमदाबाद	कुल
1	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	8	1	1	2	1	13	1	0	0	0	0	1
2	पुस्तकालय व सूचना सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
3	आशुलिपिक समूह I	समूह ख (अराजपत्रित)	3	2	2	2	1	10	1	1	2	1	1	6
4	सहा. परीक्षक व्या. चिह्न व भौ. उ.	समूह ख (अराजपत्रित)	14	2	3	7	6	32	4	0	1	2	0	7
5	कनिष्ठ अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0	1	1	0	3	0	0	1	1	0	2
6	लेखाकार	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
	कुल		**28**	**6**	**7**	**13**	**8**	**62**	**7**	**1**	**4**	**4**	**1**	**17**
1	सहायक अधीक्षक	समूह ग	7	1	1	1	1	11	5	1	1	0	1	8
2	रोकड़िया	समूह ग	1	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0
3	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	25	5	6	5	3	44	17	3	4	1	0	25
4	आशुलिपिक समूह II	समूह ग	2	2	0	7	0	11	2	1	0	5	0	8
5	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	20	3	7	5	3	38	6	2	4	4	1	17
6	डाटा इंट्री ऑपरेटर	समूह ग	0	2	1	4	2	9	0	2	0	3	1	6
7	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	25	4	7	9	4	49	9	2	5	4	3	23
	कुल		**80**	**18**	**23**	**32**	**13**	**166**	**39**	**11**	**14**	**17**	**6**	**87**

* परीक्षक व्यापार चिह्न संविदा के आधार पर

परिशिष्ट ग

31 मार्च, 2021 तक भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री में कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ संयुक्त पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उपदर्शन	समूह क	1	0
2	सहायक पंजीकार व्यापार चिह्न व भौ. उपदर्शन	समूह क	1	0
3	वरिष्ठ परीक्षक व्यापार चिह्न व भौ. उपदर्शन	समूह क	1	1
4	आशुलिपिक वर्ग II	समूह ग	1	1
5	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	1	1
	कुल		**5**	**3**

31 मार्च, 2021 तक पेटेंट सूचना पद्धति और आरजीएनआईआईपीएम के अधिकारियों और कार्मिक शक्ति का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	वर्ग	संस्वीकृत कार्मिक संख्या	कार्यरत कार्मिक संख्या
1	वरिष्ठ प्रलेखन अधिकारी	समूह क	1	0
2	कार्यालय अधीक्षक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
3	वरिष्ठ प्रलेखन सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	0
4	कनिष्ठ अनुवादक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
5	आशुलिपिक वर्ग I	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
6	भंडार सहायक	समूह ख (अराजपत्रित)	1	1
7	कनिष्ठ रिप्रोग्राफी सहायक	समूह ग	3	2
8	सहायक अधीक्षक	समूह ग	1	1
9	शेल्फ सहायक	समूह ग	1	1
10	प्रवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	2
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	समूह ग	2	2
12	अवर श्रेणी लिपिक	समूह ग	3	3
13	हिंदी टंकक	समूह ग	1	1
14	मल्टी–टास्किंग स्टाफ	समूह ग	4	3
	कुल		**24**	**18**

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प,
व्यापार चिन्ह एवं भौगोलिक उपदर्शन
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग